राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का बाइसवां दिवस [संख्या : 8

मंगलवार,

17 अप्रैल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एक सब्स्टेंटिव मोशन है इसलिए पहले उसे सुन लीजिये और उसके बाद में स्टेटमेंट हो। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई उसके पहले आपकी कौन-सी कार्यवाही है?

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : कार्यवाही शुरू ही नहीं हुई उसके पहले कैसे होगा?

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : कार्यवाही शुरू नहीं हुई और + + + (व्यवधान)... जनता का पैसा बरबाद किया जा रहा है इसके अन्दर और आप कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे हो। जनता का पैसा बरबाद करना चाहते हो, आप कार्यवाही को नहीं चलने दे रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन की कार्यवाही शुरू ही नहीं हुई।

श्री रामस्वरूप : आप कार्यवाही को रुकवा रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले आफिशियल बिजनेस होगा उसके बाद कार्यवाही होगी।

श्री रामस्वरूप : सदन की कार्यवाही शांति से चलनी चाहिए। सदन में बार-बार व्यवधान पैदा करना चाहते हैं...(व्यवधान) यह तहलका प्रकरण को लेकर तहलका मचा रखा है सदन में। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही शुरू करने का अधिकार तो सबको है। मैं भी इस सदन की सदस्य हूं, यदि मैं बोल रही हूं तो मेरी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : जो बिजनेस डिसाइड हुआ है उसके अकार्डिंगली कार्यवाही होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नियमों के अनुसार बोलिये।

श्री रामस्वरूप : आप सदन की कार्यवाही को चलने दीजिये। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय किस नियम के अन्तर्गत खड़े होकर बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : जो कार्यवाही तय हुई है उसके अनुसार सदन चलेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लालजी, बैठिये। श्री प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

बजट की गोपनीयता भंग होने के आरोप की जांच

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि दिनांक 29.3.2001 को मेरे बजट भाषण के दौरान प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने एक कागज की कुछ प्रतिलिपियां सदन में दिखाते हुए सरकार पर बजट की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया था। उक्त प्रकरण की राज्य सरकार द्वारा जांच करायी गयी है। मैं माननीय सदन को इस जांच के सार से अवगत कराना चाहूंगा।

बजट भाषण के तुरन्त बाद वित्त मंत्री के द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित करने की परम्परा है। पत्रकारों को बजट संबंधी समाचार तैयार करने में सहूलियत की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा बजट बाबत एक प्रेस नोट तैयार किया जाता है जो इस पत्रकार सम्मेलन के दौरान उपस्थित पत्रकारों में वितरित किया जाता है। जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में जो कागज दिखाया गया था वो वस्तुतः उक्त पत्रकार सम्मेलन हेतु तैयार किये गये प्रेस नोट की प्रतिलिपि नहीं होकर एक पूर्व प्रारूप की प्रतिलिपि मात्र था। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि पत्रकार सम्मेलन में जिस संक्षिप्त विवरण को अन्ततः वितरित किया गया और जिस कागज को प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में दिखाया उनमें कुछ समानता तो है परन्तु इन दोनों कागजों में बहुत सारे अन्तर भी विद्यमान हैं।

पत्रकारों में वितरण हेतु प्रेस नोट वित्त विभाग के एक कम्प्यूटर में तैयार किया गया था एवं इसकी सुरक्षा के लिए कम्प्यूटर में इससे संबंधित व्यक्ति द्वारा उसका निजी पास वर्ड भी डाला गया था ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस दस्तावेज को देख नहीं सके। जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि कम्प्यूटर में इस प्रेस नोट का अंतिम संशोधन 28.3.2001 को रात्रि को 9.58 बजे किया गया था। दिनांक 29.3.2001 को सदन में हुए घटनाक्रम के पश्चात् उक्त कम्प्यूटर की जांच के दौरान कम्प्यूटर से उक्त प्रेस नोट से संबंधित पास वर्ड को हटा हुआ पाया गया।

जांच में उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जो निष्कर्ष निकाले गये उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा सदन में जो कागज दिखाया गया था वह बजट के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

किसी भी दस्तावेज का हिस्सा नहीं था। उक्त प्रारूप के अनधिकृत रूप से तथा उचित समय से पूर्व बाहर आ जाने से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुचित लाभ या हानि होना नहीं पाया गया है। यह कार्यवाही कतिपय व्यक्तियों द्वारा सम्भवतः बदनीयती से षड्यंत्रपूर्वक तथा राज्य सरकार को बदनाम करने के एकमात्र उद्देश्य से की गयी है। कम्प्यूटर में इस प्रारूप की सुरक्षा हेतु जिस निजी पास वर्ड को डाला गया था वो केवल उसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकता है जिसे इस पास वर्ड की जानकारी हो। अतः इस जांच में उस व्यक्ति को प्रथम दृष्ट्या दोषी माना गया है जिसे यह पास वर्ड मालूम था। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में कुछ अन्य व्यक्तियों को उनके संदिग्ध आचरण के कारण संदेह के घेरे में रखा गया है।

जांच के उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार ने प्रथम दृष्ट्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मेजर पैनल्टी हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

मेरा राजनीतिक जीवन अब तीन दशक पूरा कर चुका है। सरकार का वित्त मंत्री होने के नाते मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का पूरा एहसास है और बजट की गोपनीयता भंग होने की गम्भीरता को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं। प्रेस नोट के किसी अनधिकृत व्यक्ति के पास पहुंचने से बाजार की शक्तियों को कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचा है तथा इस बारे में सरकार व मुझ पर लगाये गये आरोप पूर्णतः निराधार हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से दो-तीन पाइंटेड सवाल करना चाहता हूं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि इस बजट लीक से किसी को कोई फायदा नहीं मिला...

श्री संयम लोढ़ा : मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि तथाकथित प्रेस नोट जिस कर्मचारी के स्तर पर जारी हुआ उसकी प्रतिपक्ष के किन-किन सदस्यों से सांठ-गांठ थी ?(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इसको चुराया है और जिन लोगों की मिलीभगत से यह कार्य हुआ है और जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह क्रिमिनल कांसपिरेसी किसी ने की है...

श्री संयम लोढ़ा : ...(व्यवधान) वर्ष 1998 का बजट प्रस्तुत करने के बाद विधान सभा चुनावों से पूर्व कितने करोड़ रुपये की रियायत ...(व्यवधान) दी गयी और उसके कारण क्या थे ? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया। मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात सदन में रख सकें। अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं हुआ कि मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद ट्रैजरी बैंचेज के लोग खड़े होकर हमारी बात सुनना नहीं चाहते।

श्री संयम लोढ़ा : (व्यवधान) वर्ष 1990 से 1998 के बीच में भूतलक्षी प्रभाव से ...(व्यवधान) कितने करोड़ रुपयों की रियायतें दी गई ? इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बीस दिन हो गये आज सदन आहूत हुए और सदन आहूत (व्यवधान)... हम केवल मंत्रीजी का वक्तव्य सुनेंगे और मंत्रीजी हमारी बात सुनेंगे।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके समय में यह हुआ था, हमारे समय में आज तक किसी प्रकार का बजट लीक नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, या तो आप इन्हें कंट्रोल करें, नहीं तो हम ...(व्यवधान) सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अनुसार सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का अगर यह व्यवहार है तो हमसे किसी अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं करें। अगर हमसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी आपको नियंत्रण में रखना होगा। तब तो यह डिबेट ठीक ढंग से चलेगी अन्यथा इस प्रकार अगर व्यवधान पैदा करके ये कहेंगे तो मैं सोचता हूं कि जिस बात को लेकर आपने इस हाउस को आर्डर में लेने का प्रयास किया वह सब निरर्थक हो जाएगा। हम यह चाहते हैं कि आपकी मंशा के अनुसार ही यह हाउस ठीक ढंग से चले और इस विषय पर हर व्यक्ति को अपने तर्क देकर वित्त मंत्री को डॉक में खड़ा करने का मौका मिले। हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था में बात हो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी सवाल पूछने का अधिकार है।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान)...इन्होंने इस तरह के असत्य आरोप लगाये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : पहले सत्ता पक्ष के सदस्य सवाल नहीं पूछ सकते। पहला हक हमारा है यह। वित्त मंत्रीजी ने स्टेटमैंट दिया है उसके बाद पहले हमें पूछने का अधिकार है। ये खड़े हो गये सपोर्ट में। ये ही नहीं वश में आ रहे। मुख्य सचेतकजी, आपके वश में आने वाले नहीं हैं ये। + + +

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ट्रैजरी बैंचेज के मंत्री खड़े हो रहे हैं, कभी इधर से खड़े हो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम अनुशासन में हैं, आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : हमें भी खड़े होने के लिए ही जिता कर भेजा है यहां पर, बैठने के लिए नहीं भेजा है। आपका जैसा हमारा भी अधिकार है खड़ा होने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : जनता ने बोलने के लिए भेजा है हमें, बोलेंगे हम। इस बात के लिए आप गलत लांछन कैसे लगा सकते हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आपके कंट्रोल में नहीं हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस पर डिबेट अलाउ नहीं है। केवल आप प्रश्न पूछिये, डिबेट अलाउ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह आपको देखना है क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री जोशीजी, बैठिये। श्री सी. पी. जोशी।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)... लम्बे-लम्बे भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। + + + माननीय अध्यक्षजी, इतने महत्वपूर्ण विषय को गोल करना चाह रहे हैं। आज राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, धोखा किया गया है। जनता अकाल में पानी और चारे के लिए मर रही है। + + + उस विषय को...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : आपके विषय में घपला हुआ है उसको तो सुनिये आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : डा. साहब, आप तो ब्यावर को संभालो।

एक माननीय सदस्य : यह सब आपके पड़ोसियों की देन है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम-290 के तहत दिये गये वक्तव्य पर सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 290 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपने वित्त मंत्रीजी का स्टेटमेंट रूल 290 के अन्दर अलाउ किया है और रूल 290 यह कहता है, "A statement may be made by a Minister on matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made."

स्टेटमेंट हो गया। आप इसको उचित समझें तो ठीक है। आपने 290 के अन्तर्गत यदि स्टेटमेंट करवाया है तो मैं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी. पी. जोशी)
आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 290 की सैंक्टिटी के अन्तर्गत आप इस पर डिबेट करवाएं।

व्यवस्था

कार्य सलाहकार समिति में हुई सहमति के आधार पर नियम-290 के तहत हुए वक्तव्य पर सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : इसमें बात यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय हुआ था कि इस संबंध में लोग चर्चा भी कर सकेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस भी हुआ है तो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मिनट्स इस हाउस में पास होना जरूरी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कोई भी निर्णय करे लेकिन उस निर्णय को हाउस में पास करवाना जरूरी है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नियमों से कर रहे हो आप? आप यहां नियमों से कर रहें हो न? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अध्यक्ष को अधिकार है। मैम्बर्स को सर्कुलेट हो गया है। यह + + + अकेली चल रही है। + + + कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप 290 में करवा लीजिए और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मिनट्स पास करवा लीजिए यहां पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस प्रकार से वैल में नारे लगाये, यह भी नियम है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में केवल चर्चा हुई थी।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी के निर्णय को हमें हाउस में पास करवाना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : उसमें यह स्टेटमैंट का नहीं था, उसमें चर्चा हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले आपसे इजाजत मांगी है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा करवा रहे हैं तो 290 के अन्तर्गत करवाइए। आप क्वेश्चन अलाउ कर सकते हैं, डिबेट अलाउ नहीं कर सकते। आप रूल को रिलेक्स करिये। (व्यवधान) बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मिनट्स को पास करवाइए। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी आज्ञा से सदन चलाना चाहते हैं। आसन सर्वोपरि है और आपने एक व्यवस्था दे दी।

श्री सी. पी. जोशी : आसन कानून के अन्तर्गत सर्वोपरि है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आसन आपसे ज्यादा कानून जानता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पंचायत मंत्रीजी, आप आसन की व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं क्या? + + + यहां पर अध्यक्षजी का आदेश चलेगा। आपके आदेश से चलेगा या आसन के आदेश से चलेगा? यहां अध्यक्षजी के आदेश से चलेगा। (व्यवधान) आपका पाइंट आफ आर्डर अध्यक्षजी ने रिजैक्ट कर दिया फिर भी आप बहस कर रहे हो। (व्यवधान) आप किस नियम पर बहस कर रहे हो? आपका पाइंट आफ आर्डर अध्यक्षजी ने रिजैक्ट कर दिया फिर आप उस पर क्या बहस कर रहे हो और कौनसे नियमों में कर रहे हो, यह बताओ आप। जब अध्यक्ष महोदय ने आपका पाइंट आफ आर्डर रिजैक्ट कर दिया, फिर क्या बात है? (व्यवधान) हमको प्रश्न पूछने का हक है। यह क्या बात है, यह तो आसन की व्यवस्था को चुनौती हो गई। अध्यक्ष महोदय, यह आपके आदेश को चुनौती दे रहे हैं। हम आपके आदेश की पालना कर रहे हैं। यह क्या तरीका हुआ?

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : आपने निर्देश दे दिये, अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष हाउस को चलने नहीं देना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश को नहीं माना जा रहा है। आपने निर्देश दे दिये। यह सत्ता पक्ष हाउस को नहीं चलने देना चाहता है, विपक्ष हाउस को चलाना चाहता है। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था को नहीं मानता है। (व्यवधान) हाउस में माननीय मंत्री द्वारा व्यवधान पैदा किया जा रहा है।

डा. के. सी. चौधरी : कौन नहीं चलने देना चाह रहा है? आप नहीं चलने देना चाहते हैं। एक साथ 5-5, 10-10 आदमी खड़े हो रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कल आपके नेता महोदय, आपके मुख्य चीफ व्हिप महोदय, एक-दो मैम्बर्स और भी वहां उपस्थित थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारा डिस्कशन हुआ है उसी आधार पर मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, से निवेदन कर रहा हूं कि यह तय हुआ था कि वित्त मंत्रीजी अपना स्टेटमैंट देंगे उसके बाद विपक्षी कुछ प्रश्न पूछेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर यह सत्ता पक्ष पहले क्यों पूछ रहा है? यह क्यों खड़े हो रहे हैं? (व्यवधान) हम क्यों नहीं पूछेंगे?

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का अधिकार हमको भी है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. के. सी. चौधरी : हमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं इनसे। (व्यवधान) 280 करोड़ रुपये की रियायतें क्यों दीं? (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : प्रश्न पूछने का अधिकार हमें भी है। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कि सिर्फ विपक्ष ही सवाल पूछेगा।

श्री सांवर लाल : इतने दिन कहां गये थे? (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अधिकार सबको है। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप ऐसा मत करिए कि सत्ता पक्ष वाले प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्न पूछने का अधिकार हमें भी है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय से मेरे तीन सवालों का जवाब दिलवाने की कृपा करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यह तय हुआ था कि वित्त मंत्रीजी स्टेटमैंट देंगे और विपक्ष उस पर सवाल पूछेगा। तो क्या रामस्वरूपजी और संयमजी विपक्ष में आते हैं क्या? क्या हमारा हक भी यह छीनना चाहते हैं? हम आसन से प्रोटेक्शन चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि जिस समय मंत्री का वक्तव्य हो जाता है उसके बाद कोई भी माननीय सदस्य, चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, प्रश्न पूछ सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले हम पूछेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, हमको प्रश्न पूछने का अधिकार है, हम पूछ सकते हैं।

श्री सांवर लाल : इतने दिन कहां गये थे सवाल पूछने वाले? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम इस तरह से नहीं दबेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सदन की प्रोपर्टी बन चुका है। हर माननीय सदस्य को सवाल पूछने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का व्यवहार सत्तारूढ़ दल कर रहा है और जिस प्रकार का आचरण इस सदन में सत्तारूढ़ दल कर रहा है, लगातार इतने दिन के व्यवधान के बाद एक व्यवस्था आपने दी और उस व्यवस्था के अनुसार सुचारू रूप से यह सदन चलने के लिए अपना मन बनाये हुए हैं, ऐसे समय में सत्तारूढ़ दल के लोग स्वयं इस वातावरण को दूषित बनाने का काम कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार का व्यवहार इनका रहा तो निश्चित रूप से हम भी अपनी सीमा तोड़ कर बाहर निकलेंगे और उसका दोष हमारा नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने जो तीन सवाल वित्त मंत्रीजी से पूछे हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ... सत्ता पक्ष की जैसी भूमिका होनी चाहिये वैसी भूमिका, वैसा आचरण नहीं है। (व्यवधान) इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसे + + + और संख्या बल के आधार पर हमारी बात दबाते रहे तो इस हाउस को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया। + + + (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इस तरह संख्या बल के आधार पर हमारी बात दबाते रहे तो इस हाउस को चलाने का कोई सैंस नहीं है। आप संख्या बल के आधार पर हमारी बात दबा देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, भागने का अधिकार थोड़े ही है। (व्यवधान) आप प्रश्न पूछिए आपको प्रश्न का जवाब मिलेगा।

श्री संजीव कुमार : यह सदन की प्रोपर्टी है और सभी माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, तीन सवालों का जवाब दिलाने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का हमारा अधिकार है। सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि यह सारी चीज सामने आए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि कार्य सलाहकार समिति में यह निर्णय हुआ था कि वित्त मंत्रीजी अपना स्टेटमैंट देंगे और विपक्ष के सदस्य उस पर सवाल पूछेंगे। अब सारे सदस्य सवाल पूछना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण हमको चाहिये।

डा. के. सी. चौधरी : प्रश्न आप ही पूछ सकते हैं, हम नहीं पूछ सकते हैं?

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का जवाब दे दो कि जिन्होंने यह + + + आरोप लगाया है उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं? (व्यवधान)

(11.15 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विराजिए प्लीज (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : अकाल की वजह से बांसवाड़ा में लोग भूख से मर रहे हैं। (व्यवधान) यह सत्ता पक्ष के लोग समय बरबाद कर रहे हैं और बांसवाड़ा जिले में लोग भूख से मर रहे हैं। (व्यवधान) अकाल की वजह से बांसवाड़ा जिले में लोग भूख से मर रहे हैं और यह सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय रामस्वरूपजी, विराजिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए।

आप सबको विदित है कि बहुत मुश्किल से हाउस को आर्डर में लाने की चेष्टा की गई है। जैसा कल तय हुआ उसके अनुसार मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, कृपा करके हाउस को आर्डर में रखें। सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतकजी से निवेदन करूंगा, आप अपने सदस्यों को आर्डर में रखें। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : आप मानते हो क्या, मंत्री होकर शोर मचाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी। मंत्रीजी का जो स्टेटमैंट आया है उस पर जो भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे उनको अवसर दूंगा और जितना समय आप चाहेंगे उतना समय दूंगा लेकिन मेहरबानी करके इस हाउस को आर्डर से चलने दीजिए। आप नहीं, पहले यह पूछेंगे। आप बैठिये, बैठिये आप। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, आप विराजिये। प्लीज, आर्डर। आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनके मंत्रियों को भी ज्ञान नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप मुझे ही बैठाते हैं, उनको नहीं बैठा सकते आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको भी बिठा रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : ये मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी बिठा रहा हूं उनको भी बिठा रहा हूं। आप भी बिराजो।

श्री जगत सिंह दायमा : संयम से तो खुद नहीं हैं। संयम तो दिख रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कौन बोलना चाहते हैं आप में से? आप बोलिये, शुरू करो। आर्डर प्लीज, हाथ नीचा करो। (व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

बजट की गोपनीयता भंग होने के आरोप की जांच

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बहुत खेद है कि the hon'ble Finance Minister has taken the House for a ride. क्या कहा इन्होंने? यह इतने अनभिज्ञ हैं, मैं नहीं मानता हूं। पास वर्ड...

श्री शैलेन्द्र जोशी : सवाल पुछवाइये, साहब, यह तो डिबेट ही करने लग गये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कुछ ज्यादा अजीब हो गया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सवाल पुछवाइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह संख्या बल पर अवसर चाहते हैं, वह नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई भाषण नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये यह...

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री नगराज (लसाड़िया) : आज तहलका है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने जो स्टेटमैंट दिया है उस पर जो भी आप क्वेरी करना चाहें, आप क्वेरी कर सकते हैं। भाषण नहीं होगा, वो भाषण नहीं होगा। (व्यवधान) आप इन्होंने जो स्टेटमैंट दिया उस पर जो भी क्वेश्चन करना चाहें, क्वेश्चन कर सकते हैं एट एनी लैन्थ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट का समय मिलना चाहिये, बस केवल एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से इस प्रश्न की शक्ल के अन्दर अपनी बात कह सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर आपने आसन से आब्जर्व कर दिया भाषण नहीं होगा, भाषण कौन दे रहा है ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भाषण नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : भाषण कौन दे रहा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : There is no provision in the rules. माननीय सदस्य, आप सुनिये। आप इतने सीनियर सदस्य हैं, आप नियम जानते हैं, वैसे कायदे से इस पर डिस्कशन होता ही नहीं है। लेकिन चूंकि कल तय हो गया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कि माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य आ जाए और उस पर जो भी प्रश्न माननीय सदस्य पूछना चाहेंगे उसकी इजाजत दी जाएगी, उसके आधार पर हम आपको इजाजत दे रहे हैं। इस पर भाषण का कोई प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है, कम्प्यूटर में जो पास वर्ड होता है, पास वर्ड जिसको मालूम होता है उसको पास वर्ड हटाने की जरूरत नहीं होती है, मंत्रीजी ? वह डाकूमेंट, निकाल कर वापस पास वर्ड फिट कर देता है। आप क्या कहते हो, जिसको पास वर्ड की जानकारी है उस पर संदेह जा रहा है। पास वर्ड वह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तोड़ता है जो कम्प्यूटर का एक्सपर्ट होता है, कम्प्यूटर की नोलेज रखता है और जिसको पास वर्ड की जानकारी नहीं होती है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : जैसे ही पास वर्ड टाइप करेगा कोई भी आदमी देख लेगा। माननीय सदस्य, पास वर्ड टाइप...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप वित्त मंत्री हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कि आपके कम्प्यूटर जिसके ऊपर यह डाकूमेंट निकाला गया है जिसका पास वर्ड तोड़ा गया है, पास वर्ड को निकाल दिया गया है उससे यह प्राइमा-फेसाइ क्रिमिनल आफेंस बनता है? क्या यह सही है कि आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धारा 5 के अन्तर्गत बजट पेपर्स का लीकेज होना एक प्रसंज्ञान योग्य अपराध बनता है? क्या यह सही है कि 1956 क्रिमिनल ला जनरल में पंजाब हाई कोर्ट ने यह हैल्ड किया है :—

"Budget papers are official secrets which cannot be published until the Budget is actually presented in the Legislature. Any contravention of this would amount to an offence under the Official Secrets Act. The fact that on a subsequent day, the Budget proposals have to be made public, did not detract from the secrecy of those proposals till such time as they are announced in the Parliament." क्या यह सही है कि इतना गम्भीर मामला होने के बावजूद भी आपने कोई भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं कराया? क्या यह सही है कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो, मंत्रीजी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर आपकी जिम्मेदारी है, कल आपके खिलाफ भी प्रमाणित हो सकता है? वित्त सचिव की जिम्मेदारी है, वित्त सचिव के खिलाफ भी फाइंडिंग आ सकती है। क्या यह सही है कि यह दायित्व मुख्य मंत्रीजी का था कि मुख्य मंत्रीजी एक एन्क्वायरी बनाते, जुडिशियल इन्क्वायरी कराते? क्या यह सही है, आप जो कहते हैं कि कुछ समानता है, यह पेपर जो नदबई से आने वाले माननीय सदस्य यशवन्त सिंह रामू ने यहां लाकर माननीय अध्यक्ष को दिया, सचिव महोदय को दिया, माननीय मुख्य मंत्रीजी को दिया, उसमें समानता। आइटम नम्बर एक अरण्डी, आइटम नम्बर दो ईसबगोल, आइटम नम्बर तीन लिखने के काम आने वाले मंहगे पैन, आइटम नम्बर चार अग्निशमन यंत्र, आइटम नम्बर पांच जिंक आक्साइड, आइटम नम्बर छह चाय, आइटम नम्बर सात डिस्पोजेबल सिरिंज, आइटम नम्बर आठ एक्स-रे फिल्म, आइटम नम्बर नौ कपड़े धोने का पाउडर,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आइटम नम्बर दस एक हार्स पावर तक के वाटर पम्प, आइटम नम्बर ग्यारह पी.यू. फोम।

दूसरे कालम में आइटम नम्बर एक सभी प्रकार के टाइपराइटर, आइटम नम्बर दो सभी प्रकार के टेलीफोन, आइटम नम्बर तीन कैलकुलेटर, आइटम नम्बर चार वायरलैस इक्विपमेंट, आइटम नम्बर पांच आप्टीकल फाइवर केबल, आइटम नम्बर छह पी.यू. फोम, आइटम नम्बर सात हस्तनिर्मित साबुन, आइटम नम्बर आठ गुड़, हल्दी, धनिया, आइटम नम्बर नौ पिस्ता, सुपारी।

तीसरे कालम में आइटम नम्बर एक हस्तनिर्मित वाद्य यंत्र, आइटम नम्बर दो बच्चों के खिलौने, आइटम नम्बर तीन कैल्शियम टेबलेट, रद्दी कागज निःशक्तजनों के क्रैचेज व कैलिपर, ट्राइटेनरिक्स एच. बी. वैक्सीन, 100 रुपये मूल्य के चप्पल, 20 रुपये मूल्य के पैन और पेन्सिल, अन्य बिन्दु।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रीजी से, क्या यह सब आइटम नहीं मिलते हैं बजट के अन्दर? और आप कहते हैं मामूली समानता है। कतिपय प्रशमन योजनाओं में स्लेब से वृद्धि की गई है, प्रपत्र एस.टी. 6, एस.टी. 27 व एस.टी. 22 समाप्त कर दिये गयें हैं। घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाकर चार माह कर दी गयी है। यह सब, मंत्रीजी हैं, क्या यह सही है या नहीं है? आपके बजट प्रपोजल तो हैं ये। एक्सपार्टी प्रकरणों को उपायुक्त प्रशासन द्वारा पुनः खोला जा सकेगा। बिक्री कर प्रकरणों में अपील हेतु 15 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की राशि ही जमा करवानी होगी। पैकिंग मैटीरियल को परिभाषित किया गया है वर्क्स टैक्स पर एक्जम्पशन फ्री के स्लेब को संशोधित किया गया है। लक्जरी टैक्स, एनटरटेनमैंट टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, क्या यह सही है कि सभी आइट्म्स मिलते हैं? क्या यह सही है, वित्त मंत्रीजी कि उसके बाद एहसास जब हो गया, तनिक भी अगर आप में नैतिकता होती तो क्या एक राजस्थान का वित्त मंत्री या कोई भी वित्त मंत्री अपने बजट भाषण के दौरान कर प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता, जब आपको इस बात का एहसास हो गया था? हो सकता है, मैं आपके खिलाफ यह आरोप नहीं लगाता हूं, यह जांच का विषय है, मैं आपको एग्जोनरेट भी नहीं करता हूं, मैं आपको जिम्मेदारी से एब्जोल्व भी नहीं करता हूं, आपके खिलाफ आरोप प्रमाणित हो सकता है, न भी हो, लेकिन जिस क्षण आपको यह मालूम पड़ गया था कि ये सब टैक्स प्रपोजल्स पब्लिक के अन्दर आ चुके हैं, क्या आपके लिए यह उपयुक्त नहीं था कि आप इन टैक्स प्रपोजल को रोक देते? आपके लिए यह उपयुक्त नहीं था कि आप इन टैक्स प्रपोजल को रोक देते? आपके पास कागज था, माननीय अध्यक्ष मार्क कर रहे थे, क्या यह सही है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूछ लिया इन-रिप्लाई, आपने पूछ लिया न? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्नों का जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री नगराज : उपाध्यक्ष महोदय, यही बोलेंगे, और सदस्य नहीं बोलेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सबको बोलने दूंगा। (व्यवधान)

श्री नगराज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको ही मौका मिलेगा, बाकी लोग कब बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को बोलने दूंगा अगर आप तसल्ली रखोगे। (व्यवधान)

श्री नगराज : आप इनको तो बिठाओ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनका पूरा हो चुका है। अब आप उत्तर सुनियेगा वित्त मंत्रीजी से, बैठिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो सबस्टेंटिव मोशन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई मोशन नहीं है। नो, कोई मोशन नहीं है।

एक माननीय सदस्य : औरों को तो बोलने दीजिये, बिराजो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मोशन कुछ नहीं है। आप इस पर बोल रहे हो, इस पर क्वेश्चन कर रहे हो, नो मोशन। (व्यवधान) मोशन कहां है आपका?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको स्टेटमेंट का मौका नहीं दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय_ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह भाषण कहां से हो गया, उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान) इन्होंने कहा यह प्रत्यक्ष नीति है_(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना न, आपको मौका देंगे। मैंने तो सबसे पहले आपको काल-अपान किया है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इतना बड़ा प्रश्न होता है?

एक माननीय सदस्य : हां, होता है।

अनेक माननीय सदस्य : होता है, होता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप एक-एक माननीय सदस्य को कितने-कितने प्रश्न पूछने की इज़ाजत देंगे? (व्यवधान) अगर एक माननीय सदस्य को एक-एक घण्टा देंगे तो बाकी कइयों की बारी रह जाएगी और वे अपनी बात कह नहीं सकेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन को गाइड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिये आप कुछ समय निर्धारित कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, ठीक है।

श्री जगत सिंह दायमा : यह अपना ही सदन है, अपना ही समय है और अपने को ही करना है।

एक माननीय सदस्य : यह मामूली विषय नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रजातंत्र के अन्दर मंत्रीजी इससे भिज्ञ हैं, क्या यह सही है कि सभी बजट प्रपोजल्स इस तरह से आउट नहीं हुए? और क्या यह सही है कि 1947 में जब हाउस आफ कामन्स में ह्यू-डाल्टन चैम्बर में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने एक पत्रकार को बताया, जिसका लाभ किसी को नहीं मिला, जो बार-बार आप यह कह रहे हैं न कि इससे किसी ने लाभ अर्जित नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं हुआ, लाभ और नुकसान, मंत्रीजी, कोई मायने नहीं रखता है, आपने बजट की सैंक्टिटी को वायलेट किया है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए प्लीज। (व्यवधान) नहीं, आप समाप्त कीजिए। माननीय कटारियाजी, कटारियाजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो सवाल यह है, क्या यह सही नहीं है कि मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट दे रहे हैं To be very honest, Mr. Deputy Speaker, the Minister has no business to make a statement. He should have resigned. He has a duty to resign. आप काहे का स्टेटमैंट दे रहे हैं? आप उस इंक्वायरी को सैंक्टिफाई करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और इंक्वायरी भी वही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फाइनेंस सैक्रेटरी से इंक्वायरी करवा रहे हैं वाह-वाह। यानि आप एक्यूज्ड से, खुद से, खुद जो आदमी गिल्टी हो सकता है उसी से इंक्वायरी उपाध्यक्ष महोदय, करवा रहे हैं। आप यह बताइये, कनाडा के अन्दर एक केस हुआ, वहां पर उसने बजट डिस्प्ले किया जो लैंस से उसकी तस्वीर खींची and he had to resign.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दो ही केस हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नही, चार केस हुए हैं, वैसे दूसरा थामस का है। थामस को भी रिजाइन करना पड़ा। इण्डिया में कभी संविधान निर्माताओं ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि आने वाले समय में राजस्थान में माननीय प्रद्युम्न सिंहजी + + + जो राजस्थान के वित्त मंत्री होंगे। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह भाषण चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। एक्सपंज कर दो इसे।

श्री संयम लोढ़ा : वित्त मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह तो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी। माननीय कटारियाजी।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, वन-बाइ-वन।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्य सदस्यों को बोलने का मौका दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री रामस्वरूप : अब तहलका जैसा काण्ड होगा। तहलका जैसा काण्ड हिन्दुस्तान में हो जाएगा, किसको पता था?

श्री उपाध्यक्ष : कटारियाजी, कटारियाजी। (व्यवधान) गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : गुलाब चन्दजी कटारिया। हां, बैठ जाएंगे वे, आप शुरू करें। वे बैठ जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डेढ़ घंण्टे से पैर पर खड़ा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू करें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल पूछूंगा। नहीं, खतम कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिये न आपने सवाल, कितने सवाल पूछेंगे?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, ये घुमा-फिराकर एक ही प्रश्न पूछेंगे, चाहे कटारिया साहब हों, चाहे ये हों। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूछने देंगे, आप बैठें।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : और जब से यह बजट पेश हुआ है तब से ये सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। इसलिये रिप्लाई आने दीजिए और...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह डिबेट नहीं है इस तरह की, आप बैठिये, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सब आदमी एक ही एक चीज पूछ रहे हैं और सदन अभी भी चलने नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है, राजस्थान के मुख्य मंत्री इस गम्भीर...

एक माननीय सदस्य : इनका प्रश्न समाप्त हो चुका है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान के मुख्य मंत्री लोकप्रिय हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं आप।

श्री रामस्वरूप : यह कोई तरीका है प्रश्न पूछने का? बिलकुल असत्य है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, एक सवाल पूछूंगा।

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगा रहे हो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, इनको पाबन्द किया जाए। ये भाषण दे रहे हैं और आरोप लगाते हैं, पाइंटेड क्वेश्चन होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को बोल रहे हैं?

श्री बाबूलाल नागर : वे आरोप लगा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा।

श्री नगराज : आप माननीय सदस्य को पाबन्द करें। आपने इनको इजाजत दी है, ये दो ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : इनको पाबन्द किया जाए, आरोप नहीं लगाएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। खाली एक पाइंटेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि...

श्री रामस्वरूप : सदन की कार्यवाही से निकाला जाए उसे, कैसे मुख्य मंत्रीजी का नाम ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : कार्यवाही से निकलवाएं पहले।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने आरोप ही नहीं लगाये हैं और यह कह रहे हैं कि आरोप लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन करके खतम करो न अब आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने आरोप ही नहीं लगाया, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आप खतम करो बात को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सवाल पूछने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : What is your last question?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। (व्यवधान) इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन इर्रेलेवेंट है और इर्रेलेवेंट क्वेश्चन की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप इनको बैठाइये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि राजस्थान के— (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनका क्वेश्चन इर्रेलेवेंट है। इर्रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ऐसे गम्भीर प्रकरण पर न तो कोई मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, न कोई जुडिशियल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, न मंत्री को पदमुक्त करना चाहते हैं? पूरे मामले को, प्रकरण को हश-अप करना चाहते हैं, क्या यह सही है?

श्री नगराज : इतना गम्भीर प्रश्न है— (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : तहलका में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, यह बताइये पहले। (व्यवधान) तहलका प्रकरण के खिलाफ कितने मुकदमें दर्ज हुए?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : तहलका में कितने मुकदमें दर्ज हुए? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री नगराज : तहलका के अन्दर केन्द्र सरकार ने कौनसा इस्तीफा दिया था?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विपक्ष के नेता महोदय। विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं। (व्यवधान) कन्वेंशन है, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, ये सबसे बाद में बोलेंगे। ये हमारे भी लीडर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये बोलेंगे पहले, आपको अलाउ करूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तीन सवाल कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये, पहले विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : इन्होंने अलाउ कर दिया मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ करूं तब ही। वे अलाउ नहीं करते हैं, अलाउ मैं करता हूं।

: मेरे 3 सवाल हैं, चौथा सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। माननीय सदस्य, समझने की कोशिश कीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बोल लेंगे फिर हमारे पास क्या रह जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष : हाउस का तरीका है, विपक्ष के नेता...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, आप बाद में बोलेंगे। आप भी खड़े हो जाते हैं झट से।

श्री उपाध्यक्ष : आप खड़े हुए न।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, नहीं, ये बोल लेंगे न, मैं बोलूंगा पहले।

श्री उपाध्यक्ष : कटारियाजी बोलेंगे। आपको बोलने देंगे। डोंट वरी, आपको बोलने देंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : विपक्ष के नेता के पहले हम बोलेंगे। यह भी कोई बात हुई। आप भी झट से...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय बजट की गोपनीयता क्या होती है और बजट का आउट होना क्या होता है, इसे स्पष्ट करें। यह जो आपने जांच बैठाई, यह जांच किसलिये बैठाई? जब आपका बजट आउट नहीं हुआ तो आपने बाहर निकलते ही प्रेस में यह बात क्यों कही कि मैं इसकी जांच कराऊंगा? क्या यह इस बात को प्रमाणित करता है...

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आरोपों की जांच करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कि निश्चित रूप से आपने स्वयं अपने पहले रिएक्शन में इस बात को सबके सामने स्वीकार किया कि हां यह बजट में ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कभी नहीं कहा, यह वक्तव्य दिया ही नहीं गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दाल में काला है और उसे स्वीकार कर रहे हैं तो वित्त मंत्री क्यों नहीं कह सकता है। प्रधानमंत्री अगर यह कह सकता है कि दाल में काला है और इसकी जांच करवा रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री रामस्वरूप : व्यर्थ ही बातें दोहरा रहे हैं ये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सचेतक महोदय, आइये जरा समझाइये इन्हें। वे आपके + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री मदन दिलावर : + + + अब क्या चाहते हैं? (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय दिलावरजी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + भारत मां की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य जो बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। उनको क्वेश्चन करने दीजिए, इंटरप्ट मत करिये।

श्री संयम लोढ़ा : मेहरबानी करके, उपाध्यक्ष महोदय, वे गलत नहीं बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : That is not your look-out. यह आपका लुक-आउट नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सही-गलत का फैसला ये करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गलत नहीं कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने का मौका देंगे उस वक्त आप काउंटर कर देना। यह सही और गलत का फैसला आप कैसे कर सकते हैं? आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो रही है। जो भी चोरी निकले और ये खड़े हो जाते हैं।

श्री नगराज : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने की समय-सीमा होनी चाहिए। यह नहीं कि खड़े होकर भाषण दिये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। मेहरबानी करके इस डिबेट को चलने दीजिए। हाउस को चलने दीजिए। जैसी व्यवस्था है, व्यवस्था को कायम रखते हुए इसको चलने दीजिए। Let the Members speak. आप बोलना चाहेंगे तो आपको भी मौका दे देंगे। पूछना चाहेंगे तो आपको भी मौका दे देंगे लेकिन आप बीच-बीच में एक-एक शब्द पर अगर मैम्बर को इंटरप्ट करो तो वह कैसे बोले और कैसे यह हाउस चले? Please keep the House in order. माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर बजट आउट नहीं हुआ तो जांच किस बात की होनी है, एक प्रश्न? (व्यवधान)

क्या यह सच है कि बजट के लीक हो जाने के कारण कर विभाग ने तीस तारीख को जो छापा मारा तीन व्यापारियों के यहां, उनमें से दो व्यापारियों के यहां पम्प-सैट का डीलिंग, 9 लाख रुपये के सामान का लेन-देन 28 तारीख में किया गया और उसका एक केस आपके डिपार्टमैंट ने बनाया जिसमें 72 हजार रुपये टैक्स की चोरी प्रमाणित हुई? आपने बजट लीक होने के कारण, यह तो आपने केवल तीन जगह छापा मारा, आपने टैक्स के जो भी प्रोविजन किये, इनके अनुसार राजस्थान में कहीं और किसी जिले में छानबीन की

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या? और की तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

जब आपने संविधान की यहां शपथ ली कि मैं इस प्रदेश की जनता के साथ इन बातों के लिए अपने आपको पाबन्द करता हूं, क्या यह सच है कि आपने उस संविधान की शपथ की घोर अवहेलना की? या नहीं की? क्या, वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी, आप इस बात से अपने मन से संतुष्ट हैं, बजट का इस प्रकार से आउट हो जाना इस लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए उचित मानते हैं क्या? क्या आप इस बात को अपने इस बहुमत के आधार पर लोकतंत्र की हत्या की शुरूआत करने का पचास साल में पहला इतिहास बनाना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : गलत है यह।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : गलत है। दिल्ली में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। जगत सिंहजी। आपको तो सबसे पहले कहा आप बोले ही नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो वही आई। किस आधार पर आपने कुछ अधिकारियों को निलम्बित किया है या सन्देह के घेरे में रखा है? किस आधार पर?

एक माननीय सदस्य : मोबाइल तो बन्द कर लो।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे पास नहीं है। राजस्थान में क्या इससे ज्यादा भी कोई गैर-जिम्मेदार वित्त मंत्री अभी तक रहा है? (व्यवधान) सवाल किया है वह सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : किन से पूछ रहे हैं आप?

एक माननीय सदस्य : आपको किसने बहका दिया है?

श्री जगत सिंह दायमा : यहां का नहीं हूं इण्डिया का... (व्यवधान) क्या दाल में काला है या दाल ही पूरी काली है?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : इसका जवाब देंगे।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : प्रश्न पूछें। इसका उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी से पूछें। अटल बिहारी वाजपेयी से पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री यशवन्त सिंह।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वित्त मंत्रीजी से बता रहे हैं पहले बजट किसने पेश किया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : क्या यह बात सही है कि 1985 में माननीय राजीव गांधीजी ने भ्रष्टाचार के आरोप में इनका टिकट काटा? यह... (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : यह कोई तरीका हुआ क्या? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह वही लोग हैं... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : मर्जी आये सो बोल जाए, यह कोई तरीका हुआ क्या?

श्री कय्यूम खान : यह अटल बिहारी वाजपेयी से... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस बजट से क्या लेना-देना है?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह बजट लीक पर कुछ भी बोलें, हमें कोई लेना-देना नहीं है, बोल सकते हैं। पर यह एक्सपंज करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया, न बैठ जाओ आप कर दिया। आप बैठ जाओ न। कर दिया।

श्री रामस्वरूप : इसको एक्सपंज कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न। प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : एक्सपंज करिये। बोलने के नाम पर कुछ भी बोलें, इसकी कोई सदन इजाजत नहीं देता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन कीजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर पूछ रहा हूं इसको कि... (व्यवधान) माननीय वित्त मंत्रीजी का टिकट कटा था क्या?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। इर्रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं सुना जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सवाल पूछ रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह अपने प्रद्युम्न सिंहजी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दें। (व्यवधान) वित्त मंत्रीजी का।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको पाबन्द कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री रामस्वरूप : यह आरोप लगा रहे हैं, बंद कीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आगे बढ़िये। बोलने देंगे, बोलने देंगे। (व्यवधान) बोलो, आप बोलो। बैठिये-बैठिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह इस सदन में चरित्र हनन कर रहे हैं, बेइमानी का आरोप लगाकर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप इन पर चैक रखिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप इनके ऊपर चैक रखिये।

श्री रामस्वरूप : इनके खिलाफ + + + आरोप लगा रहे हैं यह इसलिए आप इनको बंद कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा काम है, आप तो बैठो। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान से यह जाहिर होता है कि यह सदन नही चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपकी यह बात लिखी जाएगी। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बजट लीक होने के बावजूद भी आप नहीं बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सदन की गरिमा का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : + + + व्यवधान पैदा करने के लिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह आप आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सदन नियम और परम्पराओं से चलता है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जब अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था कर दी तो फिर यह क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + मेरा आरोप है, उपाध्यक्ष महोदय, + + + और इसलिए यह शोर मचा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, बिराजिये-बिराजिये। (व्यवधान) दिलावरजी, बैठिये। एक मिनट आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : मेरा आरोप है और मैं विधान सभा में सिद्ध भी कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। रामस्वरूपजी। माननीय सदस्य, एक मिनट। एक मिनट माननीय सदस्य। आप बैठिये। बैठिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : जो दिलावरजी ने बात कही है वे क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप कोई उत्तेजित मत हों। कोई आब्जक्शनेबल बात होगी तो मैं स्वयं उसको रिकार्ड में निकाल दूंगा। आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सुन रहा हूं न। Let me see. If it is irrelevant I will get it off the record.

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या वित्त मंत्रीजी यह बताएंगे कि 1985 में इनका टिकट भ्रष्टाचार के आरोप में कटा था या नहीं कटा था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह आरोप गलत है। यह आरोप बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आप चाहे जो भी बोलें, कोई + + + है क्या आपकी ?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : वह बात अलग है उससे सदन का क्या लेना-देना ? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के नेता के बारे में... (व्यवधान) आप इस तरह भाषण दे रहे हैं या इस तरह... (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपका टिकट किस आरोप में कटा था, यह बता दो आप ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनके गम इन्हें बताएंगे।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप इनको पाबन्द करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या भाषण देना चाहते हो ? (व्यवधान) आप क्वेश्चन करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : वे भ्रष्टाचार की बात कहना चाह रहे हैं और आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में यह बात थी और बजट की यह कापी मैंने प्राप्त की। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जैसे पूर्व में माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन किये हैं वैसे क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप करो, भाषण अलाउ नहीं करूंगा मैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई रेलेवेंसी नहीं है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनेंगे नहीं तब तक तो कुछ भी नहीं होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस क्वेश्चन की कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई रेलेवेंसी नहीं है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपका टिकट किस आरोप में कटा था, यह भी बता दो आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1985 में टिकट काटा तो इसका बजट से क्या सम्बन्ध है ? (व्यवधान) माध्यम नहीं बनने देना चाहते। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : टोटली इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : सदन में चर्चा होनी चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का तहलका कांड मचा करके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाहते हो आप? What do you want to say?

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एलीगेशन लगाये हैं वह हमारे लिए भी लागू होता है। हमें भी टिकट नहीं मिला तो हम भी भ्रष्ट हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय सदस्य को टिकट नहीं मिला तो क्या यह भी भ्रष्ट है? (व्यवधान) आपको टिकट नहीं मिला, आप भी भ्रष्ट हैं क्या? (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इनसे पूछा जाए कि इनका टिकट किस आरोप में कटा था? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी टिकट कट गया था। माननीय सदस्य, किन आरोपों से कटा था? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहती हूं कि ... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो जो बोलें? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसे नहीं बोलेंगे सदन के अन्दर।

श्री सोहन नायक : इस विषय से कोई लेना-देना ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सम्माननीय सदस्य हैं, यह बात रख सकते हैं पर यह... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह कैसे बोल सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : जातिवाद नहीं चलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि ...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जातिवाद नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप क्यों दबा रहे हैं इनको? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : क्या जो बजट लीक में दोषी पाये गये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : क्या बजट में जो दोषी पाये गये हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी।

एक माननीय सदस्य : + + + जो आप बोल रहे हो, सदन की गरिमा समझें। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सुनूं या उनकी सुनूं? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष ने इस सदन के अन्दर अव्यवस्था फैलाने के लिए टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को और एक दो और सदस्यों को छोड़ रखा है लेकिन आसन की जिम्मेदारी है कि यह... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : यह आरोप है।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : यह आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : इसका मतलब क्या + + + है, क्या यह? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : छोड़ने वाली कौनसी बात है? (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि छोड़ रखा है, छोड़ रखा है तो क्या यह + + + है, इनको छोड़ रखा है (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : छोड़ रखा है आपको। कांग्रेस का टिकट नहीं दिया था आपको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इन्होंने इस तरह का आरोप लगाया, इसे सदन की कार्यवाही से निकलवाएं और... (भारी व्यवधान) यह माफी मांगे इस बात के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं अपनी पार्टी का वफादार सिपाही हूं, पार्टी के लिए लड़ता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजिये। आप बैठे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस तरह के असत्य आरोप लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैं नदबई से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न। आप काहे को खड़े हो गये? (व्यवधान) आप किसलिए खड़े हो गये?

श्री जगत सिंह दायमा : नदबई से आने वाले माननीय सदस्य गलत बयानी दे रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पार्टी के सबसे वफादार कार्यकर्ता और विधायक हैं इन पर ऐसे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये।

श्री रामस्वरूप : माफी मांगों इस बात के लिये। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किसलिये, खड़े हो गये? (व्यवधान) कोई रिकार्ड नहीं हो।

एक माननीय सदस्य : इनका साथ दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ××× (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे बारे में जो शब्द इन्होंने कहे हैं उनको निकलवाइये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप किसकी इजाजत से बोल रहे हो? एक्सपंज कर दो। कोई रिकार्ड नहीं होगा।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कुछ रिकार्ड नहीं होगा यह। आप कैसे बोल रहे हो?

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लिये। इनको बोलने दो आप। आप दोनों के वाक पीस हो क्या? बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, यह राजनीतिक मसला है, यह सदन का विषय नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह इस बात के लिए माफी मांगें, इन्होंने कैसे इस तरह का असत्य आरोप लगाया है। मुझे कोई भी नहीं कह सकता, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और पार्टी के लिए लड़ रहा हूं मैं। इस तरह का आरोप कैसे लगाया मेरे पर? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चाहे मुझे सदन से निकाल दिया जाए, सही बात तो यह है अव्यवस्था फैलाने के लिए...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + इनकी तो डोर बंधी हुई है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इनकी तो डोर बंधी हुई है, आपकी डोर कहां है, बताइये। हम कैसे हो सकते हैं, हम पार्टी के कट्टर सिपाही हैं। पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं और मरते दम तक लड़ते रहेंगे ऐसी लड़ाई।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप द्वारा यह व्यवस्था दी गयी थी कि जो कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहेगा, वह प्रश्न पूछेगा।

एक माननीय सदस्य : हां, वह कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्यारह बजे से लेकर अब तक सिवाय + + + के एक भी न तो कोई तथ्य की बात पूछी, न कोई बात कही गयी। (व्यवधान) ऐसी कोई वार्तालाप है ही नहीं। इस पर विस्तृत चर्चा बन्द की जानी चाहिये और सदन का जो कीमती समय है वह आगे की कार्यवाही में लिया जाना चाहिये। प्रतिपक्ष में बैठे जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं इन्होंने बजट

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

की जो धज्जियां उड़ायी, बजट सैशन के बाद जिस तरह छूट दी गयी, उसका तो आज तक कोई इतिहास नहीं बना।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको छूट दे रखी है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें आप अलाउ नहीं करते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन का समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बजट तो पेश यशवन्तजी रामू ने किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न। हो गया न। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि स्वस्थ बहस हो तो उसमें तार्किक बात की जा सकती है, लेकिन पूरा समय + + + में, + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको बिठाइये, + + + (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कैसे बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यशवन्त सिंह जी, खतम करो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + बैठ जाइये।

एक माननीय सदस्य : किसने किया भ्रष्टाचार? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं हम? + + + (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +

श्री रामस्वरूप : हम पक्के सिपाही हैं, आपके शरण नहीं आये जो इस तरह से बैठ जाएं।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह बजट लीक हुआ या आउट हुआ? आउट होने के पीछे क्या इनका या इनके परिवार का कोई हाथ था?

श्री राजेन्द्र पारीक : ...और उसकी झोंक से माननीय सदस्य को पता ही नहीं कि क्या से क्या हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बैठ जाओ। यह क्या तरीका है? + + +

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : दूसरा सवाल, क्या जिस दिन यह बजट लीक हुआ उससे ठीक लगातार तीन दिन तक माननीय फाइनेंस सैक्रेटरी और माननीय + + + किस पोस्ट पर हैं, आई डोंट नो, इनके कमरों में दारू चली? चली या नहीं चली, इसका जवाब दें? नम्बर तीन, क्या मुख्य मंत्रीजी ऐसे मंत्री से इस्तीफा लेने की मांग करते हैं?

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : पहले तो यह बताओ कि यह चोरी करके लाये हैं, चोरी करके कहां से लाये हैं कागज? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनसे पूछो कि यह कहां से चोरी करके लाये हैं? चोरी करके लाये, इनके पीछे किन-किन का हाथ है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान का वित्त मंत्री यशवन्त रामू। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज होना चाहिये कि यह कहां से चोर कर लाये हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बैठो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : चोरी की एफ.आई.आर. लिखवाओ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ...बजट आउट नहीं हुआ। बजट चोरी नहीं हुआ। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह आउट नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना, आपको बोलने का मौका देंगे। काहे को जल्दी कर रहे हो? आप बैठो न। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न। आपका नम्बर आए जब आप बोल लेना, तब कह देना। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : चोरी हुआ है, चोरी की एफ.आई.आर. दर्ज कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : जब आप बोलो, तब कह देना न। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : इस सैक्रेटरी ने और आप लोगों ने + + + किया है। जिसने यह + + + किया है, चाहे मैं क्यों न हूं, रिपोर्ट दर्ज कराए सदन। मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, जब यह रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी तब बताऊंगा मैं कि यह + + + यह नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो कल जो आने वाला समय है, 100-100 रुपये में बजट की कापियां बिकेंगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो। इतने गम्भीर मुद्दों को कह देते हैं कुछ नहीं था, रद्दी का टुकड़ा था। रद्दी का टुकड़ा था तो जांच किस बात की करायी इन्होंने? और रिपोर्ट चोरी की दर्ज करा रहे हैं। जब वित्त मंत्रीजी, जो जिम्मेदार हैं, वह फाइनेंस सैक्रेटरी से जांच कराएं? + + + क्या जांच करेगा? छोटे कर्मचारी को मारने के लिए? कम्प्यूटर आपरेटर जिम्मेदार है, वित्त मंत्री तो साफ हैं या वित्त सचिव तो साफ हैं। मैं कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इसकी रिपोर्ट दर्ज

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यशवन्त सिंह)

करायी जाए। अगर यह सदन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता तो मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, ऐसे नहीं बैठने दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़। एक्सपंज कर दो। इनको एक्सपंज कर दो। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बता रहा हूं न, नीचे बैठो। बैठें, आप बैठें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या एक्सपंज किया?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो नीचे। आपको मौका देंगे न बोलने का।

श्री अमराराम (धोद) : आप यह स्पष्ट करें कि रिपोर्ट दर्ज कराना, हाई कोर्ट और सुप्रीमं कोर्ट जाना क्या असंसदीय है?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हो क्या? आप बोल रहे हो?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आपने जो एक्सपंज करने के लिए कहा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठो। यह आपका काम नहीं है, मेरा काम है। आप बैठो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इनको बताया जाए क्या एक्सपंज किया?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपंज करना है तो सभी को बताया जाए कौनसा पोर्शन एक्सपंज किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बता रहा हूं न। आप बैठिये। आप बैठो तो बताऊं न। आप बैठो तो मैं बताऊं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, मैं बताता हूं। आप बैठो न। (व्यवधान) इन्होंने + + + शब्द का उपयोग किया, उसको एक्सपंज किया है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैंने यह कहा है कि + + + जांच करवाई जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनते ही नहीं हो आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कहा ही नहीं।

श्री रामस्वरूप : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप + + + नहीं कहेंगे तो क्या साहूकार कहेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं होता, शिष्ट भाषा का उपयोग होता है उसमें। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो वक्तव्य सदन में दिया है, वह वक्तव्य अपने आप में विरोधाभासी है। एक तरफ तो वित्त मंत्रीजी यह कह रहे हैं...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हफीज मोहम्मद : मंत्री इस तरह से बोलते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सिर्फ क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि जो बजट लीक हुआ वह बजट के दस्तावेज का हिस्सा नहीं है और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि जो पत्र नदबई से आने वाले विपक्ष के माननीय सदस्य ने वितरित किया वह उस मूल प्रारूप की प्रतिलिपि था। यह कहना क्या चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ से बाहर है।

(12.00 बजे)

एक माननीय सदस्य : वास्तव में आपकी समझ से बाहर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इसके साथ ही जो नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में टेबल किया, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

वित्त मंत्रीजी ने यह कहा है कि मूल दस्तावेज का इससे कोई लगाव नहीं है। वित्त मंत्रीजी, मैं पूछना चाहूंगा, आपने बजट प्रस्ताव, कर प्रस्ताव जो एक तरह से इस बजट की आत्मा है, वह प्रस्तुत किये हैं। पृष्ठ 48 पर इसका उल्लेख किया है और अनुच्छेद 106 से इसकी शुरूआत करते हैं। बजट के अनुच्छेद 106 के संख्या एक पर अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना प्रस्तावित है, और उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पत्र है, जो लीक होने वाला पत्र है, इसके पेज तीन के क्रम एक पर लिखा हुआ है कि अचल सम्पत्तियों पर मुद्रांक 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह समानता है या नहीं है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय के अनुच्छेद 106 के दो में प्रशमन योजनाओं के अन्तर्गत देय शुल्क में वृद्धि प्रस्तावित की गयी है और यह लीक होने वाले पत्र के पेज दो के बिन्दु एक में इसी तरह का उल्लेख है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, बजट के प्रस्ताव के अनुच्छेद 106 के तीन व चार जो हैं, वित्त मंत्रीजी, यह आपके इस बजट के अन्दर आप पढ़ लें और इसका मिलान कर लें। अरण्डी, ईसबगोल तथा जिंक आक्साइड और अग्निशमन यंत्र पर टैक्स दो प्रतिशत से चार प्रतिशत करना तथा चाय पर 6 से 8 करना प्रस्तावित है.

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और जो पत्र नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने वितरित किया है उसके प्रथम पृष्ठ के क्रम एक, दो, चार, पांच, छह पर इन सारी चीजों का यों का यों उल्लेख है। बजट के प्रस्ताव के अनुच्छेद 106 के भाग पांच में डिस्पोजेबल सिरिंज तथा एक्स-रे पर बिक्री कर 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत करना प्रस्तावित है और जो पत्र लीक होने वाला है उसमें पृष्ठ एक के क्रम संख्या सात व आठ पर इसका इसी तरह उल्लेख किया गया है। बजट के प्रस्ताव के अनुच्छेद 106 के 6 में फाउण्टेन पैन पर चार प्रतिशत टैक्स लगाना प्रस्तावित है और लीक होने वाले पत्र के पृष्ठ संख्या एक के क्रम तीन पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि फाउण्टेन पैन पर चार प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।

बजट प्रस्ताव के अनुच्छेद 106 के 7 में देखें, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक-दो नहीं है, एक-एक चीज का मिलान किया हुआ है और इसके अन्दर यह 23 ऐसे मामले हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सबने पढ़ लिया, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछें। यह तो पूरे सदन ने पहले से ही पढ़ लिया। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप कोई + + + हो क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है वित्त मंत्रीजी से, क्या वित्त मंत्रीजी, यह सही है कि बजट प्रस्ताव के अनुच्छेद 106 के साथ में आपने कपड़े धोने के साबुन पर बिक्री कर को 6 से 8 प्रतिशत करना प्रस्तावित किया तथा हस्तनिर्मित साबुन पर 6 प्रतिशत से बिक्री कर को कम करके 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित किया है और लीक हुए पत्र के पृष्ठ संख्या एक के क्रम सात पर करों की कमी में दी गयी तालिका के क्रम संख्या सात पर इन दोनों चीजों का उल्लेख है कि नहीं है?

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट लीक नहीं हुआ, यह बजट पूरा का पूरा आउट हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी, आपने किस बिना पर यह कह दिया कि यह बजट का मूल दस्तावेज नहीं है? उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट की आत्मा है। इन्होंने जितने कर लगाये हैं, 83 करोड़ के करों में अधिकांश...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह तो भाषण हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न की बात हुई है, भाषण की बात नहीं हुई है। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, इन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा सवाल पूछेंगे। केवल सवाल, भाषण नहीं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पुछवाइये। आपने इनको भाषण के लिए अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रश्न पुछवाइये और वह भी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वित्त मंत्रीजी से पाइंटेड सवाल है कि आपने 82 करोड़ के कर इस बजट में लगाये हैं, क्या उनमें से 95 प्रतिशत कर प्रस्तावों का यह जो पत्र लीक हुआ है इसके अन्दर उल्लेख है या नहीं है?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि वाटर पम्प के अन्दर पहली बार आपने 8 प्रतिशत टैक्स और 1.2 प्रतिशत सरचार्ज लगाया? क्या यह सही है कि आप स्वयं ने इस चीज को प्रेस के सामने स्वीकार किया है कि वाटर पम्प और दूसरी चीजों में कालाबाजारी हुई है और इसी कारण से सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मार कर कुछ व्यापारियों को पकड़ा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि वित्त मंत्रीजी स्वयं ने यह कहा कि 15 दिन के अन्दर जांच करवाएंगे और यह प्रकरण बहुत गम्भीर है? वित्त मंत्रीजी, अगर आप यह मानते हो कि बजट लीक ही नहीं हुआ तो फिर यह जांच प्रस्तावित करने का क्या कारण था?

मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि जब बजट प्रस्ताव वित्त मंत्रीजी पढ़ रहे थे, वित्त मंत्रीजी ने अपनी अटैची से बजट प्रस्ताव की पुस्तिका निकाली उससे पहले आपने बस्ता खोल करके उसी तरह की बजट पुस्तिका निकाल कर पढ़ना प्रारम्भ कर दिया? उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है। यह वित्त मंत्रीजी का प्रिविलेज है...

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहने से थोड़ी होगी कि वो पढ़ रहे थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, गलत आरोप है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जो बजट लीक हुआ है इसके अन्दर वित्त मंत्री के साथ-साथ मुख्य मंत्रीजी भी उतने के उतने दोषी हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण के अन्दर जांच से काम नहीं चलेगा। यह शक की सुइयां कहां घूम रही हैं, यह तो समय बताएगा। वित्त मंत्रीजी, क्या यह सही है कि पूरी मोटर पम्प पर जो आपने टैक्स इम्पोज किया, पी.वी. ट्रेडर्स, जो धौलपुर में स्थित है, इससे भी आपका कोई न कोई सम्बन्ध होगा न?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाटर पम्प का व्यापार इस ट्रेडर्स में जो कर रहे हैं यह कौन हैं? यह पिम्पू और विक्की, यह किस नाम से है, इसका आपसे क्या सम्बन्ध है? अरविन्द इण्डस्ट्रीज जो बगरू में पी.यू. फोम का काम करती है, इसका आपसे क्या सम्बन्ध है, क्या आप यह बताएंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट प्रस्ताव जिसका मैंने उल्लेख किया है, इसमें एक चीज ऐसी नहीं है जिसका मिलान नहीं किया गया। अगर सारी चीजों को मैं पढ़ूं तो समय लगेगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पी.यू. फोम, पी.ई.फोम, जिस चीज में इन्होंने प्रस्तावित किया, वह सारे के सारे वही हैं,....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया यह तो, पहले हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्ताव इन्होंने अपने इसमें प्रस्तावित किये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस पूरे मामले की जांच सी.बी.आई. से जब तक नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा।

वित्त मंत्रीजी, आप हमारी बात तो मानते नहीं, आप कम से कम अपने नेता की बात तो मानें। आप नवलजी की बात तो मानो, शिवचरणजी की बात तो मानो, आप चन्दनमलजी बैद की बात तो मानो। इन सबने आपको कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा है कि नैतिकता के नाते आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि दाल में काला बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। देंगे, देंगे, तसल्ली रखो।

श्री नवल किशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : Sir, I am on a question of personal explanation. उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह बात कही गयी मेरे रेफरेंस से कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं यहां सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे विचार अपने कुछ भी हो सकते हैं पर मैंने ऐसी कोई मांग कभी नहीं की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजादजी। (व्यवधान) हो गया न, अब आप क्या कहना चाहते हैं? बात खतम हो गयी न। श्री माहिर आजादजी। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवल किशोरजी का सम्मान करते हुए ...(व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : + + + आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : सदन को गुमराह कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सारा मामला ही + + + है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, + + + नहीं बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन में सरासर + + + बोलने के अभ्यस्त हैं।

एक माननीय सदस्य : सदन में + + + बोलते हैं, + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा है, अगर...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे डिबेट कर रहे हैं, यह कोई डिबेट का विषय नहीं है। और अगर आप इस तरह से बार-बार करते रहेंगे तो... (व्यवधान) टापिक हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक समझते हैं क्या?

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान) आज नैतिकता की बात करते हैं यह लोग। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह क्या तीर मार लेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई कमेंट नहीं हुआ। आप क्या तलवार चलाना चाहते हो, लाठी चलाना चाहते हो?

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो + + + इनको पता है कि एक झूठ को सौ बार बोलेंगे तो वह सत्य हो जाएगा। इसी का आसरा लेकर पहले दिन से इन्होंने बजट लीक, बजट लीक करके पूरे राजस्थान में संशय की स्थिति पैदा कर दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : बेहतर होता, हम अकाल की स्थिति पर चर्चा करते। बेहतर होता, हम बिजली पर चर्चा करते। बेहतर होता, हम राजस्थान की बहबूदी पर चर्चा करते। पूरे राजस्थान का समय बरबाद कर दिया, पूरे राजस्थान में संशय की स्थिति पैदा कर दी। + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इनको पट्टा दे रखा है बोलने का ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद, आप बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर हम राजस्थान का समय बरबाद कर रहे हैं तो आप देश का समय बरबाद कर रहे हो क्या ? क्या ताली पीट रहे हो इस प्रकार।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, अपनी बात पर आइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू ही नहीं किया और इनके पेट में दर्द हो रहा है। इसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निहायत अदब के साथ यह पूछना चाहता हूं। आप एक तरफ तो यह बात कहते हैं कि न तो बजट लीक हुआ, न नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कागज अध्यक्ष महोदय को दिया, आसन के पटल पर रखा वह आपके बजट प्रस्तावों से मिलता जुलता था। गैस होता तो यह हो सकता था कि पम्प सैट पर पैसे बढ़ेंगे या अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री पर बढ़ेंगे लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज कि उस पर डेढ़ परसेंट ही बढ़ेगा, उस पर एक परसेंट ही बढ़ेगा और उस पर दो परसेंट बढ़ेगा, इसको गैस नहीं कहा जा सकता, कहीं न कहीं इसका पता लगाया जाना चाहिए कि सच्चाई क्या है।

दूसरा, मैं जानना चाहता हूं, बजट जो बनाते हैं, क्या बजट बनाने में वित्त सचिव, विशिष्ट शासन सचिव (वित्त) और वित्त विभाग के अधिकारियों का रोल रहता है या नहीं रहता है ? अगर उनका रोल रहता है तो फिर आप उन्हीं से जांच क्यों करवा रहे हैं ? आपके खुद के क्या सही है, नहीं है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या आपने बजट लीक होने या बजट प्रस्ताव आउट होने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी ? अगर कुछ हुआ ही नहीं तो फिर इस्तीफे की पेशकश क्यों की थी ? दूसरी बात, आपने 15 दिन में जांच रिपोर्ट आने की बात कही थी, 29 तारीख को बजट प्रस्ताव यहां आपने पढ़े, आज तारीख 17 है, उसको बीस दिन हो गये, 15 दिन पूरे हो गये, आपने जो स्टेटमेंट आज सदन के सामने रखा है, क्या वह उस जांच रिपोर्ट के आधार पर रखा है ? क्या आपको जांच रिपोर्ट मिल गयी ? यदि जांच रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर आपने कैसे कह दिया कि उसके लिए जो दोषी हैं उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, उनको अनुशासनात्मक कार्यवाही का नोटिस दे रहे हैं ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि संदेह की जो बात आपने कही, आपने किसी के खिलाफ कोई एफ.आई.आर. आज तक दर्ज नहीं करवायी तो क्या आगे आप दर्ज कराने का इरादा रखते हैं ? क्या आप इस मामले की गम्भीरता को बनाये रखते हुए इसकी कोई न्यायिक जांच या कोई सदन के सदस्यों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

की संयुक्त समिति से इसकी जांच करवाना चाहते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि उससे किसी को कोई प्राफिट हुआ या उससे किसी को लास हुआ या नहीं, सवाल इस बात का है कि बजट का कोई भी कर प्रस्ताव अगर लीक हुआ है, फायदा और नुकसान होने के लिए लीक होता है, उसके बिना तो हो नहीं सकता, तो बजट की सैंक्टिटी खतम हो गयी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आप कृपया सदन को यह अवगत कराएं कि जांच बैठायी तो जांच के लिए आपने किस-किस को अधिकृत किया? हाउस के बाहर आपने प्रेस कांफ्रेंस में कुछ भी कहा होगा लेकिन आज भी आपने स्टेटमेंट में यह नहीं बताया कि आपने जांच का जिम्मा किसको दिया है, कितने दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद आप क्या करेंगे। वित्त विभाग के कोई कर प्रस्ताव या कोई भी हिस्सा, चाहे वह प्रेस नोट का कुछ भी था, लीक होने के बाद मैं यह नहीं कहता कि सचिव दोषी हैं या विशिष्ट शासन सचिव (वित्त) दोषी हैं, कहीं न कहीं, कोई न कोई दोष वित्त विभाग का ही है इसलिए क्या आप वित्त विभाग के अलावा किसी दूसरे विभाग से या न्यायिक जांच इस पर करवाना चाहते हैं? आप यह कहते हैं कि इससे किसी को प्राफिट एण्ड लास नहीं हुआ तो फिर पम्प सैट का मामला तो क्लियर आपके पास में आया है और उससे लोगों को फायदा और नुकसान हुआ है। एक ही दिन में कोई आदमी दस हजार पम्प सैट खरीद ले, 28 तारीख और 29 तारीख को बेच दे, जैसा आपने कहा था कि पारदर्शी और जवाबदेह आपकी सरकार है तो इसकी पारदर्शिता लाने के लिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि क्या आप इसकी जांच सदन की संयुक्त समिति से या न्यायिक जांच करवाना चाहते हैं? करवाना चाहते हैं तो कैसे और क्यों?

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। जो प्रश्न हाउस में आ गये हैं उनके अलावा यदि कोई प्रश्न माननीय सदस्य पूछना चाहें, रिपीटिशन से कोई फायदा नहीं है, यदि कोई नयी बात हो तो आप बता दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : हां, बिलकुल।

एक माननीय सदस्य : हां, इनके पास है, सर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बोल रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि क्या प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार किसी वित्त मंत्री के बजट भाषण को पढ़ा हुआ माना गया? ऐसा पहली बार ही हुआ है, इसका भी जवाब दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : यस।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा दूसरा प्रश्न है...

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने नया प्रश्न पूछा है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : है ही, और क्या, नहीं तो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बजट को पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो फिर पढ़ा हुआ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आप बजट को पढ़ने नहीं देते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने सुना नहीं। पूरा का पूरा पढ़ा गया था, आपने नहीं सुना? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप चले गये थे। अगर आप और विपक्ष सुनने की कोशिश करता तो मालूम पड़ता कि बजट पढ़ा था। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह जवाब देंगे आपको, उनको असिस्टेंट नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस में जब आप बड़ी चौपड़ की तरह का सीन करने लग जाएं तो फिर इसके अलावा चारा भी क्या बचा है? सौ करोड़ रुपया खर्च करके यह हाउस बना, इसमें तर्क से चर्चा होती। अपने को इसी तरह से हंगामा करना था तो बड़ी चौपड़ पर ही कर लेते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : दिल्ली में क्यों कर रहे हो? पूरे देश का समय क्यों बरबाद कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य : वहां की घटना यहां कर रहे हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बोल रही हैं तो बोलने दें न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलने दें जब चलूं न। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह भी सही है कि पहली बार मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत के पास भी उस बजट की एक कापी थी और वह उसे पढ़ रहे थे और बराबर पन्ने पलट रहे थे? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं नहीं, वह दूसरी किताब थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने देखा था क्या? बजट के साथ-साथ दूसरी किताब पढ़ रहे थे? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : Please sit down. I am in possession of the Floor.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। प्लीज। हां।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी प्रांगण मेरे कब्जे में है, आप बैठे रहिए, सुनिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

है। वित्त मंत्रीजी, क्या अब कर प्रस्तावों का कोई महत्व रह गया है? यह भी बताइएगा। क्योंकि आज दिन तक का यह इतिहास रहा है... (व्यवधान) देखिए, आप बीच में मत बोलिए, (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी जवाब दे देंगे। वह सक्षम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहे हैं, आ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब नही देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब देंगे, मेरे प्रश्न का देंगे। (व्यवधान) क्या यह बात सही है, जैसा कि मैंने पूछा, अब कर प्रस्तावों का कोई महत्व रह गया है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए पूछ रही हूं कि आज दिन तक केन्द्रीय सरकार में भी और विभिन्न प्रान्तों की सरकारों में किसी भी वित्त मंत्री ने वजट के जरिए पैसा नहीं कमाया है। और अब जो परम्परा चल निकली है, आवश्यकता तो सभी राजनीतिक पार्टियों को है, सभी चुनाव लड़ने वालों को धन की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या इस परम्परा के अनुसार कर प्रस्तावों के जरिए, एक कर प्रस्ताव के बारे में भी कह कर क्या आप नया रास्ता नहीं खोज रहे हैं धन कमाने का? इसका भी जवाब आप मुझे दे दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : 1998 में पूर्ववर्ती सरकार ने बजट सत्र के समापन के बाद... (व्यवधान) रुपये की छूट देकर जिस तरह का एक रिकार्ड कायम किया उससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति राजस्थान के इतिहास में कोई दूसरी नहीं हो सकती।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या हैं? ये मंत्री हैं या वित्त राज्य मंत्री हैं? (व्यवधान) इनको आप क्यों नहीं रोकते। हर बात पर खड़े होते हैं। इन्होंने ठेका ले रखा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं माननीय सदस्य हूं और मुझे अधिकार है कि सदन में रह कर हिस्सा लूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको जवाब देने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार है। जो कुछ कहना है वह आप आसन को कहें, हमको क्यों कहते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप भी जो कुछ कह रहे हैं, आसन से कहें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : + + + आप तीसरी बार आये हैं। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय सदस्य को माननीय उपाध्यक्ष महोदय ही टोकेंगे, आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन की चर्चा में हिस्सा लेने का हक है। आपकी मेहरबानी से नहीं हूं मैं। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : ये भी माननीय सदस्य हैं, इनको अपनी बात कहने का अधिकार है।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई किसी की मेहरबानी से नहीं है। मैं भी आप लोगों की मेहरबानी से नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महादेव सिंह : आपको कोई अधिकार नहीं है इनको रोकने का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय टोकेंगे, आप कौन होते हैं, बताइए, आपको किसने अधिकार दिए हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन से कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो, प्लीज।

श्री महादेव सिंह : क्या आपको आसन ने दिये हैं?

एक माननीय सदस्य : दाल में काला है सारा ही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : ये तहलका के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कभी? एक शब्द नहीं बोला आज तक तहलका के बारे में, इसके बारे में बोल रहे हैं। क्या वहां चोरी नहीं हुई? (व्यवधान) सही बात को कहो।

एक माननीय सदस्य : मिलीभगत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : तहलका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि इन्होंने तो छोड़ रखा है, आप तो कम से कम व्यवस्था किया करें। इन्हें कन्ट्रोल किया करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें, क्या बोलना हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी वित्त मंत्रीजी ने मेरी बात को सुना नहीं...

एक माननीय सदस्य : इसमें वित्त मंत्रीजी क्या करेंगे, हमारे रामनारायणजी ही जवाब दे देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कमलाजी ने लिख लिया था। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी बात का जवाब तो वित्त मंत्रीजी ही देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वापस कह दीजिए। (व्यवधान) आप दोबारा कह दीजिए।

एक माननीय सदस्य : छोटी-मोटी बातों का जवाब तो वे ही दे देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह बात सही है कि अब कर प्रस्तावों का कोई महत्व नहीं रह गया है? यह बात मैं इसलिए कह रही हूं आपसे कि आज दिन तक केन्द्र सरकार में और इस देश की विभिन्न प्रान्तीय सरकारों में...

श्री राजेन्द्र पारीक : तहलका प्रकरण में चर्चा करनी चाहिए थी।

एक माननीय सदस्य : तहलका पर प्रकाश डालिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उस पर यदि चर्चा होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक दिन नियत कर दिया जाए तहलका के लिए। क्या यहां पर तहलका पर चर्चा होगी?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तहलका पर करो न, कौन मना कर रहा है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तहलका के बारे में कुछ बात कहो न।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : चर्चा कराची जाए अकाल पर। (व्यवधान) मैं जनता की बात कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : अकाल पर कहां कर हैं? आप तो भाषण दे रहे हैं। इस पर सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चार क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन छोड़े हुए लोगों से मैं प्रोटेक्शन चाहूंगी, यह माननीय सदस्यों को छोड़ रखा है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, इन छोड़े हुए, व्यक्तियों से क्या मतलब है? छोड़े हुए क्या शब्द है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अव्यवस्था फैलाने से है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : हम कैसे छोड़े हुए हैं? ये बोलें तो सही है और हम छोड़े हुए? (व्यवधान) यह कैसे ऐसी बात कर सकती हैं? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से छोड़े हुए व्यक्ति की परिभाषा जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सम्मानीय सदस्य दूसरे सदस्यों के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करे जैसा बार बार आप कर रही हैं।

श्री संजीव कुमार : यह छोड़े हुए शब्द का क्या मतलब है? (व्यवधान) छोड़े हुए व्यक्तियों का क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, छोड़े हुए व्यक्तियों की परिभाषा बताएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह छोड़े हुए, बचे हुए क्या हैं? (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार बार या कह रह्या छै...

श्री उपाध्यक्ष : देवीलालजी, बैठिये।

श्री देवीलाल बैरवा : यह बार बार कह रह्या छै छोड्या हुआ, कुणको नुकसान कर रह्या है छोड्या है जकां, या बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कोई छोड़ा हुआ या लाया हुआ व्यक्ति इस सदन के अन्दर नहीं आ सकता।

एक माननीय सदस्य : सब चुने हुए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इस सदन के अन्दर जनता से निर्वाचित सभी माननीय सदस्य हैं। कोई किसी का छोड़ा हुआ व्यक्ति तो कोई है ही नहीं यहां पर। इस पूरे सदन के अन्दर कोई व्यक्ति तो नहीं, सभी माननीय सदस्य हैं। सभी सदस्यों को माननीय सदस्य के रूप में ही सम्बोधित किया जाता है। व्यक्ति के नाम से किसी माननीय सदस्य को नहीं पुकारा जा सकता। यह व्यवस्थाएं आपके हुई हैं कि यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, सभी माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : माननीय सदस्या को सदन में माफी मांगनी चाहिए।

श्री संजीव कुमार : माननीय सदस्या को माफी मांगनी चाहिए सदन में। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन माननीय सदस्यों को तो ऐसी व्यवस्था और ऐसी ट्रेनिंग दीजिए, नहीं तो बोलते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : छोड़े हुए का क्या मतलब हुआ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पकड़ा हुआ कौन है फिर?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बोलिये प्लीज। आप बोलिये। बोलिये भी और समाप्त भी कीजिए, दोनों ही बात कीजिए। जोशीजी, बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी से मैं पूछ रही थी और कह रही थी, उनसे मैंने पूछा कि क्या अब कर प्रस्तावों का कोई महत्व रह गया है? यह बात मैंने इसलिए पूछी है, वित्त मंत्रीजी, कि आज दिन तक केन्द्रीय सरकार में और भारत की विभिन्न प्रान्तों की सरकारों में किसी भी वित्त मंत्री ने, हालांकि राजनीतिक दलों को और राजनीतिक व्यक्तियों को धन की और पैसे की आवश्यकता होती है लेकिन किसी ने बजट के जरिये (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक एक बात को बार बार कह कर क्यों सदन का समय बरबाद कर रहे हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब बोलना ही नहीं आता, प्रश्न पूछना नहीं आता तो क्यों खड़े हो जाते हैं माननीय सदस्य? (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला सदस्य बोल रही हैं उनको बोलने दिया जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक सदस्य को एक मिनट का समय दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। थोड़ी कृपा करो, महिला बोल रही हैं। थोड़ी-सी कृपा करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिला के नाते नहीं, मैं सदस्य हूं। मेरे को महिला वहिला की बात नहीं कहिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : लांछन लगाने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी।

श्री हीरालाल इन्दौरा (राज्य मंत्री, खनिज) : इस प्रकार की बातें कि छोड़ा गया है, माननीय सदस्या को पूछो कि आपने किसको छोड़ा है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस तरह की परम्परा डालकर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप तो रुको।

श्री शैलेन्द्र जोशी : छोड़े हुए का क्या मतलब होता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री संजीव कुमार : माननीय सदस्य होने के नाते छोड़े हुए थोड़े ही बोलेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या यह परम्परा नहीं डाली जा रही है कि इस तरह से धन कमाया जा सके?

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी, बिराजिये। आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनकी भाषा पर...(व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य के बारे में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो प्लीज। एग्जामिन कर लेंगे भाषा को।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित होगा कि माननीय सदस्या इस पर क्षमा मांगें। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित होगा कि माननीय सदस्या इसमें क्षमा मांगें। यह शब्द संसदीय भाषा का नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मांफी मांगनी चाहिए आपको। (व्यवधान) बिलकुल आपको माफी मांगनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बिराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों को बोलना नहीं आता उनको ट्रेनिंग दिलाओ पहले, ट्रेनिंग। (व्यवधान) ट्रेनिंग सेंटर खोलो पहले तो...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोड़ा हुआ क्या है, यह क्लियर करने की बात है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्षजी, छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, जना हुआ माना जाएगा। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : छोड़ा हुआ क्या होता है, किसको छोड़ा हुआ है?

श्रीमती सुमित्रा सिह : अव्यवस्था फैलाने के लिए छोड़ रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : फिर पकड़ा हुआ कौन होता है सदस्य? (व्यवधान) एक सदस्य दूसरे माननीय सदस्य को आदर सूचक शब्दों से सम्बोधित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी, बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : छोड़ा हुआ, छोड़े हुए, एक बहुत ही शिष्ट भाषा का प्रयोग करना होगा। (व्यवधान) सदन की मर्यादा...

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत वरिष्ठ सदस्या हैं, हम लोग इनसे सीखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, बोलिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) एक बहुत ही शिष्ट भाषा का प्रयोग करना होगा। यह अशिष्ट भाषा है। (व्यवधान) अपनी शिष्ट भाषा की अभिव्यक्ति करें। छोड़ा हुआ, पकड़ा हुआ ऐसे अगर माननीय सदस्य बोलेंगे तो सदन की मर्यादा बहुत ही गिरेगी। (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं तहलका को नहीं छोडूंगा। तहलका के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मरूंगा और मारूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की ओर से जो बजट पूर्णतः आउट और लीक हुआ, वित्त विभाग के मुखिया वित्त मंत्रीजी हैं।

एक माननीय सदस्य : तहलका पर बोलो, तहलका पर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : पूर्णतः राजस्थान का बजट पहली बार राजस्थान के इतिहास में जिस तरह से आउट हुआ है उसका नैतिक दायित्व था, जिस तरह से राजस्थान की जनता के सामने पहली बार जो राजस्थान का बजट लीक हुआ जिनकी जिम्मेदारी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सबको बोलने दूंगा। हाउस एडजोर्न हो गया क्या?

श्री अमराराम (धोद) : वित्त विभाग की, और अगर राजस्थान की सरकार थोड़ा बहुत भी नैतिक दायित्व रखती थी तो इस वित्त विभाग के बाहर से सदन की सर्वदलीय कमेटी से या न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब तक इस बजट आउट होने का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक राजस्थान के वित्त मंत्री को वित्त मंत्री की कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक दायित्व नहीं है। केवल जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने...

एक माननीय सदस्य : भाषण नहीं, प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नहीं, प्रश्न। प्रश्न।

श्री अमराराम (धोद) : क्या यह सच है कि जिस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार तहलका पर जो दिख गया, लीपापोती

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम)

करना चाहती है उसी तरह से राजस्थान की सरकार इस बजट के आउट होने को केवल लीपापोती करना चाहती है। वित्त सचिव के माध्यम से? राजस्थान के सदन में पक्ष की ओर से और प्रमुख विपक्षी दल की ओर से क्या इस बात का यह देकर कि इन्होंने तहलका किया है इसलिए हमने बजट लीक करके जो कुछ कमाने की मंशा जाहिर की है वह सच साबित हो जाए, न्याय साबित हो जाए, इन्होंने तहलका किया दिल्ली में सरकार में बैठकर तो क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के वोट लेकर, बहुमत लेकर, प्रचण्ड बहुमत लेकर यहां बजट को लीक करने का अधिकार प्राप्त कर सकती है? यह दोनों मिलीभगत की ए और बी टीम, केवल यह दे करके सिद्ध करना चाहते हैं कि एक ने खाया है इसलिए दूसरे को यह अधिकार मिल गया है। यह कतई अधिकार नहीं है। राजस्थान की जनता के लिए यह सबसे घृणित कार्य है और मैं तो मांग करूंगा सदन से कि राजस्थान की जनता से विकास करने के लिए जो आप वायदे करके आये हैं, पारदर्शी सरकार, संवेदनशील सरकार का नारा दिया है...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : भाषण नहीं, भाषण नहीं। भाषण बंद करो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अगर सरकार यह साबित करना चाहती है तो जब तक न्यायिक जांच नहीं पूर्ण हो जाती, रिजल्ट नहीं आ जाता राजस्थान की जनता के सामने, वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्रीजी को जिन्होंने 28 तारीख को मुख्य मंत्रीजी के सामने प्रस्ताव रखा। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, केवल इस जिद के लिए कि राजस्थान की सरकार 153 के बहुमत में हैं। बहुमत से हम सिद्ध करना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी दया से नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आपके आशीर्वाद से नहीं है। (व्यवधान) जनता ने दिया है बहुमत। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : नैतिकता के आधार पर जब तक यह जांच पूर्ण रूप से नहीं हो जाती तब तक राजस्थान के वित्त मंत्री को इस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर वह नहीं देते हैं तो इसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जिम्मेदार हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अब दे दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा भाषण नहीं देते हुए दो प्रश्न वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री दुर्गाप्रसाद : मेरा पहला प्रश्न है कि बजट के कागजात जो माननीय सदस्य इस सदन में लेकर आये, क्या इंक्वायरी में इंक्वायरी आफिसर ने उनसे पूछताछ की थी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो मान रहे हैं यह...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : कि उन्होंने यह बजट के कागजात कहां से और कितने पैसे देकर प्राप्त किये। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : विधायक दल की जांच कमेटी बैठाई जाए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही बात कही है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : पूछने का माननीय सदस्य को अधिकार है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दबा रहे हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दबा रहे हैं इस तरह...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, सुनियेगा। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछ रहा हूं, हमारे माननीय सदस्य वैसे ही उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) कोई पाइंट आफ आर्डर यहां है ही नहीं।

श्री दुर्गाप्रसाद : दूसरा प्रश्न है, यदि इंक्वायरी नहीं की गयी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब सब काम विना पाइंट आफ आर्डर चल रहा है, बिराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना : व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, विराजें, प्लीज। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : यदि माननीय सदस्य से इंक्वायरी नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी जबकि इंक्वायरी यहीं से शुरू होनी चाहिए थी? दूसरा मेरा प्रश्न है...

एक माननीय सदस्य : घर से मिली...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : यदि माननीय सदस्य द्वारा बजट लीक हुआ है, वित्त मंत्री महोदय, यदि बजट लीक हुआ है तो माननीय सदस्य द्वारा जो बजट सदन में वित्त मंत्री द्वारा पढ़े जाने या प्रस्तुत करने से पहले आम जनता में वितरित किया गया, क्या यह सदन के विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में नहीं आता? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण देने का मौका... (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाए तब दीजिये आप। (व्यवधान) मुझे बोलने का अधिकार है, बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन (व्यवधान) यह सदन की परम्परा...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, मैं प्रश्न पूरा करूंगा। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बजट की कापी कहां से प्राप्त हुई। वित्त मंत्रीजी के घर से प्राप्त हुई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप कहना चाहते हो, असत्य बुलवाना चाहते हो और मैं कहता हूं विधायक दल की कमेटी गठित करो, मैं प्रूव करूंगा कि कहां से मिली।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह दिया न आपने...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह दिया न आपने...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह + + + यह कह दें बिकी, + + + (व्यवधान) + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मुझे खरीदने की कोशिश की गयी...(व्यवधान) इन्होंने मुझे धमकी दी...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी ...(व्यवधान) लगातार धमकियां दी जा रही हैं। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री दुर्गाप्रसाद : खरीद नहीं सकते... (व्यवधान) इसमें कोई मुद्दा नहीं है...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान) आज माननीय मुख्य मंत्रीजी मना करें कि मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को वाकायदा लिखित में कहा था कि मेरे को खरीदने और लगातार धमकियां दी जा रही हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद : यह क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मुझको धमकी दी गयी। इनके ओ.एस.डी. मिस्टर धीरज श्रीवास्तव को मैंने इस बात से अवगत कराया कि मेरी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आज मेरे साथ कुछ हो जाता है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी जिम्मेदार होंगे क्योंकि मैंने यह पेपर दिल्ली में पढ़ा... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या भाषण करवा रहे हैं...(व्यवधान) इनको अनुमति नहीं दी गयी है...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : भाषण बंद कराएं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जान का खतरा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है...(व्यवधान) इनको धमकी दी जा रही है। इनको प्रताड़ित किया जा रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : आप बोल चुके हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मानिक चन्द सुराना...(व्यवधान) आप बैठिये प्लीज, I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको इनका नोटिस लेना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें प्लीज...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, you have to take cognizance of this.

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not take. I will take it at a proper time. I have called upon him.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनके जीवन का सवाल है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। (व्यवधान) माननीय मानिक चन्द सुराना।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं सदन से सुरक्षा की...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इसको गम्भीरता से लेना चाहिए आपको...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चलने नहीं देना चाहते...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य को धमकी दी गयी है...(व्यवधान) उन्होंने अपने परिवार के खतरे की बात कही है। आपको उसके ऊपर काग्निजेंस लेना चाहिये। आसन से मांग की है। आसन को जवाब देना चाहिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर बात है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, गम्भीर है, गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य ने कहा है उनको धमकी दी जा रही है, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे में मुख्य मंत्री कार्यालय इन्वाल्वड है...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप पहले बोल चुके हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तहलका, तहलका...(व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : अब मौका खो चुके हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मिर्धा साहब, विराजें... (व्यवधान) हां, आपको बोलने दूंगा। (व्यवधान) आप विराजें। मानिक चन्द सुराना।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ठीक है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बोल चुके हैं...(व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद : आप पूछ चुके हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, I will not allow. I will allow after him. (व्यवधान) इसके बाद अलाउ करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : धमकी दी जा रही है और आप अलाउ नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : I have called upon him.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सुनिये तो सही...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री दुर्गा प्रसाद : आप प्रश्न पूछ चुके हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक माननीय सदस्य ने इश्यू रेज किया कि उसको धमकी दी जा रही है और आप उसका नोटिस नहीं ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कोई व्यवस्था नहीं होती है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसिडिंग्स देखूंगा उसके बाद तय करूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : आपको मालूम है तो हमको भी बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको व्यवस्था देनी चाहिये। यह कोई व्यवस्था नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सब काम अव्यवस्था में चल रहा है, काहे की व्यवस्था देवें। (व्यवधान) विराजें प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनके जीवन को खतरा हो रहा है, उन्हें धमकी मिल रही है...(व्यवधान) आप काग्निजेंस नहीं ले रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) How are you concerned?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक माननीय सदस्य ने कोई निवेदन किया, अपनी एक बात कही, आप उस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उन्होंने तो आसन से प्रोटेक्शन चाहा है, आसन की जिम्मेदारी है। आसन की जिम्मेदारी है हम सबकी सुरक्षा की। (व्यवधान) आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप अपनी सीमा में रहें तो प्रोटेक्ट करें। हम कैसे करें? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सीमा में ही वह बता रहे हैं। (व्यवधान) आप उसका ध्यान दें। उन्होंने जो बात कही है उस पर ध्यान दें। (व्यवधान) व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान) मुझे ध्यान में है। वह देख लूंगा। उसको देख लूंगा...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, बस।

श्री उपाध्यक्ष : देख लूंगा उसको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कह दिया मुझे मालूम है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देख लूंगा न। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप व्यवस्था दीजिये। सरकार को निर्देश दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सुरानाजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी अनहोनी घटना घटित हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : रुको न, हो जाएगी तो देखेंगे। अभी तो नहीं हो रही है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : तहलका से ज्यादा अनहोनी क्या होगी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : कोई अनहोनी नहीं हो सकती है। तहलका से बड़ी अनहोनी कुछ नहीं हो सकती है...

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

(व्यवधान) + + + (व्यवधान) तहलका से बड़ी कोई अनहोनी नहीं हो सकती।

श्री हफीज मोहम्मद : भ्रष्टाचार की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : राजेन्द्र राठौड़जी, जब तक आप बैठे हैं कोई घटना नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। मैं उसको देखूंगा, उसमें कोई बात होगी तो एक्सपंज कर दूंगा। (व्यवधान) I will see to it.

एक माननीय सदस्य : यह क्या बात कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारा तो सब कुछ एक्सपंज कर दीजिये आप, लेकिन उसके जीवन की...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : कोई घटना नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें न, हो गयी बात। अब क्या है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : देश के अन्दर तहलका से बड़ी अनहोनी क्या होगी? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 120 घोटाले किये हुए हैं, उनको देखें पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको तो एक्सपंज कर दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, विराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या कहना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा कि एक्सपंज नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कह रहे हैं कि अभी एक्सपंज कर दूंगा...(व्यवधान) उसको एक्सपंज कर दें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा है कि जो प्रोसिडिंग्स में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मैम्बर ने यहां पर गम्भीरतम मसला उठाया है, बजट लीक के ऊपर पूरा सदन रुका हुआ है। 15 दिन के दरमियान इनको धमकी दी जा रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके भाषण के लिए नहीं आये हुए हैं यहां...(व्यवधान) आपके भाषण के लिए नहीं बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गृह मंत्रीजी बैठे हैं, जवाब क्यों नही देते हैं इस बात का?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, धमकी कौन दे रहा है? सरकार की तरफ से दी जा रही है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री आर. पी. शर्मा : इनको कोई धमकी नहीं देगा...(व्यवधान) यह बहका रहे हैं... (व्यवधान) यह उलटे धमकी देते हैं लोगों को। गलत बात करते हैं। इनके बारे में काले कारनामे सबको मालूम हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैंने यह कहा है कि मैं प्रोसिडिंग्स देखूंगा उसमें ऐसी कोई बात हो तो एक्सपंज कर देंगे। देखूं तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कर रहे हैं आप? (व्यवधान) गृह मंत्रीजी कहां है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लैट मी सी। उसको देख लेने दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई? उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, हिफाजत की जाए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य। चलने देनी है कि नहीं देनी है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई अनपार्लियामैंट्री बात हो तो... (व्यवधान) सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये मानिकजी।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो इल्जाम लगाये हैं उसके पहले वह अपनी बात कह चुके हैं और उस वक्त में उन्होंने बिलकुल इस बात को नहीं दोहराया है। उन पर जब चार्ज लगा है, एक पत्रकार से ली, तब उन्होंने मनगढंत बात करके सारे सदन को गुमराह करने की बात कही। उन्होंने अपनी बात को उस वक्त नहीं कहा, उनको कहना चाहिये था कि उनको कोई खतरा है। (व्यवधान) उस वक्त क्यों नहीं कहा कि आपकी जान को खतरा है? न आपने यह बात सी.एम. को कही तब उस वक्त भी इस बात को नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी या नहीं की थी? माननीय मुख्य मंत्रीजी मना कर दें इसको खड़े होकर कि मैंने मांग नहीं की थी उनसे।

श्री हफीज मोहम्मद : इस तरह की बात से सरकार को बदनाम करने की बात करना चाहते हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी मना कर दें कि मैंने इनको 29 तारीख को बजट लीक हुआ और एक तारीख को पत्र लिखा। अगर ये इसको मना कर दें...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : इनको तो अखबारों से ही खतरा है, थोड़ा ठण्डा पानी कम पिओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर : आपको किससे खतरा है?

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न बहुत। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि मेरे घर लगातार धमकियां दी जा रही हैं और मुझे खरीदने की कोशिश की जा रही है।

श्री बाबूलाल नागर : कहीं वहम तो नहीं आ रहा, सपने में धमकियां दिख रही हों।

एक माननीय सदस्य : आप तो खुद ही धमकियां देते फिरते हो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : टेलीफोन पर रात को मैंने इनको दो बार सूचित किया और इनके ओ.एस.डी. मिस्टर धीरज श्रीवास्तव ने टेलीफोन अटैण्ड किया। मैंने कहा, मुख्य मंत्रीजी से बात कराई जाए।

श्री बाबूलाल नागर : आए दिन दुकानों पर धमकाते हो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : फिर दिल्ली में थे तो दिल्ली में अवगत कराया। माननीय मुख्य मंत्रीजी बाहर टहल रहे थे। मेरे तीन बार टेलीफोन करने के बाद भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात नहीं हुई। फिर मैंने स्टेट के गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत साहब से बात की। अगर ये भी डिनाई करें कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। मैंने दिल्ली से इनसे बात की कि मेरे परिवार को धमकियां दी जा रही हैं लगातार, अगर ये मना कर देते हैं।

एक माननीय सदस्य : बनी बनाई बातें कहते हैं सारी।

श्री दुर्गा प्रसाद : अखबार के लिए बात कर रहे हो क्या, खुद के नाम को छपाने के लिए बात कर रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : कुछ भी हो सकता है। हम तो उस इलाके में आते-जाते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य को लगातार धमकियां दी जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए प्लीज।

श्री रामस्वरूप : तहलका पर नहीं बोलने के लिए मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, ये धमकी देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, विराजिए। माननीय गृह मंत्रीजी, माननीय सदस्य की सुरक्षा की जांच करने की आवश्यकता हो तो व्यवस्था कराएं और ऐसी कोई घटना नहीं घटे इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करें।

श्री रामस्वरूप : सबकी सुरक्षा की व्यवस्था कराएं। (व्यवधान) तहलका पर मैं रोज बोलता हूं, मुझे नहीं बोलने के लिए धमकियां मिल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया तहलका प्रकरण।

श्री रामस्वरूप : मैं तहलका पर बोलता हूं, मुझे मिल रही हैं धमकियां।

एक माननीय सदस्य : यहां हर कोई सदस्य बोलेगा, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करवा दें आप। कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी सुरक्षा करवा दें। जनता ने पांच साल की कर दी इनकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठिए, रामस्वरूपजी, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : मेरी जान को खतरा है, मेरी भी सुरक्षा की जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी जान के खतरे में होने की धमकी की बात कही है। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखने का भी यहां हवाला दिया है। इन्होंने, मैं दौरे पर गया था तो टेलीफोन पर सूचना दी थी कि इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। मैंने इनसे कहा है कि आप मुझे बता दें कि किस शहर से, किस गांव से, किस तरह से धमकियां आ रही है ताकि इसकी जांच करवा दें।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : धौलपुर से आ रही हैं, धौलपुर से।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलने से कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। अब भी मैं इस सदन के मार्फत नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि धमकियां आ रही हैं, टेलीफोन से आ रही है, किस गांव से आ रही हैं, किस शहर से आ रही है, क्या आ रही हैं, अगर वे लिखित में देंगे तो मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करूंगा।

श्री रामस्वरूप : माननीय गृह मंत्रीजी, तहलका प्रकरण पर बोलने के लिए मुझे भी सुरक्षा प्रदान की जाए, मेरी जान को खतरा है। (व्यवधान) मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, आपकी सुरक्षा करवा देंगे, आप विराजो।

श्री रामस्वरूप : गृह मंत्रीजी द्वारा?

श्री उपाध्यक्ष : हां, गृह मंत्रीजी कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको तो इनकी घरवाली ही धमकी दे रही है।

श्री रामस्वरूप : मेरी जान का खतरा है, तहलका पर बोलता हूं। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने मुझे तो दे दी सुरक्षा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि यशवन्त सिंहजी ने उनको इस प्रकार की सूचना दी थी कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आपने यह बात भी स्वीकार की है कि मुख्य मंत्रीजी को इस प्रकार की सूचना दी थी। यह तो उन्होंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने स्वीकार नहीं की है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : इन्होंने स्वीकार नहीं की है, सदन के हवाले से कहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कहा है कि हाउस में ये जो बोले हैं।

एक माननीय सदस्य : बेकार के चक्कर में मत डालो, शेखावतजी, चक्कर में मत डालो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वह मान लीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय नेता महोदय, मैंने एक बात स्वीकार की थी कि इन्होंने मेरे को टेलीफोन किया था मोबाइल से, मैं इनसे पूरी जानकारी चाहता था, जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं कराई। अब भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर जानकारी उपलब्ध करवा दें कि किस सम्बन्ध में धमकियां दी जा रही हैं, किस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं, आज विधान सभा की कार्यवाही में देखकर बता दें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुरक्षा की व्यवस्था तो कराएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप होटलों और दुकानों को तो धमकियां देते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गृह मंत्रीजी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि अगर आपको सूचना मिली, ये सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन कर रहे थे, गृह मंत्रीजी ने स्वीकार किया है इस हाउस में कि माननीय सदस्य ने उनको सूचना दी थी कि उनकी जान को खतरा है। आप यह कह रहे हैं....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसी कोई सूचना नहीं दी उन्होंने कि धमकियां दी जा रही हैं मुझे।

एक माननीय सदस्य : अभी कह रहे हैं, पहले नहीं कहा। सदन से पूर्व नहीं कहा इन्होंने।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी कह रहे हैं, सदन के पहले कोई इस तरह की बात इन्होंने नहीं कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब कही थी?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जस्ट अभी, अभी-अभी हाउस में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगा लें गृह मंत्रीजी के वक्तव्य से कि इसमें कितनी सत्यता है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जमा नहीं मामला, यह बैठा नहीं मामला।

एक माननीय सदस्य : यह तो तहलका का मामला है, एक झूठ को छिपाने के लिए दस झूठी बात बोलनी पड़ती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं और ये अभी इस तरह से बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान) हम एक को भी नहीं बोलने देंगे, यह बार-बार क्या? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस वक्तव्य से पहले श्री यशवन्त सिंहजी ने कहा कि मैंने मुख्य मंत्रीजी से टेलीफ़ोन पर बात करने की कोशिश की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लिख कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक तारीख को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी को एक तारीख को लिख कर भी दिया। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी को सूचना दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने उनकी सुरक्षा का तुरन्त प्रबन्ध क्या किया?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अपनी जान के खतरे की कोई सूचना हीं नहीं दी तो क्या व्यवस्था करते? मेरे को आज दिन तक इस हाउस के अलावा नहीं बताया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य ने दो बार मेरे यहां पर इत्तला की टेलीफोन से कि इस तरह की धमकियां आ रही हैं। दोनों बार मैंने मेरे स्टाफ को मेरे टेलीफोन पर चूंकि मैंने वहां पर काल बैक किया। कल रात को भी इनका फोन आया था, मैंने कल काल बैक किया तो ये वहां पर उस वक्त नहीं मिले। वहां पर से कहीं चले गये। इनकी जगह हमारे दौसा से आने वाले माननीय सदस्य लाइन पर आए थे। दोनों बार, मैंने एक बार डी.आई.जी. जयपुर रेंज से बात की, उनको इत्तला दी। दूसरी बार चूंकि रात का समय था, मेरे को इत्तला मिली कि रात को ये दो-तीन बार फोन कर चुके हैं इसलिए डी.जी.पी., पुलिस को मैंने दिल्ली से इत्तला करवाई, उन्होंने पूरा प्रबन्ध किया और जब मैं जयपुर आया तो मैंने दुबारा उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैंने उसी वक्त निर्देश दे दिए थे और कोई माननीय सदस्य अगर यह चिन्ता व्यक्त करता है, यह पूरे सदन की चिन्ता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उस पर पूरी कार्यवाही करेंगे और जिस तरह की सुरक्षा आप चाहते हैं उस तरह की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री बाबूलाल नागर : ये रात भर गलियों में घूमते हैं और ये सुरक्षा की मांग करते हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन बजे से पहले कभी घर नहीं आते थे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय क्या माननीय सदस्य अपने लिए सुरक्षा गार्ड भी चाहेंगे।

एक माननीय सदस्य : पूछ लें आप। पूछें उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चाहेंगे तो बात कर लेंगे गृह मंत्रीजी से।

एक माननीय सदस्य : फिर तो गली में घूमना बंद हो जाएगा।

श्री बाबूलाल नागर : दो-तीन आदमी साथ लेकर आते हैं रात को इनको छोड़ने के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद सचेतक महोदय ने उसको और एक्स्प्लेन किया है जिसकी मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप मेन इस पर आओ।

श्री बाबूलाल नागर : तहलका पर आओ, तहलका पर। आप तहलका पर आओ।

एक माननीय सदस्य : तहलका पर आओ आप तो।

श्री बाबूलाल नागर : अजी तहलका पर आओ, तहलका पर। (व्यवधान) तहलका पर आओ, तहलका पर। (व्यवधान) तहलका पर प्रकाश डालिए। उपाध्यक्ष महोदय, ये तहलका पर बोलना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : तहलका पर आओ, तहलका पर।

श्री मानिक चन्द सुराना : बिजली की बात करो और बजट की बात करो, तहलका की बात तो आपके नेता कर लेंगे दिल्ली में।

श्री बाबूलाल नागर : आप भी कर लो, हम भी कर लेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके नेता क्या करेंगे?

एक माननीय सदस्य : तहलका पर आओ।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्षजी, वित्त मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियां की हैं। मैं सदन का ध्यान उन स्वीकारोक्तियों की तरफ ही आकर्षित करना चाहूंगा और उसी संबंध में प्रश्न जो उससे उठते हैं उनकी तरफ सदन का और माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। आपने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है...

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो सीधे-सीधे प्रश्नों पर ही आइए।

श्री मानिक चन्द सुराना : न प्रश्नों पर, मैं उसकी भूमिका पर भी आऊंगा और उसकी भूमिका बनाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : भूमिका तो पिछली एक ही बार रही है।

श्री राजेन्द्र पारीक : भूमिका तो बन रही है, आप तो सीधे प्रश्नों पर आइए।

एक माननीय सदस्य : भाषण न दो।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो स्काई-लेब की तरह से सीधे प्रश्न पर आइए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं आपके निर्देशन में नहीं चलूंगा, साहब। (व्यवधान) मैं तो उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में चलूंगा। (व्यवधान) मैं निवेदन करता हूं, आप कह रहे हैं जो कागज यशवन्त सिंहजी (रामू) ने इनको यहां दिया उस पूर्व प्रारूप की प्रतिलिपि था उसमें कुछ समानताएं थीं। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका ब्यौरा पढ़ा है, मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। 95 परसेंट नहीं, 97 परसेंट कर प्रस्ताव वे ही हैं जो पूर्व प्रारूप में आपके भाषण पढ़ने के साथ ही दे दिये गये। 97 परसेंट कर प्रस्ताव जहां लीक हो गये, मैं जानना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से और वित्त मंत्रीजी से कि यह बजट लीक कर प्रस्तावों का लीक नहीं है

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तो यह क्या है? सम्पूर्ण रूप से जिसको, पर्चा आउट करना चाहते हैं, कोई एकाध छोटा प्रश्न पूछ लें...(व्यवधान) लेकिन पूरा पर्चा आउट हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस दो घंटे के समुद्र मंथन में अब तक क्या निकला, जीरो, कृपया यह तो बताएं आप।

एक माननीय सदस्य : चोरी है, सब चोरी।

श्री राजेन्द्र पारीक : दो घंटे से समुद्र मंथन हो रहा है और निकला जीरो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको क्या दर्द है?

श्री राजेन्द्र पारीक : आखिर कब तक करेंगे आप?

एक माननीय सदस्य : अमृत नहीं निकला, अमृत नहीं निकला।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : हमको कोई सुरक्षा प्रदान करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय? क्या हम अपनी बात को शांति से कह सकेंगे? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि 28 तारीख की रात को 9 बज कर 58 मिनट पर उस कम्प्यूटर पर पास वर्ड लगा दिया गया और आपकी जांच में आपने यह भी कह दिया कि वह पास वर्ड हटाया हुआ पाया गया। पास वर्ड जब हटाया हुआ पाया गया तभी तो यह जो पूर्व प्रारूप था वह पूर्व प्रारूप उस कम्प्यूटर में से निकला। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह निर्णय आप दोनों की सहमति से हुआ है न कि इसकी जांच करायी जाए? जब यह निर्णय आपकी सहमति से हुआ कि जांच करायी जाए तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने अधिकारी वित्त विभाग से ही क्यों रखा? आपके वित्त विभाग पर जब कोई आरोप है, प्रथम दृष्ट्या ही सही तो क्या दूसरे सक्षम अधिकारी इस बात की जांच करने वाले नहीं थे? क्या आपने उसी वित्त विभाग को उसमें सारा चार्ज दिया कि वह उसकी जांच करे? क्या यह प्रथम दृष्ट्या फेयर लगता है? क्या यह पारदर्शिता का नमूना है कि जिस पर आरोप है वही जांच कर ले? मैं वित्त मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, जब आपने वित्त सचिव के माध्यम से जांच कराने का फैसला किया तो आपने किसी अन्य सचिव, मुख्य सचिव की बात छोड़िए, किसी अन्य सचिव को क्यों नहीं ध्यान में रखा? ये वित्त सचिव तो आपके साथ में थे ही और कोई विशिष्ट सचिव भी रहे होंगे, आप किसी अन्य अधिकारी से जो आई.ए.एस. आफिसर्स हैं, सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, आखिर तो सरकार के पास बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप उनसे जांच कराते।

दो बातें आपने मानीं। एक वह कर प्रस्ताव की पूर्व प्रारूप की प्रतिलिपि था। यह आपको एडमिशन है, यह स्वीकारोक्ति है। और पास वर्ड हटा दिया गया, निकाल लिया गया कम्प्यूटर में से, यह सब स्वीकारोक्ति है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न कराएं आप, व्याख्या नहीं। हम व्याख्या नहीं सुनना चाहते।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप तो सुनना नहीं चाहते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको इलस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपके डिस्कशन की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। आप बैठिये प्लीज।

श्री रामस्वरूप : डिटेल बताएंगे तो तहलका की बताओ। तहलका के बारे में डिटेल बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ वक्तव्य माननीय वित्त मंत्रीजी का आया है, मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो उद्धरण मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र व्यासजी ने पंजाब हाई कोर्ट का पढ़ा है कि यह बजट लीक है, बजट पेपर्स का लीक होना आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में लीक होना माना है, आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अवहेलना माना है। जब आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई अवहेलना हो रही है, प्रथम दृष्ट्या आप मान रहे हैं तो आप सिर्फ उनसे ही जांच क्यों कराना चाहते हैं? आप यह जांच गृह मंत्रीजी को सुपुर्द क्यों नहीं कर रहे हैं कि आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अवहेलना हो गई तो माननीय गृह मंत्रीजी किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से, वह चाहे सी.आई.डी. (सी.बी.) का हो या जिस किसी का भी हो और चाहे डी.जी. का हो या डी.जी. द्वारा नियुक्त हो, उसकी जांच कराएं? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट लीक के सारे प्रमाण माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो कहा है उसी में सन्निहित हैं। और जब वो सन्निहित हैं और बजट लीक आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की अवहेलना है, आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है तो निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ यह आई.ए.एस. आफिसर्स की जांच से काम नहीं चलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या इन तथ्यों और परिस्थितियों में आप इसकी जांच आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उसी में वर्णित किसी बड़े उच्च अन्वेषण अधिकारी से कराने का मन रखते हैं या नहीं रखते हैं? और नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं रखते हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का नहीं है कि इससे घाटा हुआ या मुनाफा हो गया, किसी ने करोड़-दो करोड़ कमा लिये, नहीं कमा लिये। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं यदि कर प्रस्ताव....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बाबूलाल नागर : तहलका उजागर हो गया है, अब आपको बोलने का नैतिक दायित्व खतम हो गया है। (व्यवधान) बोलने का अब नैतिक दायित्व ही खतम हो चुका है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : रात के 9 बज कर 58 मिनट पर जो आपने आखिरी संशोधन किया कम्प्यूटर में, उसके बाद सुबह 10.30 बजे यशवन्त सिंहजी रामू वो कागज ले आये। आपके अधिकारियों ने यह जांच भी की कि यशवन्त सिंहजी रामू को यह कागज किसने पहुंचाया? क्या वित्त मंत्रालय का कोई कर्मचारी तो नहीं जो कागज आउट कर रहा है और वो कागज इन तक पहुंचा रहा है? आखिर इनके पास पहुंचा कैसे? इसलिए इसकी जांच भी यदि अब तक नहीं की गयी है तो आपकी जांच अधूरी है। कुछ स्वीकारोक्तियां जो आपने की हैं उससे यह आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जांच का मुद्दा बनता है। इसलिए मेरा मंत्रीजी से प्रश्न है कि इसकी जांच आप आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार करवाने का निर्देश अब कब देना चाहते हैं और यदि नहीं देना चाहते हैं तो उसके कारण सदन को अवगत कराएं। (व्यवधान) यही प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसको कि सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास में...(व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : वो की वो बात ही रिपीट हो रही है।

श्री मदन दिलावर : रिपीट नहीं करूंगा। आपसे वायदा करता हूं कि कोई बात रिपीट नहीं करूंगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्षजी...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, विराजो।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बात रिपीट नहीं करूंगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि अलाउ करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या बोलना है इसमें? (व्यवधान) बैठो, बैठो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो सवाल माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपको बुला देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : दो सवाल मैं मंत्रीजी से पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, बुला देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं रिपीट नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह विषय ही नहीं है। आपके बोलने का दूसरा विषय है।

श्री मदन दिलावर : मैं वायदा करता हूं कि कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो। (व्यवधान) आपका कल से चालू होगा भाषण। (व्यवधान) आप कल से बोलना, कल से, आज नहीं। आप विराजो।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, आपके बस का रोग नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर : ये तहलका पर बोलेंगे, साहब।

श्री मदन दिलावर : मैं बहुत बारीकी से निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल रहे हैं। आर्डर-आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें वे ही हिस्सा लें जो मदिरा पेय नहीं करते हैं।

(13.00 बजे)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जिस दिन अपना बजट भाषण दिया था उस दिन जब बजट भाषण...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पता ही नहीं चलता कि क्या से क्या बोल गये।

डा. किरोड़ी लाल : लोकतंत्र के मूल स्तम्भ हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्वेश्चन करें।

डा. किरोड़ी लाल : क्वेश्चन ही कर रहा हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न पूछिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : राजस्थान के वित्त मंत्री ने प्रेस और अखबारों के सामने यह स्वीकार किया और यह अपने स्टेटमेंट में कहा कि जांच मुख्य सचिव और वित्त सचिव को सौंपी। उन्होंने कहा कि बजट की अपनी गोपनीयता होती है और यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। उन्होंने कहा कि बजट के कर प्रस्तावों के बारे में जारी किये जाने वाले प्रस्ताव प्रेस नोट की कापी किसी के हाथ में पड़ गयी। एक अखबार में माननीय वित्त मंत्रीजी का भाषण आता है, बजट लीक होना गम्भीर खामी है वित्त मंत्री। इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मामला गम्भीर, जांच रिपोर्ट 15 दिन में, जब बजट आउट होने को वित्त मंत्रीजी ने गम्भीर माना है और प्रेस में यह बात छपी है तो जो बात प्रेस में छपी है क्या वित्त मंत्रीजी इसको मानते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हद कर रहे हो, बार-बार बोल रहे हो सारे के सारे।

डा. किरोड़ी लाल : अखबारों में यह छपा कि नैतिकता के आधार पर हमारे पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरणजी माथुर ने 1967 में

(डा. किरोड़ी लाल)

और 1985 में इस्तीफा दिया था, क्या उनके पदचिन्हों पर चलते हुए...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कोई अपने दल के लोगों की भी मिसाल कायम करते हैं कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था?

श्री सोहन नायक : अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहो।

श्री राजेन्द्र पारीक : थोड़ी बहुत नैतिकता आप में भी है या नहीं? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : कोई उदाहरण आपके दल में भी हैं क्या ऐसे? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : अटल बिहारी को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय सदस्य, एक दो उदाहरण आप नैतिकता के आधार पर अपनी पार्टी के भी बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आत्म चिन्तन करो आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : नैतिकता के नाम पर तो यह हमको कोई सलाह दे ही नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अटल बिहारी वाजपेयी से नैतिकता मांगिये पहले कि उन्होंने तहलका के अन्दर इस्तीफा क्यों नहीं दिया?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : नैतिकता की बात करने का अधिकार खो चुके हो आप लोग।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय शिवचरणजी माथुर बैठे हैं, उन्होंने यह कहा है कि नैतिकता के कारण उन्होंने दो बार पद का त्याग किया। राज्य विधान सभा में बातचीत के दौरान माथुर ने कहा कि लोकतंत्र में परम्पराओं का अत्यधिक महत्व होता है और परम्पराओं से...

श्री राजेन्द्र पारीक : सारा भाषण ही करवा दिया। (व्यवधान)

श्री नगराज : प्रश्न पूछिये। (व्यवधान) भाषण नहीं, प्रश्न पूछिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर सारे भाषण करने लगेंगे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का तो पहले ही सबको पता है, इस बात को क्या कह रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नगराज : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार की बात यहां क्यों आयी, अखबार से क्या लेना-देना है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : फालतू में ही सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हो?

श्री नगराज : प्रश्न पूछिये आप तो।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह तो हरेक को पता है।

श्री नगराज : अखबार की रीडिंग यहां क्यों की जा रही है?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप तो प्रश्न पूछिये। सिर्फ एक मिनट का समय दीजिये।

श्री नगराज : अखबार की बात यहां क्यों की जा रही है सदन के अन्दर? सीधा प्रश्न पूछिये, उसका जवाब दें। हम अकाल के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, बजट के नाम पर... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो केवल तहलका को दबाने के लिए सदन में कुछ नहीं हो रहा है। (व्यवधान) किसी तरह से तहलका को दबाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। यह सारा षड्यंत्र तहलका को दबाने के लिए किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उठ उठ कर बार-बार बोले जा रहे हैं। (व्यवधान) महत्वपूर्ण समय बरबाद कर रहे हैं सदन का। (व्यवधान) समझ में नहीं आता है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हर सदस्य वही बात कर रहा है।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह नैतिकता तहलका पर लागू नहीं हो रही है क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : तहलका पर लागू नहीं होती है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय बरबाद कर रहे हैं, बार-बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये, आपने फालो ही नहीं किया, क्या कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं तहलका के बारे में कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, तहलका पर ही समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर : हम यहां पर चर्चा करना चाहते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों चर्चाएं हम करवाने के लिए तैयार हैं, तहलका भी और बजट भी, हम तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया : आप तो इनके साथ गये थे न?

डा. किरोड़ी लाल : राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा है कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने दो बार नैतिकता के कारण इस्तीफा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह दिया न आपने? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नैतिकता के आधार पर...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह क्या बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अटल बिहारी वाजपेयी को पूछें। (व्यवधान)

श्री नगराज : यह नैतिकता की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप पहले नैतिकता के नाम पर तहलका की बात को लागू करो। (व्यवधान) अगर नैतिकता है तो अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दिल्ली वालों से पूछो नैतिकता क्या है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह नैतिकता की डेफिनेशन बता दें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : नैतिकता, नैतिकता कहे जा रहे हैं, नैतिकता है क्या आप में? रटे रटाये शब्द हैं आपके, उपाध्यक्ष महोदय, इनसे यह तो पूछो। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूं कि माननीय सदस्य से नैतिकता की डेफिनेशन पूछी जाए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : और वह भी अटल बिहारी वाजपेयी से पूछ कर आएं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + (व्यवधान) + + + उसको नैतिकता बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : + + + और फिर नैतिकता की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + उसे नैतिकता कहते हैं? फिर नैतिकता की बात कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व ने देखा है कि जिस पार्टी का आज देश में राज है, उसके + + + पूरे टेलीविजन पर दिखाया गया.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री बाबूलाल नागर : आपको नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, बिराजिये, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, वह कह रहे हैं + + + (व्यवधान) यह स्टैण्डर्ड नहीं है उनका। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : औरों ने खाये, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और ट्रेजरी बैंच के कुछ सदस्यों ने....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप यही कहना चाहते हैं न कि + + + ली है? (व्यवधान) यह क्यों नहीं कहते कि + + + ली है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मेरे से नैतिकता की डेफिनेशन पूछी है कि डेफिनेशन क्या है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी पूरे देश के अन्दर रैलियां फ्लाप हो गयीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न, हो गया बहुत। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय भी तो खराब हो रहा है। आप हमको ही कंट्रोल कर रहे हो, इनको भी तो कंट्रोल करो। एक ही बात का रिपीटीशन किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोल लेना, आपको मौका देंगे बोलने का। समय आएगा तो बोल लेना। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले का प्रतिनिधित्व नहीं हैं मंत्रिमण्डल में, इसलिए कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बैठे रहो।

एक माननीय सदस्य : नैतिकता का जो पाठ पढ़ा रहे हो, उसके लिए तो रैली में बड़े दादा से पूछ कर आओ कि नैतिकता क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : खतम करो।

डा. किरोड़ी लाल : जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य, खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहो न।

डा. किरोड़ी लाल : और ट्रेजरी बैंच के कुछ सदस्यों ने नैतिकता की परिभाषा पूछी है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : कहने को और कुछ है नहीं इनके पास। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : परिभाषा छोड़ो, आप तो क्वेश्चन करो जो करना है।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय सदस्य, आपके नैतिकता की बात करते ही पूरे सदन को हंसी आती है कि आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैतिकता का उदाहरण तो यह माननीय शिवचरणजी माथुर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : मैं तो यही कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल नागर : पूरा राजस्थान जानता है आपकी नैतिकता के बारे में। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अनैतिक लगता है। (व्यवधान) क्योंकि + + + (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आपके मुंह से नैतिकता का शब्द अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले चर्चा में आ चुका है, जिस समय बजट भाषण हो रहा था उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री बजट की प्रति पढ़ रहे थे।

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, नो स्पीच, प्रश्न पूछिये। नो स्पीच। यह भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे पूछिये प्रश्न क्या है।

डा. किरोड़ी लाल : बजट भाषण के पहले राजस्थान का मुख्य मंत्री बजट के भाषण को पढ़े तो यह आफिशियल सीक्रेट एक्ट का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, समय की बरबादी करनी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पढ़ा ही नहीं है वह भाषण। (व्यवधान) क्यों पढ़ते हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। एक ही छोटा-सा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : जब तक किरोड़ी लालजी अपनी बात को कागजों में ढूंढें तब तक मैं निवेदन करूं कि इस सारी चर्चा में हां पक्ष के किसी सदस्य को टाइम नहीं दे रहे हैं 11 बजे के बाद में। हम लोगों को भी टाइम दीजिये। अधिकारों से वंचित कर दिया है हम लोगों को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मांगो तो देंगे टाइम। मांगो ही नहीं टाइम तो किसको दें?

श्री रामचन्द्र सराधना : मांग रहे हैं, साहब। इतने बैठे हैं, साहब। मान्यवर, हमें भी टाइम दीजिये। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : हां पक्ष के सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। सबको बोलने देंगे। आप 10 बजाओ रात के, कोई चिन्ता नहीं है। आप बोलते जाओ। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब तो 12 बजे तक चलेगी आज।

श्री उपाध्यक्ष : कब मना कर रहे हैं? एक-एक को देंगे टाइम।

श्री संयम लोढ़ा : दो घंटे से हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे तीन सवाल हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरा एक सवाल। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हमको क्या तकलीफ है, आप बोलो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह इतिहास राजस्थान के वित्त मंत्री ने रचा है, देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट इस ढंग से आउट हुआ हो। जिसका परिणाम क्या हुआ?

एक माननीय सदस्य : भाषण है। (व्यवधान) भाषण फिर चालू हो गया।

डा. किरोड़ी लाल : पम्प विक्रेताओं ने अचानक बजट के एक दिन पहले चौगुने पम्प क्यों खरीदे?

एक माननीय सदस्य : भाषण फिर चालू हो गया। सवाल और भाषण में अन्तर ही नहीं समझ में आ रहा है इनको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण की बात तो मत करो, कोई हम...(व्यवधान) क्या-क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य अखबारों की कतरन के आधार पर पूरे सदन में सनसनी फैलाने की आदत रखते हैं वही माननीय सदस्य आधा घंटे से केवल पृष्ठ पलट रहे हैं। ये कल वाले कागज ले आये आप। आज वाले प्रश्न आपके हाथ में हैं नहीं, इसलिए माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको क्या तकलीफ हो गयी?

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य, कागज तो उन्तीस तारीख के हैं। मैंने तीन क्वेश्चन किये हैं। तीनों क्वेश्चनों का मैं विश्वास करता हूं कि जो वित्त मंत्रीजी नें कहा, क्या उसको स्वीकार करते हैं?

(13.12 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

आफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन हुआ है। जब आफिशियल सीक्रेट का उल्लंघन हुआ है तो राजस्थान की सरकार क्या इसकी सी.बी.आई. से जांच कराने का इरादा रखती है? चूंकि राजस्थान का मुख्य मंत्री भी इस डाउट के घेरे में इसलिए आ गया कि जिस समय बजट भाषण हो रहा

(डा. किरोड़ी लाल)

था उस समय बजट की प्रति राजस्थान के मुख्य मंत्री के हाथ में थी इसलिए राजस्थान सरकार जोइंट पार्लियामैंट्री कमेटी या सी.बी.आई. से इसकी जांच कराने का इरादा रखती है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके वश की बात नहीं है। आपकी समझ से बाहर का मुद्दा है। (व्यवधान) कहां से ले आये? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा रिपीटीशन कुछ भी नहीं करूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपके वश का रोग नहीं है। आपका सब्जैक्ट नहीं है। आपकी समझ के बाहर का मामला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि...

एक माननीय सदस्य : सारी अव्यवस्था करके व्यवस्था बता रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के मांइक तो मुख्य मंत्रीजी ने कह कर बन्द करवा दिये और जो पीछे बैठे हैं उनके माइक परमानेंट चालू करवा रखे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपका भी चालू है, देखो तो सही। (व्यवधान) आपका बन्द हो गया क्या? राठौड़जी, बिलकुल असत्य बोलते हो क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे बन्द हैं, बिलकुल बन्द हैं।

श्री रामस्वरूप : सारे माइक तहलका बोल रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बजट कम्प्यूटर से बना है और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि वह पास वर्ड चुरा लिया या पास वर्ड बता दिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बात पहले हो चुकी, बार-बार क्यों टाइम खराब कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके माइक परमानेंट खोल रखे हैं, बैठे-बैठे कुछ भी बोलते रहें और हमारी बात हम कह ही नहीं सकते। सभापति महोदय, आप देखो तो सही। इस व्यवस्था को ठीक करो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अब तो तहलका पर आ जाओ, हो गई ये बातें तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, सभापति महोदय।

एक माननीय सदस्य : 120 तो गौण हैं आपके सामने। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : वह पास वर्ड क्या था? दूसरी बात पास वर्ड किसने फीड किया था? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बात हो चुकी। ये बातें हो गयीं। (व्यवधान) बार-बार नहीं।

श्री मदन दिलावर : किस आपरेटर ने उस पास वर्ड को फीड किया था? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वह पास वर्ड था + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + सुनो आराम से।

श्री रामस्वरूप : + + + तहलका। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यदि पास वर्ड उसी कम्प्यूटर आपरेटर ने फीड किया था...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दिलावरजी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...क्योंकि यदि उसको आउट करना था तो पास वर्ड उसको मालूम था और वह पास वर्ड उसमें रखते हुए भी कापी निकाल सकता था।

एक माननीय सदस्य : कहना क्या चाहते हो? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यदि वह कापी बाहर ले गया है तो क्या वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके वश का रोग नहीं है। (व्यवधान) तहलका।

श्री मदन दिलावर : क्या वहां अधिकारी नहीं थे? माननीय सभापति महोदय, यदि सुरक्षा थी तो क्या कम्प्यूटर में इंटरनेट या ई-मेल की सुविधा थी? यदि इंटरनेट और ई-मेल की सुविधा थी तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कम्प्यूटर की बात कह रहे हैं, आपके वश की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या वहां फैक्स मशीन थी? यदि फैक्स मशीन, इंटरनेट, ई-मेल की सुविधा नहीं थी और सुरक्षा की व्यवस्था थी तो फिर यह कागज कैसे आउट हुआ? (व्यवधान) यह कागज माननीय वित्त मंत्रीजी निश्चित रूप से उसके बजट के पूर्व...(व्यवधान)

श्री कय्यूम खान : भाषण नहीं, क्वेश्चन पूछो। तहलका डाट काम। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...क्या उस प्रति का...(व्यवधान) यदि हां तो उस प्रति को कहां ले जाकर पढ़ा था? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भाषण नहीं, सवाल कीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्या यह सच नहीं है, यह बजट की प्रति इनके परिवारजनों के हाथ लगी? यदि वह बजट के पूर्व की प्रति परिवारजनों के हाथ लगी, परिवारजनों के हाथ लगी...(व्यवधान)

श्री रमेश खींची : + + + (व्यवधान)

+ + + नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, जो सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में जो भी बात की जाए वह एक्सपंज की जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो सदन का सदस्य नहीं है और उसके बारे में माननीय सदस्य ने बिना वजह मनगढ़न्त आरोप लगाया है उसको एक्सपंज किया जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जरूर एक्सपंज किया जाए क्योंकि अटलजी इस सदन के सदस्य हैं इसलिए आपके सदस्य कुछ भी बोले जाएं वह एक्सपंज के काबिल नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार का तहलका मचाया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नैतिकता की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बैठे-बैठे ही बोले जा रहे हैं। संभापति महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि सदन में कोई भी सदस्य बोले तो कम से कम खड़े होकर तो बोले। अपनी सीट पर बैठे-बैठे माइक को मुंह पर लगाकर चाहे जो बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : हमें बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कौनसी सदन की गरिमा बन रही है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चाहे हमारे सदस्य हों, चाहे उनके हों लेकिन बैठे-बैठे अपनी मर्जी आये जो कमेंट्स करें, यह इस सदन की गरिमा नहीं रही। दुर्भाग्य है इस राजस्थान का कि हम इस राजस्थान को कहां पहुंचाना चाहते है। (व्यवधान) इस अभिमान के कारण से अगर यह घमंड आ गया तो ढाई साल निकल गये, थोड़े दिनों में सड़क पर मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह अभिमान नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनता ने बिठाया है चुनकर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसी का भी सदस्य हो लेकिन सदन की गरिमा के अनुसार बोले और आपसे इजाजत लेकर बोले। बैठे-बैठे चाहे जितने 10-15 कमेंट्स कसते रहते हैं, यह कोई सदन की गरिमा नहीं बढ़ रही है। कोई लोकतंत्र के बहुत बड़े हिमायती नहीं हो। (व्यवधान) मैं आपसे, आसन से प्रार्थना करता हूं कि इस गरिमामय सदन का हमेशा देश में सम्मान हुआ लेकिन यह पिछले अधिवेशन से हम देख रहे हैं कि चाहे जो मर्जी आये, जिस प्रकार के कमेंट कसते जाते हैं बैठे हुए। यह हम राजस्थान की जनता के साथ बेइमानी कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करता हूं कि आप इनकी रक्षा करें और जिसको आप इजाजत दें उसी का माइक आन करें, बाकी सारे माइक बन्द रखें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देश की गरिमा को खतम कर दिया आपने। (व्यवधान) नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। आपकी बात समाप्त हो गयी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : नैतिकता समझो, नैतिकता का मतलब क्या होता है।

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, कटारियाजी ने जो कहा है लेकिन क्या आप भूल गये, आठ दिनों तक यहां सदन की व्यवस्था आपने खराब की थी या हमने खराब की थी? वैल में कौन आया था? कौन नारेबाजी कर रहा था? आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, पहले आप...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पिछली बार का सदन का याद है या नहीं है? पिछली बार अगर गरिमा किसी ने तोड़ी तो कांग्रेस ने तोड़ी थी और सुरक्षा प्रहरी के पैंट को फाड़ने का घिनौना काम किया था? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : जिम्मेदारी किसी की है तो वह ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह कांग्रेस के लोगों ने इस सदन में किया था जो आपने और मैंने दोनों ने देखा था। सुरक्षा प्रहरी के पैंट के बटन तोड़कर उसको नंगा करने का काम किया था। (व्यवधान) जिस गरिमा को उस दिन तोड़ा था...

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सम्मान करता हूं आसन का। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जो दुर्भाग्य है यह सदन का, यह सदन की गरिमा को तोड़नें का काम...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सदन की गरिमा को तोड़ने का काम कांग्रेस के सदस्यों ने पिछली बार किया था। आपको भी याद होगा। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : आप दुहाई देते हैं गरिमा की। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सुरक्षा प्रहरी को नंगा...(व्यवधान) आपका बहुमत है...(व्यवधान) लेकिन आप * हमारी आवाज बन्द नहीं कर सकते हो। आप*

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

153 खड़े हो जाओ, मैं अकेला ही आपकी आवाज को बन्द कर सकता हूं। आप* क्या समझते हो? गरिमा को तोड़ते चले जा रहे हो। (व्यवधान) यह आपका* दायित्व है, हमारा दायित्व नहीं है। (व्यवधान) अगर राज चलाते हो, शासन चलाते हो तो आपका* यह दायित्व है, यह हमारा दायित्व नहीं है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह जिम्मेदारी आपकी है; यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप* 153 खड़े हो जाओ, मैं अकेला ही आपकी* आवाज बन्द करके बता सकता हूं। यह कोई मजाक हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भी चुनौती नहीं दें। आप भी बहुत वरिष्ठ हैं और फ्रंट बैंच पर और प्रतिपक्ष के नेता महोदय के बायीं तरफ बैठते हैं। (व्यवधान) नहीं, आप व्यवस्था का सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ये माइक में कुछ भी बोलते रहें, बैठे-बैठे कमेंट्स करते रहें, माइक का उपयोग करें बैठे-बैठे, यह कहां की गरिमा है? (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कहां की गरिमा है कि बैठे-बैठे कोई भी माननीय सदस्य कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी बोलता चला जाए...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप व्यवस्था को चुनौती नहीं दें। विराजिये। विराजिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कौनसी सदन की गरिमा है? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, + + + इनका उदाहरण, इनका इतिहास और इनकी गरिमा बताती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) हाउस के अन्दर माननीय सदस्य कितने ही वरिष्ठ हों, लेकिन व्यवस्था को चुनौती नहीं दें। कृपया व्यवस्था बनाये रखें। इधर से चुनौती दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात का समर्थन किया था, फिर आप चुनौती देने लग गये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, ये नैतिकता और गरिमा की अगर चर्चा करना चाहते हैं तो + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने नैतिकता पर बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्री पद पर रहते हुए, आप ही के मंत्री को

---

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

+ + + नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हाउस में थप्पड़ मारा गया और आप के सदस्यों द्वारा गोपीचन्द गुर्जर को सभा में, सदन में पीटा गया, यह आपकी नैतिकता थी ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जिस पार्टी के अध्यक्ष ने रिश्वत... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कहां गई वह नैतिकता ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : कहां गई थी आपकी नैतिकता ?

श्री सभापति : आप अपनी बात समाप्त करें। आप समाप्त करिये अपनी बात। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : माननीय सदस्य, ये उठ कर कुछ भी बोलें, उनके लिए कुछ भी नहीं है।

श्री कय्यूम ख़ान : विपक्ष के माननीय सदस्य कुछ भी बोलें, उनके लिए कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर हमारी टांग तोड़ी है नैतिकता वालों ने और आज ये नैतिकता की बात करते हैं। हमारी टांग तोड़ दी इन्होंने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को तकलीफ हो रही है।

श्री रामस्वरूप : इन्होंने सदन में + + + शारदा कांड हुए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : चर्चा समाप्त करें, बहुत हो गया इस पर।

श्री रामस्वरूप : आप अवसर नहीं दें हमको बोलने का।

श्री सभापति : आपको समय दूंगा, बैठिये। रामस्वरूपजी।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, यह जो सुविधा, जो मैंने कहा...

श्री सभापति : आपका क्या प्रश्न है, वह जरा पहले स्पष्ट करें। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री मदन दिलावर : मेरा प्रश्न यह है कि...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो गुलाब चन्दजी कटारिया से पूछना चाहते हैं कि आपके मंत्री पद पर रहते हुए मेरे थप्पड़ क्यों मारा गया। यह पूछना चाहते हैं... (व्यवधान) वह गरिमा नहीं थी ?

श्री मदन दिलावर : मेरा प्रश्न यह है कि इंटरनेट, ई-मेल और मोडम और फैक्स की सुविधा वहां कम्प्यूटर पर थी या नहीं ? यदि कम्प्यूटर पर इनकी सुविधा नहीं थी तो क्या वह कम्प्यूटर आपरेटर जहां तक यह प्रिंट हुआ या उस पर फीड करने के बाद प्रिंट निकाला गया बजट की

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मदन दिलावर)

कापी को, उस कम्प्यूटर आपरेटर को बाहर जाने दिया गया था? यदि नहीं जाने दिया गया था तो पास वर्ड उसने मिटाकर जो कापी निकाली गई, वह कैसे बाहर गया? क्या यह सही है कि फाइनल बजट के पूर्व की कापी को माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पढ़ा था? यदि पढ़ा था...

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत है। मैंने कभी भी नहीं देखा उसको, न वह मेरे पास कापी आज दिन तक आई। मैं इसका खण्डन करता हूं। यह जिस तरह से कह रहे हैं, यह क्या तरीका है इनका?

डा. किरोड़ी लाल : वह बता दें, अभी से खण्डन की आवश्यकता नहीं है, वित्त मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर : जैसा वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा, यदि वित्त मंत्रीजी ने बजट की कापी को नहीं पढ़ा तो बजट फाइनल कैसे हुआ? यदि वित्त मंत्रीजी ने बजट की कापी को नहीं पढ़ा तो फिर बजट फाइनल कैसे हुआ, माननीय सभापति महोदय?

श्री सभापति : भाषण नहीं, माननीय सदस्य, भाषण नहीं। विराजिये, माननीय सदस्य, आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इससे साफ जाहिर है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि रामूजी ने जो आरोप लगाया है कि छह करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, वह प्रूव हो जाता है कि + + +

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बिलकुल असत्य, मिथ्या है, इसको एक्सपंज किया जाए। मैं इसका विरोध करता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सवाल करिये आप। आप + + + बोलते हैं, आरोप गलत लगाते हैं आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसका विरोध करता हूं। इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री ललित भाटी : यह बिलकुल + + + है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ये गलत आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : + + +

श्री कय्यूम खान : + + + आप गलत आरोप लगाते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मुझे प्रोटैक्ट करिये, प्रार्थना है आसन से। आसन से प्रार्थना है मेरी...

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : यह + + + आरोप है, इसको कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सभासदों, प्रश्न में या भाषण में कोई पासिंग रेफरेंस ऐसा नहीं लगाया जाएगा जो अपमानजनक होगा और जिसका कोई आधार नहीं होगा। माननीय वित्त मंत्रीजी के बारे में आपने जो कहा, जिस किसी ने भी कहा, वह मैं प्रोसीडिंग को देखूंगा और उसको हटा दिया जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह भी एक समस्या है सदन के लिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, इसलिए यह बात बिलकुल माननीय वित्त मंत्रीजी की निराधार है कि जिस कम्प्यूटर आपरेटर ने पास वर्ड फीड किया था, उसने पास वर्ड को मिटा दिया। ये अपनी गलती को छिपाने के लिए छोटे-से कर्मचारी को बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? गलती वित्त मंत्रीजी की और बलि का बकरा कम्प्यूटर आपरेटर। सभापति महोदय, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब, जब इन्होंने कह दिया कि आपरेटर की गलती है, यदि आपरेटर की गलती है तब भी क्या जिम्मेदारी वित्त मंत्रीजी की नहीं है?

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल करिये, साहब, भाषण नहीं।

एक माननीय सदस्य : भाषण नहीं, भाषण नहीं दें। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...और यदि वित्त मंत्रीजी की गलती है तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्या यह सही है, क्या कभी यह हुआ है कि + + + की जांच + + + के अधीनस्थ कार्य करने वाले लोग कभी करते हैं क्या?

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी पर गलत कोट कर रहे हैं और फिर भाषण दे रहे हैं। आप इनको कहिएगा कि पिन-पाइंटेड सवाल करें।

श्री मदन दिलावर : आज तक + + + की जांच + + + के अधीनस्थ कार्य करने वाले लोगों ने कभी की है क्या? + + + नहीं कर सकता?

श्री सभापति : प्लीज बिराजिये। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसलिए मेरा आरोप है कि + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को माफ कीजिये अथवा... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, इसको एक्सपंज किया जाए। जो ये कह रहे हैं, आप कृपया गौर तो करें।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, फरमाइये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : आपने इनको सवाल पूछने के लिए फरमाया था, यह जो आरोप लगाये हैं, उनको एक्सपंज किया जाए। आरोप कैसे लगा सकते हैं ये? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसी को + + + कह रहे हैं, किसी को + + + कह रहे हैं। आप कृपया गौर तो कीजिये। इन सबको एक्सपंज कराइये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : जो भी आपत्तिजनक बातें किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा कही गई हैं उनको देखा जाएगा और वह हटा दिया जाएगा, कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या इनको माफ कर दिया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह प्रेस के लिए जाएगा, वह हटा दिया जाए। इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री सभापति : आपत्तिजनक कोई भी चीज कार्यवाही में नहीं जाएगी।

श्री हफीज मोहम्मद : सभापतिजी, इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो, इस तरह की इजाजत आप करिये।

श्री सभापति : किसी को + + + नहीं कहा जाएगा। कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही जाएगी। वह प्रोसीडिंग देखी जाएगी। बैठिये आप। बैठिये आप। रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : + + +

श्री मदन दिलावर : + + + करने पर भी + + + नहीं कहा जाएगा। सभापति महोदय, + + + कहना अपराध हो गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको माफ कर दिया, बिराजिये!

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी। (व्यवधान) पहले रामस्वरूपजी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, ने कहा था कि पहले विपक्ष के माननीय सदस्य पूछ लें, इनके साथ ही मैं प्रश्न करूंगा (व्यवधान) जो व्यवस्था वे देकर गये थे।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी को मौका मिलेगा। माननीय श्री रामस्वरूपजी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मुझे पहले प्रश्न करने दो।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, इनको पहले। माननीय श्री रामस्वरूपजी।

एक माननीय सदस्य : रामस्वरूपजी, तहलका का क्या होगा?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी माननीय

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

सदस्यों को बोलने का हक है। माननीय श्री रामस्वरूपजी।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, व्यवस्था दी जा चुकी है, आप देखिये, इनको आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री सभापति : कोई व्यवस्था मेरे ध्यान में नहीं है, आप बैठिये। माननीय रामस्वरूपजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्षजी ने डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दी थी। (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि रिछपाल सिंहजी मिर्धा को बोलने की इजाजत दी जाए।

एक माननीय सदस्य : पहले रामस्वरूपजी को बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी। (व्यवधान) टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य तो भाषण देंगे और उनका एक प्रश्न है, वह प्रश्न सुन लिया जाए। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : मैं भाषण नहीं करूंगा, मैं तो 2-3 प्रश्न ही करूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैं आपको अनुमति दूंगा लेकिन उससे पहले माननीय रामस्वरूपजी अपनी बात कहेंगे। (व्यवधान) रामस्वरूपजी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्षजी व्यवस्था कर गये हैं। + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : धर्मपालजी बोलेंगे। ये माननीय विपक्ष के सदस्य हैं इसलिए पहले ये बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप : + + + रामस्वरूप को तो बोलने दो। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सभापतिजी, उपाध्यक्षजी व्यवस्था कर गये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रामस्वरूपजी, तहलका का ध्यान रखिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : सभापति महोदय, रामस्वरूपजी के बोलने से पहले... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूपजी। माननीय श्री रामस्वरूपजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : रामस्वरूपजी के गांव, इनका खुद का गांव जो इनकी विधान सभा में है, वहां पर विधायक कोटे से इन्होंने अपने खुद के खेत में... (व्यवधान) 20 लाख रुपये लगाकर अपने खेत में...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : बजट लीक की बात है। बजट लीक की बात है। बजट लीक की बात है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये एक ऐसे सदस्य हैं, देश के प्रधान मंत्री के ऊपर लांछन लगाने वाले...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : इसका कोई मतलब नहीं है, आप हाउस को बंद कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आसन के द्वारा नहीं पुकारे गये किसी भी माननीय सदस्य...(व्यवधान) आर्डर प्लीज, आर्डर, आप मेरी बात सुनें।

श्री धर्मपाल चौधरी : बीस लाख रुपये विधायक...(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरी बात सुनिये। (व्यवधान) मेरी बात सुनियेगा। आसन के द्वारा अगर किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं पुकारा गया है तो जो कुछ कहा है वह आज की कार्यवाही में वह अंश, हिस्सा नहीं बनेगा। माननीय श्री रामस्वरूपजी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : देखिये, आप जिद्द न करें, आप बैठिये। मैं आपको टाइम दे दूंगा लेकिन पहले रामस्वरूपजी बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप : मेरा एक मिनट हो जाने दो।

श्री सभापति : पहले रामस्वरूपजी बोलेंगे, आप बैठिये। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं सबको मौका दूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बिना अनुमति के जो माननीय सदस्य बोलेंगे उनका कथन प्रोसीडिंग्स में अंकित नहीं किया जाएगा।

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं किया जाए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री सभापति : बिराजिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हीरालाल सहरिया : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप जो कुछ कह रहे हैं, अंकित नहीं होगा, बैठिये। माननीय श्री रामस्वरूपजी बोलेंगे, और किसी की बात अंकित नहीं होगी।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री हीरालाल सहरिया : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

××× शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : आप बैठ जाएं। बैठिये आप, बैठिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री सभापति : बोलने दीजिये उनको आप। अब बिराजिये।

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री कय्यूम खान : ×××

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री मदन दिलावर : ××× (व्यवधान)

श्री सभापति : यह कुछ भी अंकित नहीं होगा। अभी जो माननीय सदस्य ने कुछ भी कहा है वह अंकित नहीं होगा। आप जो कुछ कह रहे हैं वह अंकित नहीं होगा। आपका कथन अंकित नहीं होगा। माननीय श्री रामस्वरूप।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बहुत बोल चुके हैं, आप विराजिये। अपनी बात कह चुके हैं, अब विराजें। आपका कथन अंकित नहीं होगा, विराजे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सभापति : आपका कथन अंकित नहीं होगा, बिराजिये। माननीय श्री रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं होगा, बिराजें आप। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब, आपका उपदेश इधर कोई असर नहीं कर रहा। आपके उपदेश का इधर कोई पालन नहीं हो रहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब, आप पार्टी के उप नेता हैं, आपके कथन का आपके माननीय सदस्य ही पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : यह कोई बात हुई ?

श्री सोहन नायक : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : बिराजें, बिराजें, बैठिये।

श्री बाबूलाल नागर : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूपजी, बोलिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

××× शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : बोलिये आप अपनी बात, आप कहिये अपनी बात। कहिये।

श्री सोहन नायक : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री रामस्वरूप : मेरा कोई दारू का ठेका नहीं है जो आप बात कर लोगे। यहां दारू का ठेका नहीं है मेरा, न मेरे बाप-दादाओं ने दारू पी कभी।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हफीज मोहम्मद : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री घासीलाल मेघवाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री घासीलाल मेघवाल : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री घासीलाल मेघवाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। माननीय श्री रामस्वरूपजी। बोलिये आप, बोलिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान की जनता अकाल से जूझ रही है, राजस्थान की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है, प्रकृति हमारे ऊपर रो रही है, हमारी सरकार जनता की भलाई के लिए कोशिश कर रही है लेकिन बहुत बड़े दुःख की बात है, आज हिन्दुस्तान के अन्दर...(व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : ×××

श्री घासीलाल मेघवाल : ×××

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बिराजिये आप। माननीय रामस्वरूपजी, बोलिये। माननीय रामस्वरूपजी का आसन की तरफ से नाम पुकारा गया है और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उनको बोलने नहीं दे रहे हैं और आसन का यह दायित्व बनता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। (व्यवधान) मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने दल के माननीय सदस्यों को अनुशासित करें कि वे हर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का, प्रश्न पूछने का मौका दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सभापति : नहीं, इधर से कुछ नहीं हो रहा है। सब इधर से हो रहा है।

××× शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सभापति : ठीक है। आप बोली हैं, सब ने सुना है। यह तो कोई तरीका नहीं होता है, रामस्वरूपजी का नाम पुकारा गया और यह बोलने नहीं दें।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री सभापति : नहीं-नहीं।

श्री घासीलाल मेघवाल : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री सभापति : बहस को मर्यादापूर्ण बनाना चाहिए, बहस की कार्यवाही को मर्यादापूर्ण होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, आपने निर्देश दिये कि मुझे अपनी पार्टी के सदस्यों को...

श्री सभापति : नहीं, अनुरोध किया है मैंने। मैंने कोई निर्देश नहीं दिये हैं मान्यवर, मैंने अनुरोध किया है, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय से अनुरोध किया है कि आप हमारे बहुत वरिष्ठतम इस सदन के सदस्य हैं, आपका सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि सन् 1952 से आप बराबर आ रहे हैं, आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कम से कम रामस्वरूपजी का रोल मत करें, मैं तो बोलने खड़ा हुआ और आपने बीच में हस्तक्षेप शुरू कर दिय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सभापति : नहीं, मैं अनुरोध कर रहा हूं। मैं अंनुरोध कर रहा हूं। मैं कोई निर्देश नहीं दे रहा था, मैं तो अनुरोध कर रहा था। मैं तो इस समय विनम्र सेवक हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अनुरोध किया, निर्देश दिया, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। आपत्ति मुझे इस बात की है जो, सभापति महोदय, मैं कह नहीं पा रहा हूं, हाउस चलाने की जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री सभापति : इनकी और आपकी दोनों की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। हाउस चलाने की जिम्मेदारी आसन की होती है। वो चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, उनको किस प्रकार से अनुशासित रखा जाए यह जिम्मेदारी आसन की होती है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि जिस समय से प्रद्युम्न सिंहजी का भाषण हुआ है उसके बाद में लगातार इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि विपक्ष का कोई सदस्य बोले उसमें हस्तक्षेप किया जाए, उसको बोलने नहीं दिया जाए। कई प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिसका जवाब उस भाषा में दिया जाए तो उचित नहीं होगा। यह जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी है केवल आसन की। मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि आसन अपने पूरे उत्तरदायित्व को निर्वहन करेगा तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, पार्टी का कोई सदस्य बोलेगा नहीं।

××× शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : तहलका में सहयोग करो, तहलका में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तरीका है ?

एक माननीय सदस्य : प्रतिपक्ष के नेता महोदय खड़े हैं और ये इस तरह से बैठे-बैठे बोलते हैं और + + +

डा. किरोड़ी लाल : इनको बाहर निकालो सदन से। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको सदन से बाहर निकाला जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, ये बार-बार तहलका का प्रयोग करते हैं या उसकी बात करते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आसन पर हैं, एक दिन तहलका की सदन में चर्चा कराएं।

श्री जगत सिंह दायमा : इस बात का मैं भी स्वागत करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तहलका की चर्चा करायी जाए और सबसे पहले अच्छा तो हो कि मुख्य मंत्रीजी बोलें और मुख्य मंत्रीजी अगर बोलने में अपने आपको असक्षम पाते हैं तो रामस्वरूपजी को सरकार का प्रतिनिधि बना दें। इससे कम से कम तहलका चैप्टर तो बंद हो जाएगा, वरना विधान सभा चलेगी एक महीने और ये तहलका-तहलका करेंगे। मैं इतना ही सावधान करना चाहता हूं कि आप तहलका का जिक्र करेंगे तो जिक्र करने के लिए मसाले की हमारे पास कमी नहीं है। हम इस सारे वातावरण से यह गम्भीर मसला प्रद्युम्न सिंहजी का नहीं, यह सदन का और राजस्थान की जनता का है इस गम्भीर मसले पर हम चर्चा कर रहे थे और उसमें कभी तहलका, कभी चोर हैं, कोई साहूकार हैं, कोई डकैत हैं—अगर इस तरह की चर्चा शुरू कर दी तो क्या आप यह समझते हैं कि चोर हम नहीं कह सकते? हम किसी को डकैत नहीं बता सकते? हम किसी पर अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते? अगर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो सदन का दुर्भाग्य होगा, मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए पहली जिम्मेदारी आपकी है आप सदन को अनुशासित रखें, उसमें हमारा जितना को-आपरेशन चाहिए उतना को-आपरेशन मिलेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, श्री रामस्वरूपजी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप कृपया मर्यादा में बोलेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछेंगे या भाषण देंगे ये?

श्री सभापति : प्रश्न भी मर्यादा में होंगे।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मेरा सीधा-सा प्रश्न है, यह राजस्थान का पवित्र सदन जिसमें आपके पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, इस शब्द को जो लिखा गया है, मेरा विनम्र निवेदन है कि क्या यहां जो भी सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नन्दलाल मीणा : प्रश्न है यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्न है यह?

डा. किरोड़ी लाल : यह भाषण है, प्रश्न नहीं है।

श्री रामस्वरूप : प्रश्न कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) भाषण नहीं होना चाहिए। भाषण देते हैं सब, जो प्रश्न है वह बोला जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमें कहा गया कि आप सवाल करोगे। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने सीधे पाइंटेड सवाल किये। आप पाइंटेड सवाल कराइये।

श्री सभापति : देखिये, माननीय मानिक चन्दजी सुराना साहब बोले थे तो आपत्ति हुई थी कि आप भाषण नहीं देंगे। भूमिका नहीं बनाएंगे। तो आपने फरमाया था कि भूमिका भी बनाएंगे और फिर प्रश्न करेंगे।

एक माननीय सदस्य : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं कहा था।

श्री सभापति : कहा था। मैं सुन रहा था, कहा था कि भूमिका भी बनाएंगे और प्रश्न भी पूछेंगे। अगर प्रश्न पूछने से पहले एक मिनट में कोई बात भूमिका की कह देते हैं तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं समझता मैं।

श्री रामस्वरूप : मेरा सीधा प्रश्न है, माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा प्रश्न सदन से करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता आज जो अकाल से जूझ रही है और पानी की समस्या से जूझ रही है, मेरा सीधा प्रश्न है...

एक माननीय सदस्य : ये वित्त मंत्री से अकाल की चर्चा करना चाहते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : (व्यवधान) यह कौन-सी भूमिका है।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, क्या है यह?

एक माननीय सदस्य : अभी तो जो सवाल चल रहा है उसका जवाब पूछें।

श्री सभापति : बस सवाल पूछिये, रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो लेकिन देश का सवाल है इसके अन्दर। हिन्दुस्तान में आज यह हालत हो रही है कि "बर्बादे गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा"।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) आज ये जो बोल रहे हैं जो सरकार के अपने खुद के विधायक कोटे का पैसा खा गये और गुलिस्तां दिखा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : ऐसी हालत जो सारे हिन्दुस्तान में भारत मां की हो चुकी है। आज भारत मां रो रही है, इस सदन में रो

(श्री रामस्वरूप)

रही है। आज इस देश की रक्षा कौन करेगा? जो रक्षा करने वाले...

एक माननीय सदस्य : रामस्वरूपजी जैसे + + + करेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, यह भूमिका है न? कुछ तो जवाब दीजिये।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) बाड़ ही खेत को खा गयी, सभापति महोदय।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, कुछ तो जवाब दें यह क्या हो रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, ये तो आसन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : उल्लू कौन है, ये तो इनसे पूछा जाए।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, आसन मौन क्यों?

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूपजी, आपको माननीय सदस्य सुनने में इसलिए सहयोग नहीं कर रहे हैं कि आप भी इनकी बातों में टोका-टोकी बहुत करते हो। अगर आप अपनी बात मर्यादा के साथ सुनाना चाहते हैं सदन को तो कृपया आप भी पूरा संयम करने का प्रयत्न करेंगे दूसरे बोलें उस वक्त।

श्री रामस्वरूप : मेरा विनम्र निवेदन है कि इन्होंने चोरी की है तो हम चोरी नहीं करेंगे, यह तो प्रश्न है सीधा।

श्री धर्मपाल चौधरी : पहले तो खुद का ही जवाब दे दो।

श्री रामस्वरूप : अभी जो यह कांड के बारे में बताया है, हमारी बजट के बारे में चर्चा हो रही है, मैं तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, सीधा एक प्रश्न है मेरा तो इसके बारे में कि यह जानकारी आपको कैसे मिली।

श्री धर्मपाल चौधरी : साकरवाड़ा में क्या हुआ, उसका जवाब दे दो।

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य जो यहां विराजमान हैं मेरी दायीं ओर, उन्होंने प्रश्न किया है कि बजट लीक हुआ है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इसका कैसे पता चला? कोई कागज वहां से गया हुआ है, यह कागज कहां से गया? आपके पास कहां से आया? सबसे पहले वित्त मंत्रीजी के पास आता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : साकरवाड़ा से आया।

श्री रामस्वरूप : यह कागज बताते हो, यह कागज कौन सा है, कहां से आया? इनके हाथ कैसे लगा वह कागज? सबसे पहले अगर कहीं चोरी हुई है तो या तो तहलका में हुई है या यहां पर हुई है, दो ही चोरी हुई है। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप पहले रामस्वरूपजी खुद के बारे में बताएं। तहलका के बारे में...(व्यवधान) इसमें हमारे नेता महोदय ने कहा कि इस पर पूरे दिन चर्चा करायी जाए और उसका आपको अध्यक्ष बनाया जाए या मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे। यह आप तहलका के बारे में बाद में बताना, पहले आप कृपा करके...(व्यवधान) उसके बारे में जवाब दें।

श्री रामस्वरूप : मेरा तीसरा सवाल विनम्र निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, हम सब किसान के बेटे हैं, यहां पर किसान के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर सारा चर्चा में समय बरबाद किया जा रहा है। न पानी की चर्चा, न बिजली की चर्चा, न कोई हमारा डीजल महंगा हुआ है उसकी चर्चा, खाद महंगा हुआ है उसकी चर्चा, सारे देश में जो गैस महंगी हुई है उसकी चर्चा... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : साकरवाड़ा में 20 लाख रुपये की बाउण्डरी।

श्री रामस्वरूप : (व्यवधान) यह मेरा आपसे निवेदन है...

श्री मदन दिलावर : रामस्वरूपजी एम.एल.ए. ने अपने खेत में बनवा लीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : साकरवाड़ा के बारे में बताएं। पूरा सदन यह चाहता है कि बिजली के बारे में, अकाल के बारे में...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : साकरवाड़ा में 20 लाख रुपये की एम.एल.ए. कोटे से अपने खेत में रामस्वरूपजी एम.एल.ए. ने बााउण्डरी बना ली है।

श्री रामस्वरूप : यह केवल तहलका को दबाने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे कोई राज नहीं है। सारे हिन्दुस्तान की जनता ...(व्यवधान) पूरे हिन्दुस्तान में... (व्यवधान) आने वाले चुनावों में इन लोगों को पता लग जाएगा कि तहलका प्रकरण के कारण न केवल विधान सभाओं में, दिल्ली में भी इनका सफाया हो जाएगा।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य टोडाभीम से आने वाले साकरवाड़ा में अपने खेत में 20 लाख रुपये की एम.एल.ए कोटे से बाउण्डरी बना ली है।

श्री रामस्वरूप : अतः मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इस तहलका पर चर्चा कराएं और प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस्तीफा मांगें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय श्री रिछपालजी मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। सभापति महोदय, जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जो प्रति नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने बजट भाषण होने से पहले सदन के पटल पर रखी वह बजट प्रस्तावों का कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

ये जांच किस बात की करवा रहे हैं? उसी दिन कह देते कि बजट लीक नहीं हुआ है, यह बजट प्रस्तावों की कापी नहीं है तो बात ही खतम थी। फिर इसकी किस बात की जांच करवायी जा रही है?

श्री सभापति : रिछपालजी, यह प्रश्न तो सभी माननीय सदस्यों ने उठाया है, आप कोई नया पूछो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, मैं और पूछ रहा हूं। अब आप जितना ज्ञान तो मेरे में है नहीं।

श्री सभापति : आपमें ज्ञान बहुत है, मैं तो आपको याद ही दिला रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से दो सवाल करना चाहता हूं। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने और उनके साथ मैंने भी एक प्रति सदन के पटल पर रखी। स्वयं अध्यक्ष महोदय ने उस प्रति का मिलान बजट की प्रतियों से किया और उनको मार्क किया। क्या स्वयं अध्यक्ष महोदय ने यह स्वीकार किया कि यह बजट भाषण की वही प्रति है और बजट से मिलान करती है, इसका स्पष्टीकरण वित्त मंत्रीजी कर दें। मैं आपके माध्यम से इतना ही पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री संयमजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : सभापति महोदय, खोदा पहाड़ और निकला कुछ नहीं। कुछ नहीं निकला। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने एक बात का जिक्र किया कि इस बजट में पम्प सैट से संबंधित जो प्रावधान किया गया है उसकी वजह से पम्प सैट की बिक्री प्रभावित हुई और बिक्री कर विभाग ने 72 हजार रुपये की कर चोरी पकड़ी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में जब-जब भी बजट पेश किया गया, बजट में जो भी प्रावधान किये गये क्या उससे संबंधित काल्पनिक सौदे पिछले वर्षों में नहीं हुए? उसी दौरान जो काल्पनिक सौदे व्यापारियों के द्वारा किये गये, क्या पिछले वर्षों में बिक्री कर विभाग ने लाखों रुपये की इसी तरीके की वसूली राज्य में नहीं की है? सभापति महोदय, राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए अभिनव प्रयास किये हैं। लेकिन देश में जो वातावरण बन रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए कई तरीके के शगूफे जगह-जगह पर छोड़े गये हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1998 का जो बजट पेश किया गया और 1998 में जब विधान सभा के चुनाव होने वाले थे, बजट और विधान सभा चुनावों के पूर्व कितने करोड़ रुपये की रियायत तत्कालीन सरकार के द्वारा दी गई और किसलिये दी गई? 1990 से 1998 तक के शासनकाल में भूतलक्षी प्रभाव से कितने करोड़ रुपयों की रियायत पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दी गई?

(श्री संयम लोढ़ा)

1995 से 1996 में आबकारी बंदोबस्त में 38.26 करोड़ रुपये की कमी किसलिये की गई? अंतिम चरण में निविदा आमंत्रित नहीं कर प्रस्ताव क्यों लिये गये और बातचीत से प्रस्ताव क्यों तय किये गये? इसी तरीके से 1996 से 1997 में आबकारी बंदोबस्त में आरक्षित राशि में 20.84 करोड़ रुपयों की कमी क्यों की गई और अंतिम चरण में निविदा के स्थान पर प्रस्ताव क्यों आमंत्रित किये गये? 1997-99 के बंदोबस्त में दो वर्षीय ठेकों के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये की रियायत दी गई।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, एक बात समझा दो कि यह किस पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : यह सवाल पूछ रहे हैं कि वर्ष 1999 में कितनी-कितनी छूट दी गई।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपकी + + + पर बोल रहा हूं। देश भर में आप जो + + + कर रहे हैं उस पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आप ठीक बोल रहे हैं, बोलिए आप।

श्री संयम लोढ़ा : 31 मार्च, 1997 को आधी रात में_(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वित्त मंत्रीजी ने जो गड़बड़ किया है उसको सही कराने की बात कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको + + + इसलिए बोल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मेरा प्रश्न है कि वित्त मंत्रीजी ने इनको इस प्रकार की चर्चा करने के लिए + + + बार-बार इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। + + +

श्री सभापति : बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह इस प्रकार की बात सदन में कह सकते हैं क्या? (व्यवधान) + + + इस तरह से असत्य बोल रहे हो सदन में। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनको एक्सपंज कीजिए।

श्री मदन दिलावर : जब हम बोल रहे थे तब आपने कहा कि ऐसी बात न बोलें और अब यह बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इनको बोलने दीजिए। आखिर क्या + + +

श्री सभापति : बैठिए आप। आप बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, सच्चाई में तो कारण यह है कि आज देश के लाखों-करोड़ों लोग देश की वाजपेयी सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर आ चुके हैं। (व्यवधान) वाजपेयी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, + + + हम सदन में रखेंगे। (व्यवधान) + + + फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : + + + देश की सुरक्षा के साथ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो विधायक कोष के कोटे से 20 लाख रुपये बाउण्डरी में लगाने वाले साहूकार हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी जो बैंगलोर में जो अधिवेशन हुआ जिस आदमी को...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान) + + + (व्यवधान) मेरा सीधा-सा सवाल है इसका जवाब दें। + + +

डा. के. सी. चौधरी : + + +

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, एक राष्ट्रव्यापी षड्यंत्र और रणनीति के तहत...(व्यवधान) आरोप लगाया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, पहले मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिये।

श्री संयम लोढ़ा : चाहे वह महाराष्ट्र की विधान सभा हो, चाहे मध्य प्रदेश की विधान सभा हो...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मेरा प्रश्न बहुत पाइंटेड है। क्योंकि + + +

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यह असत्य है। इसको एक्सपंज करें कि + + +

श्री मदन दिलावर : नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को भी इस प्रकार की पेशकश की गई थी। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, ऐसे सदस्य को सदन से बाहर कर दें क्योंकि यह शुरू से सदन का समय जाया कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावरजी ने वित्त मंत्रीजी के लिए जो कुछ कहा है उसको एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, पूरे देश में वाजपेयी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का वातावरण खराब हो रहा था और इसलिए सारे देश में जहां-जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां की विधान सभाओं में...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह बोल किस पर रहे हैं। यह राजस्थान के बजट के बारे में बोल रहे हैं या...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बजट लीक होने में + + + (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। अभी माननीय दिलावर साहब ने वित्त मंत्रीजी के बारे में जो टिप्पणी की है वह कार्यवाही से निकाल दी जाए।

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, संयम लोढ़ाजी को भाषण देने के लिए यह समय दिया है।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आपके सामने एक पाइंटेड क्वेश्चन रखा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह बार-बार वाजपेयीजी का नाम लेकर किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान) अभी किस बात की चर्चा कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम भी सोनियाजी की चर्चा कर सकते हैं (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) सोनियाजी के बारे में आपने जो कुछ कहा है, जो रेफरेंस दिया है, सुनिये, आपने जो कहा है , आप सुनिये...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जार्ज और सोनिया दोनों के बारे में हम तो चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है आज की कार्यवाही से हटा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जार्ज और सोनिया जी दोनों के बारे में हम तो चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये-बैठिये आप। आप उधर जाओ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, + + + यह सबको मालूम हो चुका है, यह देश की जनता ज़ान चुकी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता...(व्यवधान) उनको इस बात के लिए देश की जनता जान चुकी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सोनियाजी। इस सदन की नेता नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या अटलजी सदस्य हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या अटलजी सदस्य हैं क्या? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : विपक्ष के नेता और कटारियाजी ने काफी बातें कहीं लेकिन...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, आपको इस पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, आप चिन्ता मत करो। सभापति महोदय, आप निष्पक्षता से बात करो, आपको पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, आप चिन्ता मत करो। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपको मालूम नहीं आपके लिए लोग क्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य आसन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपके लिए क्या बोल रहे हैं आपको मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य आसन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपके लिए क्या बोल रहे हैं? आपके लिए क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सभापति महोदय, के बारे में कैसे बोल सकते हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : अटलजी देश के प्रधान मंत्री हैं, देश के प्रधान मंत्री हैं।

श्री संयम लोढ़ा : + + + इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिये। (व्यवधान) इस्तीफा देना चाहिये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : यह तो आपके लिए ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिये, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, सोनिया गांधी और राहुलजी के बारे में जो बातें कही गई हैं वे एक्सपंज की जाए। इनको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आप सुनते ही नहीं...(व्यवधान)

(14.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने सोनियाजी और राहुलजी के बारे में जो बातें कहीं उनको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : कोई चोर नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : आसन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आसन के ऊपर आरोप लगाया गया है।

एक माननीय सदस्य : कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : यह नहीं कि सदन में कोई अच्छी बात कहें, कोई सुझाव देते। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : यह नहीं कि सदन में कोई अच्छी बात कहें या कोई सुझाव देंवे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बैठिये। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलालजी बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री देवीलाल बैरवा : यह नहीं कि अच्छी बात करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो-बैठो। बैठो तो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री मदन दिलावर : + + +

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : + + +

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : + + +

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिये न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कहां व्यवस्था है? (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की अनुमति दी कि वित्त मंत्रीजी के वक्तव्य के ऊपर हम पांइटेड सवाल करें। आपने व्यवस्था दी थी कि हम पाइंटेड सवाल करें। (व्यवधान) हम वित्त मंत्रीजी के वक्तव्य पर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जब प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने तहलका के ऊपर बात की है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री तक की बात कही गई है...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे पहले सुनने तो दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था तो आप देंगे न।

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो अभी आया हूं।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : यह बार-बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य बैठे-बैठे बिना वजह सोनिया गांधी और राहुलजी के बारे में बातें कर रहे हैं, उन्हें एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान) विपक्ष के नेता ने जो बातें कहीं, उनके सदस्य ही उनकी बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनको रोकना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री मदन दिलावर : + + +

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य खुले आम उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये। माननीय संयम लोढ़ाजी, शुरू करिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लीजिये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं और आप... (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : जो साहूकार होता है उसे साहूकार ही दिखते हैं और + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीलालजी। (व्यवधान) अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लीजिये। कोई भाषण अलाउ नहीं करूंगा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, यूं बोलिये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार आरोप लगा रहे हैं और हम सहन किए जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपके सदस्य बोल रहे हैं, आप रुको तो सही।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार आरोप लगा रहे हैं और हम सहन किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके सदस्य बोल रहे हैं।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी भी...

श्री उपाध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, रुको न। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सोनियाजी का नाम लेकर लांछन लगा रहे हैं जिसने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कब से + + + किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या, मैं आपकी + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, बैठिये। बैठिये। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : आप अकेले ही + + + नहीं हो यहां बहुत सारे लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : बिना अकल के नकल करना पाप है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री संयम लोढ़ा : + + + जिनके ऊपर हत्या का आरोप है वह इस सदन में आकर नैतिकता की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : + + +

श्री रामस्वरूप : + + + क्या बात करते हो, आप आज...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसके ऊपर...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कहते-कहते तो आप बूढ़े हो गये हो।

श्री आर. पी. शर्मा : रोकिये साहब + + + बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कीजिये जल्दी। (व्यवधान) आप बोलना चाहते हैं या नहीं? तो फिर बोलो।

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + + शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये। आप आपको जो पाइंट बोलना है वह बोलिये। (व्यवधान) प्लीज बैठिये। आप बोलिये। दिलावरजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा : इन्हें निकालो।

श्री रामस्वरूप : + + + इससे बड़ी बात और क्या होगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आपके मैम्बर बोल रहे हैं उनको बोल लेने दीजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लेना।

श्री मोहन लाल मोदी : नहीं, मेरे को बोलना कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उनको समाप्त कर लेने दीजिये। बोल तो रहे हो, और क्या बोलोगे?

श्री मोहन लाल मोदी : मैं इतना कहना चाहता हूं जो इस हाउस में व्यवधान पैदा करता है, उपाध्यक्ष महोदय, उनको बाहर निकाल दो और हाउस को शांति से चलाइये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि बजट प्रस्तुत करने के बाद में 1995-96 में कितने करोड़ रुपये की रियायत तत्कालीन सरकार के द्वारा दी गई? 1997-98 के बजट प्रस्तुत होने के बाद में कितने करोड़ रुपये की रियायत तत्कालीन सरकार के द्वारा दी गई और 1998-99 में जब राजस्थान की विधान सभा के चुनाव होने वाले थे तब बजट प्रस्तुत...

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से पूछ रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, क्या पूछ रहे हो? किस पर बोल रहे हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बिलकुल ठीक बोल रहे हैं कि उस समय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बजट का जो इश्यू है उस पर बोलो न आप।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : यह इश्यू रेलेवेंट है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसीलिये तो प्रद्युम्न सिंहजी ने ऐसा किया है।

श्री संयम लोढ़ा : उस समय की + + + सामने आना बहुत जरूरी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संयमजी यह बताना चाह रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंहजी ने इसलिये ऐसा किया है।

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री संयम लोढ़ा : 1998-99 में जिस साल विधान सभा के चुनाव थे, बजट प्रस्तुत होने के बाद चुनाव से पहले 30 करोड़ रुपये की रियायत इन लोगों ने किस कारण से दी, मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : यह प्रद्युम्न सिंहजी ने इसलिये किया है क्या?

एक माननीय सदस्य : आपने राजस्थान का...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : चुनाव कोष के लिए 30 करोड़ रुपये की उस समय रियायत आपने दी है।

श्री केसाराम चौधरी : + + + आपने जो रैली कराई जयपुर में, उस समय जयपुर की रैली के लिए + + + (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : और आपके + + + क्या रहे हैं, और उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अभी सदन में यह कहा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनको इजाजत है तो हमको इजाजत दी जाए, 1120 काण्ड हैं कांग्रेस के।

श्री संयम लोढ़ा : तहलका पर चर्चा करा लीजिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और सदन के सारे सदस्यों की ओर से कहना चाहता हूं कि आज एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि तहलका मुद्दे के ऊपर भारत सरकार मुकदमा दर्ज करे और + + +

श्री उपाध्यक्ष : यह इर्रेलेवेंट है, इससे कोई रेलेवेंसी नहीं है।

श्री रामस्वरूप : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : और जिस तरह से दिल्ली में उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव विधान सभा में पारित किया गया, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधान सभा में भी वैसा प्रस्ताव पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता महोदय।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे तो पूछने नहीं दे रहे हैं। मैंने क्या गलती की है, साहब? मैं बार-बार टाइम मांग रहा हूं आपसे, आप इजाजत नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं पूछूंगा, साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, विराजिए। प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, पहला तो मेरा प्रश्न आपसे होगा कि माइक्रोफोन की व्यवस्था यदि आप नहीं करा पाये तो इस सदन को चलाना मुश्किल हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अभी नहीं चल रहा है। बिलकुल ही आवाज नहीं आ रही है, गला बैठ जाएगा। तो इसकी कोई व्यवस्था कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कुछ डिफैक्ट है, ठीक करा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि दिनांक 29.3.2001 को सदन में हुए घटनाक्रम के पश्चात् उक्त कम्प्यूटर की जांच के दौरान कम्प्यूटर में से उक्त प्रेस नोट से सम्बन्धित पास वर्ड को हटा हुआ पाया गया। अब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर श्री यशवन्त सिंह रामू यह मामला विधान सभा में नहीं उठाते तो इस जांच की कोई आवश्यकता नहीं रहती और बजट लीकेज के सम्बन्ध में कम्प्यूटर की व्यवस्था को किस प्रकार से अच्छा बनाया जाए, कम्प्यूटर में किस प्रकार से चोरी की जा सकती है, इस बात की कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिये मैं आपकी अनुमति से, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सबसे पहले यशवन्त सिंह रामू को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह प्रश्न उठाकर राजस्थान की जनता की सेवा की, सरकार को सावधान किया और विधान सभा के सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट एक दूसरा रंग ले गयी। आरोप-प्रत्यारोप के सिवाय यहां कुछ नहीं हुआ। बजट के सम्बन्ध में यदि विस्तार से चर्चा होती तो बजट बनाने वालों को, बजट से प्रभावित होने वालों को, उन सब लोगों को इस बात की जानकारी मिलती कि बजट क्या है, बजट की सैंक्टिटी क्या है और उस सैंक्टिटी के पीछे सारा कार्यक्रम क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह भी स्वीकार किया कि पत्रकार सम्मेलन में जिस संक्षिप्त विवरण को अन्ततः वितरित किया गया और जिस कागज को प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने सदन में दिखाया उनमें कुछ समानता तो है पर इन दोनों कागजों में बहुत सारे अन्तर भी विद्यमान हैं। आपका मतलब यह है कि समानता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कम है और अन्तर ज्यादा है। माननीय सदस्य, किरोड़ी लालजी ने और इन्होंने बताया है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिक्री कर की दरों में वृद्धि के 11 बिन्दु हैं, कर दरों में कमी के 10 बिन्दु हैं, पूर्णतः कर मुक्ति के 8 बिन्दु हैं और 8 अन्य बिन्दुओं का उल्लेख है। इसके अलावा वित्त से सम्बन्धित और मनोरंजन के 3, मुद्रांक शुल्क के 6 तथा मोटर वाहन कर, भूमि एवं भवन कर के 6 बिन्दु हैं। इस प्रकार पत्रकारों में वितरित कर प्रस्तावों में 52 बिन्दुओं का उल्लेख है। इन 52 बिन्दुओं में से 46 बिन्दुओं में पूर्ण समानता है और निम्नलिखित मात्र 6 बिन्दुओं में लीक हुए प्रस्तावों में अन्तर है। इसका मतलब, यह बजट का सैकण्ड पार्ट जिसके अन्दर करों के प्रस्ताव हैं उन में 52 बिन्दुओं में से 46 बिन्दुओं में समानता है। इसका मतलब 46 बिन्दुओं के बारे में जो परपज, जिस प्रकार सम्मेलन का उल्लेख कर रहे हैं कि पत्रकारों के कारण से हमने तैयार किया था उसके कारण बजट प्रस्तुत करने के पूर्व आपने बजट भाषण शुरू किया 11.22 पर और डेढ़ घंटे बोलने के बाद में आपने बजट प्रस्ताव का अपना अन्तिम वाक्य बोला। इस डेढ़ घंटे पहले यह सारा मामला जनता की नजर में आ गया था कि ये-ये टैक्स लगाए...

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : नहीं आया था।

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाओ। आपसे नहीं पूछ रहे हैं। यह आपके समझ की बात ही नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह आपकी समझ से बाहर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस बात का क्या पता है, प्रतिपक्ष के नेता, कि दो दिन पहले आया, एक दिन पहले आया। इस बात का क्या पता?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं इनके भाषण से ही कह रहा हूं। मैं केवल उन्हीं के भाषण से कह रहा हूं कि उनके भाषण में यह उल्लेख आया कि इतने बिन्दु समान हैं और इतने बिन्दुओं में अन्तर है। तो मैंने आपको बताया कि 52 बिन्दुओं में से 46 बिन्दुओं में पूर्ण समानता है। अब आपने बजट भाषण दिया उसमें आपने इस बात को स्वीकार किया है, आज के इस वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया कि टैक्स प्रपोजल्स के 46 पाइंट लीक हुए हैं। आपने जो कहा उसका अर्थ यह निकलता है कि 46 पाइंट लीक हो गये। अब लीक होने का सवाल यह आ गया, पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस बजट में कर प्रस्ताव लीक हो गये उस बजट पर चर्चा करने का क्या औचित्य रहेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया जानती है कि बजट के फर्स्ट पार्ट, इसमें सारे डवलपमेंट के काम और विभागों में कितनी राशि किस काम के लिए बढ़ाई गयी, उसका उल्लेख आता है। उसके बाद में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक्सपेंडीचर और कैपिटल एक्सपेंडीचर, उसके कारण से घाटा कितना हुआ, उसका उल्लेख आता है। घाटे के बाद में इस घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, उसका उल्लेख होता है। घाटे की पूर्ति के लिए आपने टैक्स लगाये और टैक्सों की जानकारी पहले मिल जाए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री महोदयजी से कहना चाहूंगा, यह कौल एण्ड शकधर में पेज 703 है जिसमें लिखा है—"Leakage of budget proposals before they are present to the Lok Sabha".

उस सम्बन्ध में कहता है कि— "The prevailing view is that unitll the financial proposals are placed before the House, they are an official secret."

मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने भाषण दिया उसके पहले सदन में इस प्रकार के पर्चे आ गये, अध्यक्ष महोदय को वह पर्चा सुपुर्द कर दिया गया। सदन की मेज पर पर्चा रखते ही आ गया तो यह तो आप मानकर चलेंगे कि...

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : I am sorry, यह आप आधा ही कोट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दोनों ही कर दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : आधा वाला आगे भी पढ़ लें। This is the prevailing view. It does not mean.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे भी कहता हूं। मैं कह दूंगा। प्रिवेलिंग व्यू, मैंने कह दिया न प्रिवेलिंग व्यू।

श्री सी. पी. जोशी : यह ऐसा विचार है कि ऐसा होता है तो इसमें क्या तकलीफ है? The House should be updated. Why should the House be given half truth ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पूरा पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : कौल-शकधर में लिखा हुआ है, पूरा कोट कर दें आप। शकधर के पूरे में लिखे हुए— this is the prevailing view. नीचे आगे लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वह इसी में...

श्री सी. पी. जोशी : आप हाफ ही को कोट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बीच में कहां टोक रहे हैं?

श्री सी. पी. जोशी : At least, I have a right to apprise the House. आप हाउस को आधी जानकारी क्यों दे रहे हैं? This is not correct.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या? नहीं, मैं पूरी दे रहा हूं न इन्फार्मेशन।

श्री सी. पी. जोशी : हाफ क्यों कर रहे हैं? This is....

श्री उपाध्यक्ष : पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : पूरा पढ़े न पहले। पूरा पढ़ें, उसमें क्या तकलीफ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरा पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : आधा पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे, इसमें क्या है?

श्री सी. पी. जोशी : What is wrong in it ? पूरा पढ़ दें, क्या तकलीफ है? हम भी पढ़ कर आये हैं, कौल-शकधर में क्या लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा पढ़ कर सुनाता हूं। यह शायद इसलिये चिन्ता हो रही है आपको।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे चिन्ता नहीं हो रही है। I appreciate, आपका जो हाफ ट्रूथ को लेकर सदन को प्रजैण्ट करने का, उसको प्रजैण्ट कर रहे हैं। (व्यवधान) यह कौल एण्ड शकधर में लिखा हुआ है कि this is the prevailing view. यह जनता का सामान्य विचार है। This is not the official.... यही मतलब है उसका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मैं वही कर रहा हूं। The prevailing view is....

श्री सी. पी. जोशी : हां, prevailing view is this.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : "....that until the financial proposals are placed before the House, they are an official secret."

श्री सी. पी. जोशी : This is the prevailing view. आगे पढ़ें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Do you agree to it?

श्री सी. पी. जोशी : I agree. आगे पढ़े आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे अगर बीच आफ प्रिविलेज का मोशन मूव करते जो हमने किया नहीं, वह इसलिये नहीं किया कि—"Though the leakage of the budget proposals may not constitute a breach of privilege of the House, Parliament has ample power to inquire into the conduct of Minister in suitable proceedings in relation to the leakage and the circumstances in which the leakage ocurred." आप यही तो सुनना चाहते थे।

श्री सी. पी. जोशी : हम यही कह रहे थे that this is the prevailing view. तो इसमें क्या तकलीफ है? As a member, I have a right. House should know the truth.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बोलिये, कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलिये।

श्री सी. पी. जोशी : आप हाउस को आधा ट्रूथ नहीं देंगे। नहीं, आप बोलेंगे, सर। आप मानिये इस बात को, आप विरोधी पक्ष के नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं, आप कम से कम सदन को तो फैक्ट बताएं। सदन को हाफ ट्रूथ बताएं, यह तो सदन का मामला नहीं बनता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बोला है प्रिवेलिंग व्यू।

श्री सी. पी. जोशी : हां, प्रिवेलिंग व्यू। प्रिवेलिंग व्यू है, It is not a part of the official Secrets, मैंने कहा कि आप पूरा पढ़िये। आपने नहीं कहा, पूरा पढ़िये। यह कौल और शकधर को कोट कर रहे हैं। यह कौल और शकधर को जो कोट किया गया है यह उस सम्बन्ध में किया गया है। As a member, I have my rights.

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न आपने। You had a right and you have said it.

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, it should be very clear. As a member, I have a right to know it. As a member, I have a right that सदन के सामने सत्य बात आनी चाहिए। सदन में आपको कहना चाहिए।

श्री जगत सिंह दायमा : अपोजीशन का एडवोकेट भी इनको कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ रहे हैं न वह पैरा।

श्री सी. पी. जोशी : हम भी वही कह रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? हम भी वही बात कर रहे हैं कि आप सदन के अन्दर जिस कौल और शकधर को कोट कर रहे हैं वह बात तो...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मतलब विपक्ष का वकील भी हम बनें और पक्ष का भी बनें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को उन्होंने स्वीकार करते हुए पूरा पैरा पढ़ दिया न।

श्री जगत सिंह दायमा : यह पक्ष और विपक्ष दोनों की बात क्यों करें, यह तो विपक्ष की करेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, और पढ़ देता हूं। एक मिनट। यह कौल और शकधर की किताब, लीकेज आफ बजट क्वेश्चन आफ प्रिविलेज, इस हैडिंग में लिखा हुआ है।

"Leakage of budget proposals before they are presented to Lok Sabha does not constitute a breach of privilege of the House. The Speaker has ruled :

The prevailing view is that until the financial proposal are placed before the House, they are an official secret...."

यह सुना दिया था, फिर और सुना देता हूं।

"Though the leakage of the budget proposals may not

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

constitute a breach of privilege of the House, Parliament has ample power to inquire into the conduct of a Minister in suitable proceedings in relation to the leakage and the circumstances in which the leakage occurred...."

मैं, वित्त मंत्रीजी, पूछना चाहता हूं कि कौल और शकधर में उल्लेखित इस लोक सभा के स्पीकर की रूलिंग को आप स्वीकार करते हैं या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा क्वेश्चन मेरा है। मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, मेरे गले में इस लाउड स्पीकर से गड़बड़ है, इसमें आखिर में बता देता हूं।

लोक सभा में 1956 में एक बजट लीकेज का मामला आया था, उस बजट लीकेज के मामले में जो कार्यवाही हुई उस कार्यवाही के दो पैराग्राफ मैं सुनाकर फिर प्रश्न पूछना चाहूंगा।

"The Prime Minsiter, Shri Jawahar Lal Nehru observed inter-alia as follows—"

"I entirely agree with the hon'ble member that any kind of leakage, more especially any leakage of the budget proposals, is a serious ,matter and ever since this has come to our notice, we have been exercising and concerned about the matter."

फिर यह क्वेश्चन आया, इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई? आगे कार्यवाही करने के पहले फिर नेहरूजी बोले। वह मैं आपको एक पैराग्राफ सुना दूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट। पंडितजी ने आगे दूसरे पैराग्राफ में जो बोला है वह अगर आपके पास...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, या तो इतने...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल रहा हूं। मैंने खुद ने कहा है आगे मैं दो पैराग्राफ और सुना रहा हूं। मैं आगे खुद बोल रहा हूं। मैंने कब मना किया, नहीं बोलूं तो आप मुझे सारी रूलिंग पढ़कर सुनाओ। आगे लिखा है :—

"....that the first step to be taken is to inquire into it, exactly in so far as we can inquire into it and report to this House and then it would be for this House to consider how else to deal with it.

In making this statement, I may mention on behalf of the Home Minister that he has already taken some action to inquire into this matter, as fully as can be done. I would like the

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Home Minister to make a further statement of the inquiry."

फिर होम मिनिस्टर के बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर नेहरूजी बोल रहे थे—

"As a result of the investigations carried out by the Central Intelligence Bureau and the Bombay and Delhi police, it is now known exactly how the leakage occurred. We also know a great deal about the distribution of this information in Bombay and other places."

फिर यह नाराज हो जाएंगे, आगे मैं पढ़ देता हूं।

"It has been established that leakage occurred from the Government Press situated in Rashtrapati Bhawan where budget papers had been given for printing. Copies of the draft which had been sent for printing have been passed without authority to certain persons, two of whom have already been arrested. The person who passed this information has also been arrested. Investigation is still proceeding to find out if any other persons had been guilty of this leakage, of use of secret government documents and could be proceeded against."

"As the case against 3 arrested persons will soon be put before the court and further investigation are proceeding, it would not be advisable for me to give at this stage further detailed information which is in the government possession. Meanwhile, I can assure the House that everything possible will be done to punish those who have been guilty of this offence."

"In view of this leakage, Government are giving consideration to the improvement of procedure in this regard in order to prevent such operations in future."

मैं, मंत्रीजी, आपको यह बताना चाहता हूं कि यह लीकेज हुआ अखबारों में और यह लीकेज हुआ हाउस में। आपका बजट स्पीच होने के पहले ही इस हाउस के अन्दर एक पन्ना आ गया

श्री प्रद्युम्न सिंह : इम्मैटीरियल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इम्मैटीरियल आपके लिए होगा। It is not immaterial for me, for the public and even for the Government. मैं यह कह रहा हूं, अब आपने जांच कराई वह जांच किससे करवाई? फाइनेंस सैक्रेटरी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

या चीफ सैक्रेटरी से और नेहरूजी ने जांच किससे कराई? सी.बी.आई. से। जांच कराने से पहले उन्होंने क्या किया? आफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 में केस रजिस्टर किया। उस केस के अन्दर सजा हुई। उस सजा का मैं उल्लेख ज्यादा नहीं करना चाहूंगा लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने अन्त में जाकर जिसका फैसला भी दे दिया। आफिशियल सीक्रेट एक्ट में सजा हुई। शायद तीन आदमियों को सजा हुई और दो आदमियों को उन्होंने अपील में छोड़ दिया इसका मतलब इसका तरीका यह है, यह आफिशियल सीक्रेट। इसको आप माने या नहीं माने, आज नहीं मानेंगे कल मानना पड़ेगा और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में आपको यह मानना चाहिए कि आफिशियल सीक्रेट है। इस आफिशियल सीक्रेट का कितना भी लीकेज हुआ, मैं नहीं कहता कि सारा का सारा लीकेज हो गया लेकिन जितना जो कुछ भी लीकेज हुआ, कितने बिन्दुओं पर लीकेज हुआ यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए आप बजट लीकेज के मामले को इतना लाइटली लें कि हम किसी सैक्रेटरी से जांच करवा लेंगे, मान लीजिए मैं आपको इसमें इन्वाल्वमेंट नहीं मानता हूं, मैं एक थोड़ी-सी बात के लिए कह रहा हूं, यदि आपका इन्वाल्वमेंट हो तो आप क्या यह समझते हैं कि आपके मातहत फाइनेंस सैक्रेटरी आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर्स पास कर दें? कभी नहीं करेंगे। इसकी इंडिपेंडेंट इनक्वायरी होनी चाहिए और आप बच नहीं सकते। मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी, आपको दोनों को कहना चाहता हूं कि आप इस ब्रीच से बच नहीं सकते। कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे बता दें यह व्यवस्था कि अगर बजट लीकेज हो जाए तो इंडियन पैनल कोड की धारा में आप क्या कोई कार्यवाही कर सकते हैं, क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप कोई कार्यवाही कर सकते हैं? लीकेज का मतलब आफिशियल सीक्रेट। आफिशियल सीक्रेट एक्ट के मातहत उस सीक्रेट की लीकेज के मामले में जांच होनी चाहिए जो वास्तव में सीक्रेट है। आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। ज्यों ही बजट भाषण आपका खतम हुआ, आप बाहर गये और बाद में प्रेस वालों को आपने स्वीकार किया कि यह गम्भीर इश्यू है, यह बजट की गोपनीयता का प्रश्न है। ये सब बातें आप चाहे तो सारे अखबार, कटिंग मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको सब सुना दूंगा। आपने माना है कि लीकेज है और बजट की गोपनीयता का प्रश्न है इसलिए मैं इसकी जांच करा रहा हूं। मैं, मुख्य मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार सीक्रेट डाकूमेंट के लीकेज की सरकार के पास कौनसी कानूनी व्यवस्था है जिस कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत आप जांच करा सकते हैं? जिसमें आप प्रोसीक्यूशन करा सकते हैं? लोगों को आप सजा दिलवा सकते हैं? आपने दो या तीन कर्मचारियों को पकड़ कर यदि बजट लीकेज के मामले को, इसको अन्तिम चरण में ले जाने की कोशिश की तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि हाउस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चले या नहीं चले, आप यह निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आपको आफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुकदमा बनाना पड़ेगा, उसकी इंवेस्टीगेशन सी.बी.आई. को देनी पड़ेगी। और सी.बी.आई. को इसलिए देनी पड़ेगी कि फाइनेंस मिनिस्टर इन्वाल्व्ड हैं और उनको बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर इन्वाल्व्ड हैं। चीफ मिनिस्टर अभी तक बोले नहीं। इन पर लगातार इस बात के आरोप लगाये जा रहे हैं कि जिस समय बजट भाषण हो रहा था उस समय मुख्य मंत्रीजी बजट स्पीच को पढ़ रहे थे। सुना है इन्होंने लेकिन अभी तक खण्डन नहीं किया। मैं चाहता हूं कि वे खण्डन करें तो मैं इस सब्जैक्ट को यहीं खतम कर दूं। लेकिन वे खण्डन कर नहीं पाएंगे। लोगों ने जो जानकारी दी है, जिस तरह की, मैं उसका इन्तजार कर रहा हूं।

मैं इतना कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह केस छोटा नहीं है, मामूली नहीं है। आज आप इसमें कितना ही कुछ भी कहें, हमें कितनी भी गालियां निकालें, कोई चिन्ता की बात नहीं है। गाली का जवाब अगर जरूरत पड़ी तो गाली से दे देंगे लेकिन आप इस चीज से राजस्थान में एक ऐसी गलत परम्परा डालेंगे कि बजट लीकेज हो गया, दो बाबुओं को मुअत्तिल कर दिया, दो के खिलाफ सैक्रेटरी से जांच करवा ली। मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए आपको इस समय इतना सख्त होना पड़ेगा, बहुत सख्त होना पड़ेगा कि बजट का लीकेज असम्भव हो जाए। आपने त्याग-पत्र दिया मुख्य मंत्रीजी को। मैं चाहता था, आपके हित में चाहता था कि आपका त्याग पत्र मुख्य मंत्रीजी स्वीकार कर लेते। एक आदर्श उपस्थित होता, एक जिम्मेदारी जनता को महसूस होती। उस समय आप त्याग पत्र देकर आते तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि इनक्वायरी के बाद में आपको स्वागतस्वरूप इस मंत्रिमण्डल में वापस ले लिया जाता। लेकिन आप ऐसा मत समझो। अभी शिवचरणजी माथुर का उल्लेख आया था, इन्होंने विधान सभा में त्याग पत्र दिया, जांच हुई। हालांकि जांच से मैं सहमत नहीं था, मैं आज भी कहता हूं कि जांच परिणामों से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन जांच करायी और उसमें निर्दोष साबित हो गये। वापस आ गये। मैं समझता हूं इस जांच में आप अगर त्याग पत्र देकर इस मामले को जांच का विषय बना देते तो आपके हित में होता। और, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भविष्य के लिए यदि इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि बजट लीक हो जाए, कोई चिन्ता की बात नहीं, आपने अभी यह कहा कि इसमें कोई मोटिव नहीं है, किसी का मोटिव नहीं है। मोटिव के बारे में अभी आपने खुद ने ही मंजूर किया कि मोटिव है। आपने खुद ने यह स्वीकार किया है। मोटिव यह है—यह कार्यवाही कतिपय व्यक्तियों द्वारा संभवत: बदनीयती से, षड्यंत्रपूर्वक तथा राज्य सरकार को बदनाम करने के एक मात्र उद्देश्य से की गयी है। मोटिव आ गया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सामने। मोटिव यह नहीं है कि बजट लीकेज से किसको फायदा हुआ और किसको घाटा हुआ, लेकिन जो कुछ किया, एक मोटिव से किया। मोटिव से किया सरकार को बदनाम करने के लिए। आज भी सरकार यह समझे कि हम इस मोटिव की चिन्ता नहीं करें और चिन्ता नहीं करने के बाद में इस लीकेज के मामले को दरगुजर कर दें, यह कभी भी सम्भव नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा इस संबंध में आप लोगों ने ज्यादा देखा होगा, लेकिन इन पांच दिनों में हिन्दुस्तान की लोक सभा में इस संबंध में जितने भी प्रिविलेज मोशन आये हैं, कोई भी प्रिविलेज मोशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। यह बात मैं मानता हूं और एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हमने प्रिविलेज मोशन रखा भी नहीं। हम यह एक्सेप्ट करते थे इस सरकार से कि सरकार रीजनेबल एटीट्यूड उठाएगी। इफैक्टिव एक्शन होगा और रीजनेबल एटीट्यूड होगा। यह क्वेश्चन प्रद्युम्न सिंहजी और भैरोंसिंह का नहीं है, यह आगे की पीढ़ियों का प्रश्न है। इस पीढ़ियों के प्रश्न को आप इस रूप में दबाने की कोशिश करेंगे तो दबेंगे नहीं। यह आप मानकर चलिये, दबेंगे नहीं। यह मामला जाएगा इसलिए आज आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में मुकदमा बनवाइये, क्योंकि मंत्रियों का इसमें इन्वाल्वमेंट है। इस मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाइये। यदि नहीं कराएंगे तो हमारा कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा, बजट की सैंक्टिटी खतम हो जाएगी। बजट को लीकेज करना एक धन्धा बन जाएगा और उस धन्धे से लोगों की कमाई का एक रास्ता वह तैयार कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लीकेज के प्रश्न पर इतना और कहना चाहूंगा कि बजट लीकेज की अब मैंने सारी डेफिनेशन भी निकाली है, लीकेज का मतलब क्या है...

श्री उपाध्यक्ष : आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्वास्थ्य का नहीं, आप इनका ध्यान रखिये। मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन आप इसका ध्यान रखिये, यह बिलकुल आपने ऐसा लगा रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : हमने नहीं लगाया है। आपके समय में लगे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस समय के?

श्री उपाध्यक्ष : आपने आर्डर किया है जो लगाये हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से एक बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा-सा लपेट कर बोल रहे हो। इस बात को आप यह कैसे कह सकते हैं कि किसी को लाभ हुआ या नहीं हुआ? आप इसको दबी जुबान से बोल रहे हैं कि मैं यह नहीं कहता कि लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। आप क्यों नहीं कहते कि इससे लाभ हो सकता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके कहने से क्या कहूंगा और क्या नहीं कहूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, क्यों नहीं कहते आप इस बात को? अगर आप नहीं कहते हो तो फिर कौन कहेगा? आप कहिये इसमें लाभ हुआ है। क्यों नहीं कहते इस बात को? और लाभ नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइये कि कैसे लाभ नहीं मानते आप इसको?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह जो बात कही है वह इस आधार पर कही कि आपने इस वक्तव्य में यह कहा कि उससे किसी को लाभ हुआ होगा या नहीं। यह लाभ नहीं हुआ और हुआ है, यह मामला कोई. यहां की समिति इनक्वायरी नहीं करेगी, सी.बी.आई. जिस दिन इनक्वायरी करेगी उसी दिन पता लगेगा कि किस आइटम पर किस पार्टी को कितना लाभ हुआ है। आज, मंत्री महोदय, आप अगर बताना चाहें, आप कहते हैं कि लीकेज के कारण से किसी को नुकसान नहीं हुआ, तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि बजट मैंने भी सात-आठ वर्षों तक बनाया है कि बजट के प्रपोजल्स कैसे तैयार होते हैं। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि यह बजट प्रपोजल्स की, जो बजट के संबंध में बनाने वाले प्रेस नोट थे, वह उसकी कापी है और उसकी कापी में हमने संशोधन कर दिया और संशोधन करके ही किया। आज हाउस आपसे यह जानकारी चाहता है कि जिस समय आपने बजट बनाना शुरू किया उस समय आपके सामने कौन-कौनसे इश्यूज के ऊपर टैक्स लगाने के प्रपोजल्स थे और उसमें से कितने आपने ड्राप किये, क्वेश्चन यह है। क्वेश्चन यह नहीं है कि आपने कौनसा कर लगा दिया और कौनसा नहीं लगाया। अगर इसमें कोई सत्यता का प्रश्न आता है तो प्रश्न यह आता है कि आपने जिस समय बजट बनाने का काम शुरू किया उस समय आपके सामने बजट में कौन-कौनसे टैक्स लगाये, उसके प्रपोजल्स क्या थे और फाइनल जब आपने टैक्स लगाया उस समय क्या था? और उन दोनों में अन्तर है तो वह अन्तर क्यों है? आप बताएंगे यह सीक्रेट है। मैं समझता हूं जब यह सीक्रेसी आउट हो रही है तो आपको सदन में वे कागज रखने चाहिये, सदन को यह जानकारी देनी चाहिये कि हमने बजट बनाते समय अमुक-अमुक चीजों पर टैक्स बढ़ाने और अमुक चीजों को टैक्स नैट में लाने और अमुक चीजों के ऊपर टैक्स कम करने के प्रपोजल्स बनाये थे और फाइनली वे इस स्टेज पर पहुंचे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब माननीय मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि जिस समय बजट प्रपोजल बनाये उसके बाद में हमने संशोधन किये और संशोधन करने के बाद में वह संशोधित पत्र तो आउट नहीं हुआ लेकिन मूल पत्र जो बनाया था वह आउट हो गया। यह सदन का प्रिविलेज है, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। सदन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में सारी प्रोसिडिंग्स मंगवाई जाए बजट प्रपोजल्स की, बजट प्रपोजल्स की कार्यवाही से ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकेगा कि बजट प्रपोजल्स के पीछे भावना क्या थी। जब तक आप वह नहीं देंगे तब तक आप डॉक में हैं। आप यह मत समझिये कि दुनिया इस बात को देख नहीं रही। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अब आज तो वह बजट प्रपोजल्स जो आपने ओरिजिनेट किये, वह सीक्रेट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है और इस हाउस से बड़ा कोई हो नहीं सकता। जो सीक्रेट नहीं है वह सारी की सारी फाइलें अध्यक्ष महोदय को दे दीजिए। हम देखेंगे और देखने के बाद में यह बताएंगे कि आपने कौन-कौनसे ड्राप किये, क्यों ड्राप किये। किन-किन आइट्म्स को आपने इनक्लूड किया, वह क्यों इनक्लूड किये गये और किन-किन पर कर बढ़ाया और किन पर कर घटाया? उस समय जो स्थिति थी उसकी सारी जानकारी इस सदन को मिल जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट लीकेज का प्रश्न है, इस सरकार ने स्वीकार किया है, आज मना करें, या नहीं करें लेकिन जिस समय बजट भाषण हुआ और भाषण होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में गये, प्रेस के सामने गोपनीयता स्वीकार की है। प्रेस के सामने बजट का लीकेज हुआ, यह स्वीकार किया है। बजट का लीकेज हुआ यह स्वीकार कर लिया उसके बाद में सरकार आज बदलना चाहे कि यह तो गोपनीयता भंग नहीं हुई, लीकेज नहीं हुआ तो गोपनीयता रही कहां? कौनसी गोपनीयता बच गयी जो इसके कारण से भंग नहीं हुई?

इतने सारे के सारे आइट्म्स, मैं समझता हूं कि एक आइटम डाल्टन का केस केवल एक सिगरेट का केस था, डाल्टन ने सिगरेट के केस के ऊपर इस्तीफा दिया। उसने जाते वक्त अपने एक मित्र पत्रकार थे, गाड़ी में से उतरे, वह बजट पेश करने वाले थे, उस समय डाल्टन ने कहा कि आज तो सिगरेट पिला दे, अभी थोड़ी देर के बाद में महंगी हो जाएगी। और ज्यों ही बजट पेश किया वही बात सामने आयी। सामने आने के बाद जब वह मैम्बर जिसने चाय पीयी थी, वह अखबार भी चलाता है, उसने बजट के और इस गैप का लाभ उठा कर वह सारे प्रपोजल्स बजट के जो उन्होंने बताये थे सिगरेट के, वह सारे के सारे अखबारों में छपवा दिये। ज्योंही वह अखबार में छपा तो पार्लियामेंट के मैम्बर्स ने उस मामले को उठाया और उठा कर कहा बजट लीक हो गया। लीक हो गया तो, वित्त मंत्रीजी, आपके अनुसार उस आदमी ने संकोच नहीं किया, उसने खड़े होकर कहा कि बजट लीक हो गया, मैं इसके लिए त्याग पत्र देता हूं। त्याग पत्र देने के बाद में चर्चिल खड़े हुए और चर्चिल ने कहा कि इसको मेगनेनिमिटी के आधार पर इनका त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। हाउस में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया। लेकिन शाम को जब केबिनेट मीटिंग हुई उस समय वार केबिनेट थी, उस केबिनेट की मीटिंग हुई तो सारे लोगों ने कहा कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम आज यह नहीं करेंगे तो भविष्य में जाकर और कई तरह की अनियमितताएं हो सकती हैं, इसलिए इस त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया जाए। सुबह हाउस आफ कामन्स में स्वीकार नहीं किया लेकिन रात को उसको स्वीकार कर लिया।

इसका मतलब यह है कि बजट की सैंक्टिटी के पीछे अगर वह आउट होती है, सैंक्टिटी खतम होती है तो किसी न किसी की गर्दन चाहिये, भाषण नहीं चाहिये। किसी न किसी की गर्दन की आवश्यकता है। वित्त मंत्रीजी, आपको मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके व्यक्तिगत रूप से रत्तीभर भी खिलाफ नहीं हूं। आपके दादाजी मेरे साथ एम.एल.ए. थे, आपके पिताजी मेरे साथ एम.एल.ए. थे, आप भी कई बरसों से एम.एल.ए. हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं आपका इस्तीफा लेऊं लेकिन आपने त्याग पत्र नहीं दिया तो हिन्दुस्तान में एक ऐसा उदाहरण पेश कर देंगे कि बजट के 52 आइटम्स लीक हो जाए, लीक होने की चर्चा हाउस में हो जाए और उसके बाद भी वित्त मंत्री इस्तीफा नहीं दे। यह गलत है।

मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका मोह भंग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन कई बार सैक्रिफाइज करने की प्रवृत्ति, यह एक संस्था को, व्यक्ति को और जन-मानस को और समाज को आगे बढ़ने का मौका देती है। मैं ऐसा निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मोह में नहीं पड़े। आप मोह में पड़ेंगे तो आप ऐसी परम्परा कायम कर देंगे कि आज के बाद कोई बजट बनाएगा, दो बाबूओं को कोई अगर कह दे कि तुम्हारी उम्रभर की नौकरी पक्की, तुम कम्प्यूटर सैक्शन में हो, तुम फाइनेंस सैक्शन में हो, तुम्हारी दो वर्ष की नौकरी पक्की। नौकरी पक्की करने के लिए जितना रुपया लेना चाहो लेओ, नोट अगर बच जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं बचें तो इतने पैसे का हमारी तरफ से इंश्योरेंस। उसके बाद बजट आपका लीक हुए बिना रह ही नहीं सकता। लेकिन एग्जम्पलरी पनिशमेंट मिल गयी, एग्जम्पलरी कोई एक्शन हो गया तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि भविष्य में कोई बजट लीक करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। न आशा की जा सकती और न कोई सोचेगा। इसलिए भविष्य के नाते से मैं आपको कहना चाहता हूं, यह सफाई देने से नहीं। यह क्या जांच करेंगे? यह वित्त सचिव और चीफ सैक्रेटरी क्या जांच करेंगे? जांच इस बात की करेंगे कि कम्प्यूटर सैक्शन में कौन-कौन थे? यही तो जांच है न? (व्यवधान) अब आप कम्प्यूटर सैक्शन पर कैसे आ गये? मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट लीकेज के मामले में कौनसा आधार है जिस आधार के कारण आप कम्प्यूटर सैक्शन में आ गये और बाकी की चीजों का आपने अवलोकन नहीं किया? क्या दूसरा जरिया भी नहीं हो सकता, कोई तीसरी बात नहीं हो सकती?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब बजट में, जैसे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, यह कम्प्यूटर से निकल गया, कम्प्यूटर से निकला तो साइक्लोस्टाइल, टाइप कैसे हुआ? टाइप होकर कापियां बाहर कैसे निकलीं? ये सारी व्यवस्थाएं...

श्री जगत सिंह दायमा : नेता महोदय, वित्त मंत्री जिनकी ए.सी.आर. लिखता है फाइनेंस सैक्रेटरी की और उनकी, अपनी ए.सी.आर. बिगड़वानी है क्या जो उनके खिलाफ रिपोर्ट देंगे वे? मंत्री तो हम भी रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात कह चुके। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : + + + उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : क्या बैठ जाएं, सारा देश इस्तीफा मांग रहा है प्रधानमंत्री से, उसकी बात आप नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : क्या बात करते हो, संयम लोढ़ाजी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : + + + (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : आज आप छोटी सी बात के लिए कह रहे हो, आज पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है और आप लोग एक बात कर रहे हो। आप पूरे देश की बात करिये। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करते वहां पर?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बिराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : कौन ए.सी.आर. लिखेगा? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, यह बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : + + + और कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहते।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय का ध्यान दिला रहा हूं इस बात की ओर।

श्री उपाध्यक्ष : आप से ज्यादा ध्यान है उनका, आप विराजो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + (व्यवधान) अपने आप में नैतिकता की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने कहा कि आफिशियल सीक्रेट्स

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सी. पी. जोशी)

एक्ट के अन्तर्गत इसमें केस रजिस्टर होना चाहिए। मैं खाली आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपने जो प्रश्न उठाया वह पोस्टैरिटी के लिए उठाया और आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। तो मैं रेलेवेंट एक क्लाज है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है — "If any person voluntarily receives any secret official code or password....". Sir, should I read it completely? यह जो क्लाज लिखा हुआ है, माननीय प्रतिपक्ष कि नेता महोदय, आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में केस लगा कर जो माननीय सदस्य नदबई से आये हैं, जिन्होंने यहां पर यह केस रखा है, क्या हमें यह जानकारी में है कि इस आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में केस रजिस्टर कराकर हम इस राजस्थान विधान सभा में क्या इतिहास बनाना चाहते हैं? इसकी भी हमें जानकारी है? मैं चाहता हूं कि सदन को आप यह भी जरूर अवगत करा दें, जिससे जो आप पोस्टैरिटी की बात कर रहे हैं उसका भी सब सामने आ जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी महोदय जो बोल रहे थे वह सर्विस रूल से बोल रहे थे, कंडक्ट आफ सर्विस रूल्स। मैंने देखा नहीं, वही किताब होगी।

श्री सी. पी. जोशी : आई एम सेइंग, आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जो प्रोविजन हैं जिसमें आप चाहते हैं कि बजट आफिशियल सीक्रेट्स का डाकूमेंट है, लीक हुआ है। उसमें जो लीक हुआ है, लीक होने पर जो केस रजिस्टर होगा उसमें कौन-कौन आदमी इन्वाल्व हैं जिनके खिलाफ आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आएगा, उसमें यह भी एक क्लाज है (व्यवधान) आने दो, आप उस माननीय सदस्य को अभी तो प्रस्ताव रखवा कर यूज कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप छोड़िये। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह जो ...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट लीक हुआ है, मुझे मेरी परवाह नहीं, मैं आता हूं तो आ जाऊं, आप मुकदमा दर्ज करवाइये। अगर मुकदमे में मेरा नाम आता है तो मैं उस चीज के लिये तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। लैट हिम फिनिश।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, तीस-चालीस साल का राजनीतिक जीवन... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वित्त मंत्रीजी का नाम नहीं आएगा, + + + उनका नाम नहीं आएगा, मेरा नाम आएगा, मैं तो तैयार हूं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. किरोड़ी लाल : रामू तैयार है, वित्त मंत्रीजी तैयार हैं (व्यवधान) हथकड़ी लगवाने को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : ही इज रेडी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। यह भाषण नहीं दे रहे हैं आपका अटेंशन ड्रा किया है थोड़ा-सा क्लेरिफिकेशन के लिए। तो क्लेरिफिकेशन दे देंगे यह, उसमें क्या बात है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सोच-समझ कर विपक्ष के नेता महोदय के बीच में इन्टरवीन किया है कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी में नहीं होगा और सदन को भी यह कहा गया है कि प्रिविलेज नहीं बनता है। प्रिविलेज नहीं बनता है इसलिए कोई आप्शन बचा हुआ सरकार के पास है तो सरकार को, जैसा नेहरूजी का कोट करके बताया है कि आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अन्दर केस रजिस्टर करें, यह माननीय विपक्ष के नेता महोदय की इच्छा है, पोस्टैरिटी याद रखेगी। पर हमारे माननीय सदस्यों में से कुछ हम भी कल को उधर बैठेंगे, कल कुछ इधर बैठेंगे, तो शायद नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम नहीं होगा इसलिए मैं कोट कर रहा हूं, क्योंकि यह जो बजट लीक की आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात कर रहे हैं जो यहां सदन में कागज आया है, तो कोई बाहर का सदस्य नहीं होगा, सदन के माननीय सदस्य जिसने यह कागज लाकर के हाउस में रखा, वह माननीय सदस्य भी इस परव्यू के अन्तर्गत में आता है। इसलिए सुनिये आप...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधायक नहीं आता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : आप बोलिये अपनी बात।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब इस चीज के लिए तैयार हूं तो यह क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हो?

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरी बात सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तैयार हैं क्या, वित्त मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : आप क्यों मरवाना चाहते हो इनको?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, आपके वित्त मंत्री महोदय तैयार हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक मिनट। प्लीज, माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में धमकी दी जा रही है माननीय सदस्य को। (व्यवधान) सदन में धमकी दी जा रही है डाइरेक्ट सरकार से, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती

(श्री जगत सिंह दायमा)

है? मैं गलत कह रहा हूं। सदन में धमकी दी जा रही है लपेट कर। जैसा प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, हो सकता है, हो क्यों नहीं, करोड़ों-करोड़ों के वारे-न्यारे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कोट किया है—

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट मेरी सुन लीजिये। मैं इसलिए कोट कर रहा हूं, यह कोई क्वेश्चन नदबई से आने वाले माननीय सदस्य का नहीं है, हम 200 माननीय सदस्य हैं उनसे इसका सम्बन्ध इसलिए है कि विपक्ष के माननीय नेता ने यह कहा कि डाकूमेंट हाउस में लीक हुआ, एक माननीय सदस्य लेकर आये हैं। जब आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को लागू करेंगे तो जो हम माननीय सदस्य हैं, यह हमारे भी प्रिविलेज का सवाल हो जाता है। It is not just the question of hon'ble member from Nadbai, हम जो 200 माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन 200 सदस्यों के भी प्रिविलेज का सवाल आ जाता है कि जो आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का विपक्ष के नेता महोदय केस रजिस्टर कराना चाहते हैं, यह हम सदस्यों को भी इन्वाल्व करना चाहते हैं। यह प्रिविलेज हम इनको नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल मात्र नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को आगे करके जो राजनीति करना चाहते हैं वह राजनीति हम सबके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। यह माननीय भैरोंसिंह शेखावत को सदन को अवगत कराना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आर्डर, आर्डर। यह बहुत सिम्पल-सी बात है। पहली बात तो यह कि आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आप केस रजिस्टर कराना चाहते हो क्या? (व्यवधान) आप सुनिये।

श्री सी. पी. जोशी : लैट हिम से। भैरोंसिंहजी शेखावत कहें यह बात।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुकदमा बनाया जाए।

श्री सी. पी. जोशी : ठीक है, आप चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

श्री सी. पी. जोशी : आपने यह कहा तो मान लेंगे हम। हमें क्या तकलीफ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, आप मान रहे हैं न? खड़े होकर कहें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी बिराजो।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कोई तकलीफ नहीं है। फिर दुबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है। आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अन्तर्गत केस रजिस्टर होने के बाद...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मुकदमा दर्ज कराने की बात करो। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य पहले यह बात मान लें कि बजट लीक नहीं हुआ है, बजट आउट नहीं हुआ है। आप इस बात को पहले कह रहे हैं कि आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट...(व्यवधान) केस रजिस्टर कर लें। इस बात पर आ जाएं। (व्यवधान) उस माननीय सदस्य को क्यों मरवाना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो ज्यादा चालाकी में फंस गये।

श्री सी. पी. जोशी : काहे का फंस गये? बिलकुल नहीं फंसे। (व्यवधान) We are not disowning it.

मोहम्मद माहिर आजाद : अब तो कमिटमेंट हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, प्लीज बिराजिए। आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत यदि केस रजिस्टर होगा तो उसमें किसको चालान करेंगे, किसको कल्प्रिट बनाएंगे, It is not our duty. तो ड्यूटी जिसकी है, जो एजेंसी इसको इंवेस्टीगेट करेगी, If he finds it fit कि उस आदमी का इंवाल्वमेंट है तो उसको इंवाल्व कर लेगा। How are we to decide it here? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रिविलेज का क्या होगा? (व्यवधान) आप समझते तो हो नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Investigating Agency will do it.

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात एक बार सुनिए। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर मैटर में अगर मुझे सजा भी होती तो मैं उसे लिए तैयार हूं, आप मुकदमा तो करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई सजा नहीं दिलवा रहा, आप बिराजो। माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। अब कोई इश्यू ही नहीं रहा है यह। आप बिराजो बाद में पूछ लेना।

श्री जगत सिंह दायमा : ब्यावर संभालो। आपसे ब्यावर तो संभल नहीं रहा है। ब्यावर में आग लग रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ब्यावर संभालो, जाओ। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम किसी भी ऐसे प्रिविलेज का इन्फ्रिंजमेंट नहीं चाहते कि जिसमें हमारे को जो प्रिविलेज मिले हुए हैं उन पर आंच आए। हम हमारे प्रिविलेज को मेनटेन रखना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, विराजो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रिविलेज के लिए हम बिलकुल जागरूक हैं और हम किसी भी तरह कोई अन्य अथोरिटी से इन्फ्रिंजमेंट नहीं चाहते हैं क्योंकि हम मोटिव भी समझते हैं और मेन्स-रिआ भी समझते हैं। विपक्ष के नेता महोदय ने मोटिव की बात कही, आपने मेन्स-रिआ नहीं बताया, मेन्स-रिआ क्या था? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खुशी है, मैं सरकार को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि आपके आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुकदमा बनाकर इस पर कार्यवाही करने की बात को स्वीकार किया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अपने आप ही एकतरफा प्रसन्न हो जाइए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कहां से लाये आप? गवर्नमेंट ने कहां एक्सेप्ट कर लिया? यह तो उनका व्यू था। गवर्नमेंट... चीफ मिनिस्टर आफ दि स्टेट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

एक माननीय सदस्य : राज में दो ग्रुप हो रहे हैं। लड़ो-लड़ो, मंत्रियों। वित्त मंत्रीजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का कोई भी मंत्री कोई बात कहता है तो वह मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय सी. पी. जोशी साहब ने जो बात कही है हम उनका समर्थन करते हैं। खेतसिंहजी क्यों बचाना चाहते हैं सरकार को?

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय श्री सी. पी. जोशी साहब की बात अगर नहीं मानी गयी तो सी. पी. जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बात होने में क्या तकलीफ है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : सी. पी. जोशी साहब की बात को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाए। उन्होंने तो आपको समझाने की कोशिश की है, आपकी समझ में नहीं आ रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि सरकार जोइंट रेस्पांसिबिलिटी से चलती है। सरकार के एक मंत्री ने जब इस बात को स्वीकार किया और दूसरे मंत्रीजी उसको मना कर रहे हैं और फिर सदन के अन्दर + + + हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय। सरकार कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी से चलती है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप। माननीय विपक्ष के नेता महोदय, प्लीज आप कनक्लूड कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि आपने सरकार से एक पाइंटेड क्वेश्चन पूछ कर सरकार से असली बात निकलवा ली। मुझे खेतसिंहजी पर अफसोस जरूर है, दूसरे मंत्री का जितना दर्जा है वे उसको कम करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : जैलेसी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनका दर्जा आपसे ज्यादा है।

एक माननीय सदस्य : 85 में इनकी भी टिकट काटी थी, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है...

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको तो राज्य मंत्री होना...(व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आजादजी, प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी बैठे हैं। जोशीजी बैठे हैं तो एक बात और बता दें कि बजट लीकेज या सीक्रेट डाकूमेंट, उसकी सीक्रेसी के वायलेशन के लिए सिवाय आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अलावा और कोई व्यवस्था है क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब वे तैयार हो गये तो आवश्यकता ही नहीं है। No more debate is needed.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो जोशीजी ने कहा और मुख्य मंत्रीजी की मौजूदगी में कहा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, कृपा करो न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं खतम कर रहा हूं। वित्त मंत्रीजी की मौजूदगी में कहा...(व्यवधान) मैं वह सरकार का जवाब मानता हूं और इस जवाब के नाते मैं फिर सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं इन एडवांस कि उन्होंने एक ऐसी परम्परा कायम की है कि भविष्य में बजट लीक करने की कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं-नहीं, हम अब नहीं सुनेंगे कुछ भी। (व्यवधान) किस बात का जवाब? क्या बोलेंगे ये?

श्री जगत सिंह दायमा : अगर आपको इस्तीफा देना हो तो बात करो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब तो सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं है। वित्त मंत्रीजी को इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको सुनना ही नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री जगत सिंह दायमा : इस्तीफा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : घोषणा किसकी करें? आप सुना तो करो न। आप उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप सुनेंगे नहीं तो वह क्या कहेंगे, यह तो उनके ऊपर डिपेण्ड करता है। आप उनको सुनो तो सही। आपको उन्होंने इतनी देर सुना, अब आप उनको तो सुनें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घोषणा यही होगी न?

श्री उपाध्यक्ष : Let us see, what happens. How can I anticipate? यह मैं कैसे कह सकता हूं? आप सुने तो सही उनको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : घोषणा हो चुकी। अब किस बात की घोषणा? नहीं, नहीं, घोषणा हो चुकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, उनको सुनिए। इतनी देर आपकी सुनी। क्या पता वह क्या कहेंगे, how do you know?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो इतनी ही जानकारी चाहिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको जानकारी चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...कि शिक्षा मंत्रीजी ने बजट में इंटरवीन करते हुए इस बात की स्वीकारोक्ति की है, क्या अभी सरकार उस बात को मानती है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जानकारी से काम नहीं चलेगा, बिराजो। He has a full right to reply. Let him reply.

श्री सुरेन्द्र व्यास : No, he has a right to reply but, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले उनको बोलने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मेरी बात सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आप उनको बोलने दीजिए। आप बोल चुके।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सी. पी. जोशी लगातार इन्टरप्ट कर रहे थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ? आप बोल चुके। (व्यवधान)

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बात सुनिए। आपने सी. पी. जोशी को क्यों अलाउ किया?

श्री उपाध्यक्ष : I have not allowed you. I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं रेलेवेंट बात कर रहा हूं, आप कैसे अलाउ नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप आंखें दिखाकर डराने की कोशिश मत करो। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है आपका बिहेव करने का। You have to.... (intrerruptions) I will not allow you.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप रेलेवेंट बात तो सुनिए। आपको बात सुननी पड़ेगी। वित्त मंत्रीजी के जवाब से पहले आप मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं...

श्री श्रवण कुमार : सुमित्राजी, दिनभर भाषण देने से काम नहीं चलेगा, बैठिए आप। ये सुरेन्द्रजी व्यास टाइम क्यों खराब करते हैं? कितना मूल्यवान टाइम है। क्या सुरेन्द्रजी ही इस हाउस के इम्पार्टेन्ट सदस्य हैं? आप दिनभर भाषण देते रहते हैं, बैठिए आप। इनका नोट नहीं किया जाए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्यों ने पाइंटेड सवाल किए। कहा गया कि मैंने स्वीकार किया...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने का जो कमिटमेंट सी. पी. जोशी ने किया है इसको अगर ये दोहराते हैं...(व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह : दूसरी बात यह कही गयी यहां पर, कौल एण्ड शकधर के उसके ऊपर भी यहां बात की गयी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौल एण्ड शकधर का सवाल ही नहीं है (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने यह भी कहा...(व्यवधान) आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत...

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आप आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) आप मुकदमा दर्ज करा रहे हो, नहीं करा रहे हो? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कानूनी कार्यवाही करने की बात कब हुई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी साहब, बोलने दो। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : इस्तीफा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) फिर पूछ लेना।

अनेक माननीय सदस्य : इस्तीफा, इस्तीफा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। (व्यवधान) मैं नहीं मानने को तैयार हूं। मैं नहीं मानूंगा कोई बात। आप कहा करिये, आपके कहने से क्या होगा? (व्यवधान) हम तो खाली यह चाहते हैं, आपके चाहने; न चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। (व्यवधान) जो मैंने कह दिया वह काफी है। If they do not want to hear, then जो मैंने अपना वक्तव्य पढ़ दिया वो काफी है और मुझे कुछ नहीं कहना। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया शांति से सुनें। अब आप इनका जवाब क्यों नहीं सुनते? आप जवाब सुनिये...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह :. अब यह सुनना ही नहीं चाह रहे तो क्या जवाब दूं? (व्यवधान) मैंने जो जवाब दे दिया वह काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में नारेबाजी)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह शक्तावत।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 1(7)(2)गृह-6/82 दिनांक 20.10.2000 जिसके द्वारा राजस्थान सिनेमा (विनियमन) नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-2000

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) राज्य वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1999-2000 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन,

(डा. चन्द्रभान)

राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-2000

(2) कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 एवं

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा विवरण वर्ष 1999-2000

(3) कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि., जयपुर का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का तेरहवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुवा)।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मैं कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव रखिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में नारेबाजी)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गयी।

याचिका का उपस्थापन

झुंझुनूं जिले के ग्राम भौड़की सीगनोर तथा बजावा में जी.एस.एस. का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री अमराराम (पचपदरा), श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मैं झुंझुनूं जिले के ग्राम भौड़की सीगनोर तथा ग्राम बजावा में 33 अथवा 11 के.वी. के जी.एस.एस. का निर्माण कराने बाबत याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.04 बजे बुधवार 18 अप्रैल, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट

कार्य सलाहकार समिति
13वां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16 अप्रैल, 2001 को मध्यान्ह पश्चात् 3.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 17 अप्रैल, 2001 से 25 अप्रैल, 2001 तक सदन में लिये जाने कार्य का बंटवारा निम्नप्रकार किया जाय :—

मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2001 बुधवार दिनांक 18 अप्रैल, 2001 तक	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2001	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2001	आय-व्ययक (बजट) अनुमान वर्ष 2001-2002 पर सामान्य वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 21 अप्रैल, 2001 रविवार, दिनांक 22 अप्रैल, 2001	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 23 अप्रैल, 2001 मंगलवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2001	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2001-2002 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद।
बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2001	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2001-2002 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

परसराम मदेरणा
पदेन सभापति